खण्ड–19, अंक–3
मंगलवार, 12 आषाढ़, शक संवत्, 1929
(03 जुलाई, 2007 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)

(द्वितीय सत्र, 2007)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 19 में 8 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2008

मूल्य :

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थिति	क
प्रश्नोत्तर	01-28
श्रीमती सरस्वती टम्टा भूतपूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार	29-31
वर्ष, 2005-2006 का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा वर्ष, 2005-2006 का सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा)	32
अधिष्ठाता मण्डल का गठन	32
नियम-300 के अन्तर्गत सूचनाएं	32
उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला अन्तर्गत स्वर्गीय बर्फिया लाल जुवांठा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना ...	32-33
विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत चार वर्षों से स्वीकृत तिमल्याणी भृगुखाल मोटर मार्ग निर्माण अविलम्ब कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	33
सहसपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत हजारों चाय बागान मजदूरों को भूमि पर मालिकाना हक न मिलने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	33-34
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नये कनेक्शन स्वीकृत करने हेतु स्वामित्व का प्रमाण-पत्र मांगे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना ...	34
जनपद टिहरी की तहसील घनसाली के अन्तर्गत पहाड़ से फिसलकर श्री जबर सिंह की मृत्यु तथा उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना...	34
उत्तराखण्ड के अग्निशमन विभाग (फायर ब्रिगेड) का संगठनात्मक ढांचा अभी तक स्वीकृत न होने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	34-35
जनपद टिहरी के विकास खण्ड जौनपुर की लालूरपुर पट्टी, पम्पिंग योजना निर्माण के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	35
कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश	35-36

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	36–47
प्रश्नोत्तर काल में अनुपूरक प्रश्न पूछने की सीमा के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा की गयी व्यवस्था	47
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)	47–59
वित्तीय वर्ष, 2007–2008 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	59–84
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	84–85

क

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अरविन्द पाण्डे
3.. श्री अनिल नौटियाल
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्रीमती आशा
6. श्री करन मेहरा
7. सुश्री कैरन हिल्टन
8. श्री किशोर उपाध्याय
9. श्री केदार सिंह
10. श्री केदार सिंह फोनिया
11. श्री खजान दास
12. श्री खड़क सिंह बोहरा
13. श्री गगन सिंह
14. श्री गणेश जोशी
15. श्री गोपाल सिंह
16. श्री गोपाल सिंह रावत
17. श्री गोविन्द लाल
18. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
19. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20. श्री चन्दन राम दास
21. श्री जोगा राम टम्टा
22. श्री जोत सिंह गुनसोला
23. हाजी तस्लीम अहमद
24. श्री तिलक राज बेहड़
25. श्री दिनेश अग्रवाल
26. श्री दिवान सिंह
27. श्री नारायण पाल
28. काजी मौ0 निजामुद्दीन
29. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30. श्री प्रकाश पंत
31. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
32. श्री प्रीतम सिंह
33. श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल
34. श्री प्रेमानन्द महाजन
35. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
36. श्री बलबीर सिंह नेगी
37. श्री बिशन सिंह चुफाल
38. श्री बंशीधर भगत
39. श्री बृज मोहन कोटवाल
40. श्री भगत सिंह कोश्यारी
41. श्री मदन कौशिक
42. श्री मनोज तिवारी
43. श्री मयूख सिंह
44. श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"
45. श्री मातबर सिंह कण्डारी
46. श्री मुन्ना सिंह चौहान
47. श्री यशपाल आर्य
48. श्री यशपाल बेनाम
49. चौ0 यशवीर सिंह
50. श्री रणजीत रावत
51. डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
52. श्री राजकुमार
53. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
54. श्री राजेन्द्र उर्फ राजेश जुवांठा
55. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
56. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
57. श्रीमती वीना महराना
58. श्री शहजाद
59. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
60. श्री सुरेन्द्र राकेश
61. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
62. श्री सुरेश चन्द्र जैन
63. डा0 हरक सिंह रावत
64. श्री हरबंस कपूर
65. श्री हरभजन सिंह चीमा
66. श्री हरिदास
67. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनांक 03 जुलाई, 2007 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

राजधानी स्थित आई0एस0बी0टी0 से देहरादून–दिल्ली मार्ग पर संचालित डग्गामार बसों को रोकने की कार्यवाही

**1–श्री खजान दास–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश की राजधानी स्थित आई0एस0बी0टी0 से ही डग्गामार बसों का संचालन देहरादून–दिल्ली रूट पर हो रहा है जिनके द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया वसूल किया जाता है ?

यदि हाँ, तो परिवहन विभाग द्वारा डग्गामार बसों के संचालन पर रोक लगाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*श्री खजान दास–

माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक डग्गामार बसों के संचालन की बात है तो उनका संचालन आज भी हो रहा है और वे किराया भी मनमानी से वसूल कर रहे हैं। मैं स्वयं भी जब 2–3 बार इधर दिल्ली गया था तो मुझे भी इसका एहसास हुआ है और यह बस चालक किराया भी अपनी मनमानी से ही वसूल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ कि इन डग्गामार बसों के संचालन पर रोक लगनी चाहिए।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, वर्तमान में आई0एस0बी0टी0 से किसी भी प्रकार की डग्गामार बसों का संचालन नहीं हो रहा है।

नोट– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, आई0एस0बी0टी0 से नहीं तो वहाँ से 100 कदम आगे या पीछे से तो संचालन हो ही रहा है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, इन अवैध बसों के संचालन को रोकने के लिए लगभग एक वर्ष पूर्व एक अभियान चलाया गया था और उससे पहले भी वर्ष 2003 में भी यह प्रयास किया गया था। एक वर्ष पूर्व इन सब पर नजर रखने के लिए परिवहन निगम, पुलिस और प्रशासन की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी जिसने कई बार छापे भी मारे, कई बसों का चालान भी किया गया और कुछ का परमिट भी निरस्त किया गया था। लेकिन वह इस वजह से नहीं किया था कि वे बसें डग्गामार थीं, बल्कि उन गाड़ियों के कागज पूरे नहीं थे या उनके शीशे आदि नहीं थे। वर्तमान में आई0एस0बी0टी0 या उसके इर्द–गिर्द से इस तरह की बसों का संचालन नहीं हो रहा है। इन सब को रोकने के लिए विभाग द्वारा समय–समय पर चैकिंग की जाती है।

*श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या पूरे प्रदेश के अन्दर जो डग्गामार बसें चल रही हैं, जो बसें बिना परमिट के चल रही हैं, उन पर कार्यवाही की जायेगी और दूसरा जो मूल प्रश्न पूछा गया है कि "यदि हाँ, तो परिवहन विभाग द्वारा डग्गामार बसों के संचालन पर रोक लगाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है," उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि "प्रश्न नहीं उठता"। यहाँ पर माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि चैकिंग की गई, संयुक्त टीम बनाई गई, चालान किये गये, तो इसके उत्तर में क्यों कहा गया कि प्रश्न ही नहीं उठता। जब कि इन सब का उल्लेख किया जाना चाहिए था।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी ने जानना चाहा है कि क्या पूरे प्रदेश में जिन डग्गामार बसों का संचालन हो रहा है, क्या उन्हें रोका जायेगा ? तो हमारा स्पष्ट कहना है कि अनियमित रूप से चल रही गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया जाता रहा है और यदि कोई बसें अभी चल रही हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें रोकेंगे। चाहे हरिद्वार में हो, चाहे देहरादून में हो किसी भी स्थान पर गलत तरीके से संचालित की जाने वाली बसों को रोकना हमारा दायित्व है। दूसरी बात माननीय विधायक जी ने कही कि उत्तर में आया है कि प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने यह बात केवल आई0एस0बी0टी0 के भीतर से डग्गामार बसों के संचालन के बारे में कही है। बाहर के लिए हमने टीम बनाई है। इसलिए अब नई टीम बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, डग्गामार की परिभाषा बता दें।

नोट– *वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की वह विषय छोटा जरूर महसूस होता है लेकिन उत्तराखण्ड जैसे राज्य के पिछड़े इलाकों में बस यात्रियों के सामने कई तरह की समस्याएं आती हैं। आई0एस0बी0टी0 के आस–पास के इलाके में भी यात्रियों को अनेक परेशानियाँ होती हैं। अन्य राज्यों से भी हमारे यहाँ लोग आते हैं तो आई0एस0बी0टी0 में जो अनियमितताएं हैं उनको रोकने के लिए क्या सरकार केन्द्र सरकार से कोई वार्ता करेगी जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, यदि माननीय सदस्य अपने प्रश्न को संक्षेप में पुनः बोल दें तो अच्छा होगा।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, पूरे बस अड्डे में लूट–मार होती है। जो खाने–पीने का सामान वहाँ पर बिकता है, वे दुगने–तिगुने दाम पर मिलता है। इसके लिए यदि हमारी सरकार केन्द्र सरकार से वार्ता करे तो उचित होगा।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, वर्तमान में आई0एस0बी0टी0 के भीतर जो दुकानें हैं, उनको किराये पर दे रखा है, लेकिन उनके रेट हम चैक करते हैं। इसके बाद भी कोई यदि व्यक्तिगत बात है तो मैं उसे चैक करा दूँगा। सब दुकानदारों को निर्देश हैं कि वे अपनी रेट लिस्ट लगाएं।

*श्री हरिदास–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जहाँ–जहाँ भी बस अड्डे हैं वहाँ एक–एक किलोमीटर दूर तक बसें खड़ी नहीं होनी चाहिए। जबकि देखा यह जाता है कि बस अड्डे के बाहर बसों की भीड़ लगी रहती है। चाहे रुड़की हो, चाहे देहरादून हो सब जगह यही स्थिति है। क्या माननीय मंत्री जी इस पर कार्यवाही करेंगे या नहीं ?

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पिछले तीन माह में आपके द्वारा जैसा कि कहा गया कि हम डग्गामार बसों की चैकिंग कर रहे हैं तो इसमें अब तक कितने चालान हुए और क्या–क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अध्यक्ष–

दोनों का जवाब दे दें।

नोट– *वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, पहले प्रश्न के जवाब में कहना चाहता हूँ कि बस स्टेशन के आस–पास बसें खड़ी होने पर बिना परमिट के कोई बस खड़ी होती है तो उसका हम चालान करेंगे, उसको रोकेंगे।

श्री हरिदास–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि बस अड्डे से कितनी दूरी पर बसें खड़ी होनी चाहिए?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, इसकी दूरी तय नहीं है। प्राईवेट और सरकारी बस अड्डे अलग–अलग हैं।

श्री हरिदास–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है। इसकी दूरी तय है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जो मूल प्रश्न है, वह दूर तक भी इससे सम्बन्धित नहीं है। मान्यवर, लेकिन फिर भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो रोडवेज बस अड्डा है, वहीं तो बसें खड़ी होंगी।

श्री हरिदास–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि बस अड्डे से कितनी दूरी पर ये बसें खड़ी होनी चाहिए ?

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, प्राइवेट बस सरकारी अड्डे से कितनी दूरी पर खड़ी होनी चाहिए।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, पिछले दिनों हमने विभिन्न स्थानों पर चैकिंग की है, जिसमें वाहनों की संख्या 254 है, 84 वाहनों का चालान किया और 10 वाहन बंद किये। चालान का कारण कुछ भी हो सकता है जैसे शीशा टूटना भी हो सकता है। जो बंद किये उनकी वजह परमिट है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री हरि दास जी ने अपनी निजी जानकारी के आधार पर प्रश्न उठाया था, कृपया इसे गम्भीरता से देखें।

*श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रश्न नहीं उठता दूसरी तरफ कह रहे हैं कि चालान किया।

समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु नीति

*2–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विभागों द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन देने हेतु क्या नीति घोषित की गई है ?

क्या मंत्री जी यह भी स्पष्ट करेंगे कि उक्त नीति के अन्तर्गत विभिन्न अधिकारियों को विज्ञापन देने की क्या शक्तियां एवं अधिकार प्रदत्त हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी)–

समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जाने हेतु विज्ञापन मान्यता नियमावली, 2001 प्रख्यापित की गई है। विज्ञापन वितरण नीति इस नियमावली का एक भाग है।

विज्ञापन मान्यता नियमावली 2001 एवं विज्ञापन वितरण नीति के क्रम में प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अनुसार निम्नांकित शक्तियां एवं अधिकार प्रदान किये गये है :–

पद	सीमा
1. उप निदेशक	रु0 10.000 /–
2. संयुक्त निदेशक	रु0 15.000 /–
3. अधिशासी निदेशक	पूर्ण अधिकार है, तथापि सामान्यतः सजावटी एवं व्यावसायिक दरों पर विज्ञापन शासन के अनुमोदन के उपरान्त दिये जाते हैं।

*हाजी तस्लीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व में दिये गये करोड़ों रुपये के विज्ञापन मान्यता नियमावली, 2001 के अन्तर्गत दिये गये, मान्यता नियमावली, 2001 के आधार पर मनमाने ढंग से करोड़ों रुपये के विज्ञापन फर्जी अखबारों और बाहर के अखबारों को देना एक बड़ा घोटाला है। इसके दोषियों के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? घोटाला नहीं हुआ है तो क्या इसके लेखा–जोखा की फाइल पहले से नियमानुसार तैयार की गई है ? दूसरा विज्ञापन नियमावली, 2001 के किस नियम और धारा के तहत यह समिति गठित हुई है ? यदि गठित की गई है तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है ? कृपया यह भी बतायें कि उप निदेशक 10,000 रुपये और संयुक्त निदेश 15,000 रुपये क्या प्रतिदिन

नोट– *वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या प्रति माह या प्रतिवर्ष देने की है, या पत्रिका के अखबारों को रोजाना देने की है ? यह शक्तियाँ किस सीमा तक एवं किन अधिकारों के तहत दी गई ? मैं, मान्यवर, आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि पूर्व में विज्ञापन हेतु करोड़ों रुपये की जो राशि दी गई है, यदि हाँ तो, उसका पूरा लेखा–जोखा बता दें यदि लेखा जोखा नहीं है तो क्या जो करोड़ों रुपये की धनराशि दी गई है उसकी जाँच सरकार द्वारा करवाई जायेगी ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा विज्ञापन मद पर विगत वर्षों में दिये जाने वाले विज्ञापनों के बारे में जानकारी चाही है। श्रीमन्, विज्ञापन दिये जाने की प्रक्रिया विज्ञापन मान्यता नियमावली के आधार पर आधारित नियमों के तहत है। विगत वर्षों में जो विज्ञापन दिये गये उसका विवरण इस प्रकार है। वर्ष 2001–02 में कुल स्वीकृत चार सौ पचास लाख और व्यय धनराशि एक करोड़ बाईस लाख, वर्ष 2002–03 में पाँच करोड़ अट्ठासी लाख स्वीकृत और व्यय धनराशि चार करोड़ अट्ठारह लाख, वर्ष 2003–04 में पाँच करोड़ पच्चासी लाख स्वीकृत और व्यय की धनराशि भी इतनी ही है। वर्ष 2004–05 स्वीकृत धनराशि छः करोड़ और इतनी ही व्यय की धनराशि है, 2005–06 में स्वीकृत छः करोड़ सड़सठ लाख और व्यय की धनराशि छः करोड़ छियासठ लाख और वर्ष 2006–07 में सात करोड़ नवासी लाख स्वीकृत और इतनी ही धनराशि व्यय की गई। मान्यवर, यह वर्ष वार मान्यता प्राप्त विज्ञापनों को दी गई धनराशि का विवरण है। विज्ञापन दिये जाने की जो प्रक्रिया प्रचलित है उसके अनुसार उप निदेशक को रु0 दस हजार, संयुक्त निदेशक को रु0 पन्द्रह हजार और अधिशासी निदेशक को पूर्ण अधिकार, तथापि सामान्यतः सजावटी एवं व्यावसायिक दरों पर विज्ञापन शासन के अनुमोदन के उपरान्त दिये जाते हैं।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, किस धारा के तहत समिति गठित की गई, उसके पदाधिकारी कौन हैं और उसमें कितने सदस्य हैं ? जो दस हजार और पन्द्रह हजार देने की बात आपने क्रमशः उप निदेशक और संयुक्त निदेशक के लिए कही है क्या वह प्रतिदिन है, प्रतिमाह है या प्रतिवर्ष है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, विज्ञापन मान्यता की समिति विगत वर्षों में पूर्व सरकार द्वारा गठित नहीं की गई है। हम इसके लिए तत्काल निर्णय लेने वाले हैं शीघ्रातिशीघ्र यह समिति गठित हो जायेगी यह बात मैं सम्मानित सदस्यों को सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, जब इसमें कोई समिति नहीं थी तो इतनी अधिक धनराशि कैसे बांट दी गई ?

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के उत्तर के द्वितीय भाग में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि उप निदेशक को रु0 दस हजार और संयुक्त निदेशक को पन्द्रह हजार की धनराशि का विज्ञापन देने का अधिकार है तो मैं श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उप निदेशक को दस हजार रुपये की और संयुक्त निदेशक को पन्द्रह हजार रुपये की धनराशि का विज्ञापन देने के अधिकार देने की बात उल्लिखित है तो प्रश्न यह उठता है कि यदि उदाहरण के लिए 20 विज्ञापन दिये जाने हैं और उप निदेशक को रु0 दस हजार की सीमा निर्धारित है यह रायडर है तो अधिकतम एक अधिकारी कुल मिलाकर कितने विज्ञापन दे सकता है क्या उसकी कोई सीमा निर्धारित है ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि जिन समाचार–पत्र को दस हजार रुपये से अधिक तक के विज्ञापन दिये जा रहे हैं उनमें श्रीमन्, दस हजार से अधिक विज्ञापन देने वाले समाचार–पत्र प्रसार संख्या का दावा करते हैं, उनकी सशुल्क प्रसार संख्या के बारे में भारत सरकार के समाचार–पत्र पंजीयक की रिपोर्ट को आधार माना जायेगा। विशेष परिस्थिति में समिति द्वारा बनायी गयी प्रश्नावली के आधार पर प्रसार की तकनीकी समीक्षा की जा सकती है और वह विज्ञापन सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा, तकनीकी एवं अन्य विशिष्टि पत्र–पत्रिकाओं के सम्बन्ध में विचार करके निर्णय विशेष परिस्थितियों में लिया जा सकता है। विज्ञापन जो दिये जाते हैं, यह विज्ञापन विशेष रूप से राज्य स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के अखबारों को नोटिस के माध्यम से दिये जाते हैं। श्रीमन्, चूँकि ये विज्ञापन केवल मान्यता प्राप्त समाचार–पत्रों को दिये जाते हैं और यह समिति के माध्यम से दिये जाते हैं। श्रीमन्, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा था कि कोई नीति बनायी गयी है उस सन्दर्भ में, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार एक नीति बनायेगी उसी के फलस्वरूप ये विज्ञापन दिये जायेंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो यह प्रश्न है उसमें सीधे रूप में यह पूछा जा रहा है कि क्या आप जो विज्ञापन पत्रिकाओं और अखबारों में देते हैं उनमें अलग–अलग अधिकारी को अधिकार देंगे या क्या एक ही अधिकारी द्वारा विज्ञापन दिये जायेंगे ? कुल मिलाकर अधिकतम कितनी धनराशि विज्ञापन में दिये जाने की सीमा निर्धारित की जायेगी ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जब इसमें नीति निर्धारण करेंगे तब ही ये सीमा निर्धारित कर पायेंगे।

नोट– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, जैसा कि हमने देखा है बड़े–बड़े फोटो अखबारों में देखते आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी, उन पर रोक लगाकर एक नीति के तहत ही विज्ञापन दिये जायेंगे ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य पूछना चाह रहे हैं इस सम्बन्ध में, मैं बताना चाहता हूँ कि टैण्डर के माध्यम से ही दिये जाते रहे हैं और आगे भी एक नीति के तहत जोड़ने पर विचार कर रहे हैं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जवाब स्पष्ट नहीं आया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सूचना के द्वारा और अन्य द्वारा अलग–अलग रूप में इनके बारे में बतायेंगे।

*श्री करन मेहरा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस विज्ञापन को किसी श्रेणी का रूप देना चाहेंगे। जो बड़े–बड़े शहरों और अखबारों में दिये जाते हैं ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, वर्तमान में जो मेरी जानकारी में है कि प्रदेश की मान्यता प्राप्त मासिक पत्र–पत्रिकाओं को पन्द्रह हजार रु0 है और जो राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त अखबारों को 39 हजार रु0 के विज्ञापन दिये जायेंगे। मान्यवर, गैर मान्यता प्राप्त पत्र–पत्रिकाओं को 10 हजार रु0 दिये जाते हैं। मान्यवर, हम विज्ञापन मान्यता समिति का गठन करेंगे, इस समिति का गठन शासन द्वारा किया जायेगा। मान्यवर, वे समाचार–पत्र जिनकी मान्यता विभाग द्वारा नहीं परन्तु डी0ए0वी0पी0 से मान्यता प्राप्त है को विज्ञापन जारी करने की दिशा में डी0ए0वी0पी0 की दरें ही दी जायेंगी।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं मिल पाया है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें आपको अनुपूरक पूछने के लिए मौका मिलेगा।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, जैसा कि अभी काजी मौ0 निजामुद्दीन जी ने कहा कि ये जो विज्ञापन ई0ओ0 या फिर जिला पंचायत अधिकारी हर साल किस अधिकार के तहत अपनी फोटो

नोट– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहित विज्ञापन जारी करते हैं ? क्या ये विज्ञापन सरकार द्वारा कंट्रोल होता है? क्योंकि ये विज्ञापन सरकार की नीति से ज्यादा अपना प्रचार–प्रसार करते हैं।

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, जैसाकि माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन जी ने उल्लेख किया है, विज्ञापन देने की नीति के बारे में। श्रीमन्, इस बारे में कहना है कि जो विज्ञापन विभाग देते हैं वे विभागीय आधार पर देते हैं, उनकी विभागीय नीति है। इसमें सरकार से कोई लेना–देना नहीं होता है।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, मेरा कहना है कि वे कौन सी शक्ति के तहत ये विज्ञापन देते हैं? जैसे एक पत्रिका को या पत्रकार को रु0 10,000 या रु0 15,000 का विज्ञापन देने का अधिकार है तो एक दिन में लाखों रु0 का विज्ञापन उनको हासिल हो जाता है।

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, इसमें राज्य सरकार द्वारा 2001 में यह नीति बनाई गयी थी। उत्तरांचल राज्य विज्ञापन वितरण नीति के धारा–12 के 2, 3, 4 में राज्य सरकार के विज्ञापन व्यवसायिक दरों पर नहीं जारी किये जायें। इसका अपवाद केवल इस दशा में हो सकता है कि जब किसी ऐसे पत्र या पत्रिका में सरकार विज्ञापन देना चाहती है, जिसने डी0ए0वी0पी0 की दरें अस्वीकार कर दी हों। राज्य सरकार जब प्रदेश के बाहर के समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करना चाहती हो और सम्बद्ध समाचार–पत्र विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा स्वीकृत हो, तो उसके बिलों का भुगतान डी0ए0वी0पी0 की दरों के अनुरूप ही किया जाये, लेकिन उन्हें विशेष परिस्थितियों में ही विज्ञापन जारी किया जाये। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य के गैर मान्यता प्राप्त समाचार–पत्रों को विज्ञापन नहीं जारी किये जायं। अपवादस्वरूप अति प्रतिष्ठा प्राप्त पत्रों को सूचना निदेशक के विवेकानुसार विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इसके बाद हमने यह निर्णय लिया है, क्योंकि अभी मान्यता समिति बनी नही हैं। छोटे अखबारों को जीवित रखने के लिए, जैसा कि उल्लेख किया है कि ऐसे लगभग 410 छोटे अखबार हैं, उन सभी को एक समान रूप से विज्ञापन दिया जायेगा, जिससे उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे एक प्रश्न उठता है कि जो विभाग हैं वे अपने हिसाब से विज्ञापन देते हैं तो क्या प्रदेश में जो विभाग है क्या वे सूचना निदेशालय से कन्ट्रोल नहीं होते है ? मान्यवर, ऐसा प्रतिध्वनित होता है कि यह केवल सूचना निदेशालय द्वारा जो विज्ञापन जारी किये जाते हैं उनके बावत है। मान्यवर, जो जारी किये जाते हैं उनके बारे में सरकार के क्या दिशा निर्देश हैं ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसमें विज्ञापन की जो प्रक्रिया सम्पादित की जाती है, उसमें दो दर हैं। पहली डी0ए0वी0पी0 की दर निर्धारित है और इन दरों पर सभी विभाग विज्ञापन देते हैं। मान्यवर, यदि इन दरों पर विज्ञापन न दिया जाए तो उनको आर0एन0आई0 तथा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन प्रस्तुत करना पड़ेगा। मान्यवर, हमारे उत्तरांचल की भी दर हैं इसके बाद तीसरी कैटेगिरी है, कामर्शियल जिनको जारी किया जाता है, जिसका अनुसरण सभी विभाग करते हैं। मान्यवर, केवल स्वायत्तशासी निगम जो लैण्ड के विज्ञापन होता है उसके आधार पर करते हैं।

तारांकित प्रश्न

पर्यटन विकास हेतु तथा नये पर्यटक स्थलों का चिन्हीकरण

*1–श्री केदार सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्यटन विकास हेतु सरकार नीति बनाने जा रही है ?

क्या उक्त नीति में नये पर्यटक स्थलों को चिन्हित व प्रचारित करने के लिए कोई कार्यक्रम है ?

क्या सरकार पर्यटन नीति में जन प्रतिनिधियों के सुझावों को भी विधिवत् रूप से आमंत्रित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

राज्य गठन के उपरान्त राज्य के लिए पर्यटन नीति 2001 तैयार की गयी थी जो वर्तमान में भी प्रभावी है।

जी हाँ।

वर्तमान में नई पर्यटन नीति का निर्धारण अथवा संशोधन प्रस्तावित नहीं है व इस सम्बन्ध में यथासमय ही विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

*श्री केदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन जो है वह हमारे प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन का अंग है और पर्यटन के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है और क्या कार्यक्रम हैं उनको सार्वजनिक किया जाना बहुत आवश्यक है। मान्यवर, मैंने प्रश्न किया कि "क्या

नोट– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उक्त नीति में नये पर्यटक स्थलों को चिन्हित व प्रचारित करने के लिए कोई कार्यक्रम है", तो उत्तर आया "जी हाँ"। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा 2001 की पर्यटक नीति के तहत कौन–कौन से पर्यटन स्थल चिन्हित किये गये हैं ? परम्परागत जो पर्यटन स्थल हैं उनके अतिरिक्त कौन–कौन से पर्यटक स्थलों को चिन्हित किया गया है ? क्या योजना बनाई जा रही है ? क्या इसको विस्तार से बताने का कष्ट करेंगे और दूसरा वर्ष 1976 में भी भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने यमुनोत्री बेंईथाच का और वर्ष 1983 में ओ0एन0जी0सी0 के एक्सपीडिशन दल के द्वारा जिक्र किया था और ऐटकिंसन जिन्होंने वैली ऑफ फ्लावर डिस्कवर को देखा होता तो यह पहले नम्बर पर होता और इसके लिए भारत सरकार द्वारा 1976 में टोकन मनी के रूप में एक लाख रुपया इश्यू किया गया, लेकिन उसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया। मान्यवर, क्या सरकार इनको फ्रंट क्षेत्रों के रूप में विकसित करने की कोई कार्य योजना बना रही है ? मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में जानना चाहूँगा।

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, जिस पर्यटन नीति का जिक्र इस प्रश्न के उत्तर में मैंने किया, इस पर्यटन नीति में मुख्यतः 15 बिन्दु समाहित हैं, जिसके आधार पर संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण है। जिसमें विभागीय ढांचे का पुनर्गठन किया जाना था। जिसके आधार पर उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् की स्थापना की गयी। दूसरा बिन्दु अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना था। इसमें ऐसे सभी क्षेत्रों का विशेषज्ञों के माध्यम से परामर्श कर उनका सर्वेक्षण कराया जाना और उसका मास्टर प्लान तैयार करके निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ करना था। जिसके आधार पर चार धाम मास्टर प्लान, द्वारा बुग्याल का स्की रिजोर्ट के रूप में विकास, पौड़ी–खिर्सू–लैन्सडाउन तथा पिथौरागढ़–मुन्स्यारी एक नये सर्किट के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। तीसरा बिन्दु निजी क्षेत्रों की सहभागिता से सम्बन्धित था। इस दृष्टि से इस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी भागीदारी सुनिश्चित हो योजनाएं प्रस्तावित की गयी और कई योजनाओं में कार्य भी प्रारम्भ हुआ है। चौथा बिन्दु पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों से पूँजी निवेश में वृद्धि से सम्बन्धी है। मान्यवर, इस क्षेत्र में भी प्रयास किये गये हैं।

अभी तक पर्यटन विभाग द्वारा 21 स्थलों पर निजी क्षेत्र के होटल और रिसोर्ट स्पा आदि पर्यटन योजनाओं हेतु भूमि क्रय हेतु अपनी सहमति प्रदान की गयी। मान्यवर, रामबाड़ा से श्री केदार नाथ, नीलकंठ से ऋषिकेश, यमुनोत्री–जानकीचट्टी नैनीताल स्नो व्यू–चिड़ियाघर एवं कसार देवी आदि स्थलों पर निजी क्षेत्र के सहयोग से रज्जू मार्गों की स्थापना का कार्य प्रगति पर इसके साथ ही अनेक क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर रहे हैं, जहाँ रज्जूमार्ग की स्थापना हो और पर्यटन में वृद्धि हो। पाँचवा बिन्दु मानव संसाधन का विकास है। इस क्षेत्र में भारत सरकार के सहयोग से, विशेष रूप से राज्य के अन्दर पर्यटन को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर पर्यटन सेवा दाताओं यथा बस चालकों, टैक्सी चालकों, ढाबा कार्मिक, और इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी मानव संशाधन इस राज्य

का है उसको प्रशिक्षण की व्यवस्था, पर्यटन विभाग द्वारा की जा रही है। जिसके माध्यम से हम कार्मिकों को, जो विभाग से जुड़े हुए हैं, ऑन जॉब प्रशिक्षण देने की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं।

छठा बिन्दु प्रचार प्रसार एवं पर्यटन विपणन से सम्बन्धित है। इस हेतु पर्यटन को और अधिक प्रचारित–प्रसारित कर रहे हैं और इसके अलावा पर्यटन को और अधिक प्रचारित करने के उद्देश्य से हमने एक सुस्पष्ट मीडिया प्लान तैयार किया। जिसके तहत इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में प्रभावी ढंग से प्रसार किया जा सके, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। सातवा बिन्दु तीर्थाटन के विकास से सम्बन्धित है। इस क्षेत्र में भी विकास होना चाहिए और इस राज्य की पहचान भी तीर्थाटन के रूप में हो इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे जो प्रमुख यात्रा मार्ग हैं उनमें आधारभूत सुविधाएं जैसे आवास, मनोरंजन आदि की मिले इसका प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, न केवल चार धाम यात्रा मार्ग, वरन इस राज्य में जितने भी ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिनमें तीर्थयात्रियों की संख्या अधिक रहती है, वहाँ का भी विकास किया जायेगा। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर...) मान्यवर, पर्यटन नीति का विषय रखा तो मैं विस्तार से रख रहा हूँ, यदि माननीय सदस्य कहें तो मैं लिखकर उनको दे दूँ। मान्यवर, इसमें 15 बिन्दु हैं। अभी मैं 7वें बिन्दु पर आया हूँ।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, बाकी 8 बिन्दु आप लिख कर भिजवा दीजिएगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं बाकी 8 बिन्दुओं के बारे में भी आपको जानकारी दे दूँगा। मान्यवर, आपने दूसरा विषय उठाया। आपने स्पेसिफिक किसी स्थल के विषय में पूछा है। यह विषय, प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। मैं फिर भी बता देता हूँ कि हमने मास्टर प्लान बनाने की बात कही। हर जिले का मास्टर प्लान बना रहे हैं। इसमें जिन जगहों का चिन्हीकरण किया जाएगा, उनको विकसित करेंगे।

*श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा कि निजी क्षेत्र की सहभागिता से पर्यटन के विकास का कार्य करेंगे। मान्यवर, निजी क्षेत्र में हमारे प्रदेश की संभावनाएं बहुत सीमित हैं। निजी क्षेत्र में जो लोग ज्यादा पूँजी निवेश कर सकते है, वे राज्य के बाहर के लोग हैं। मान्यवर, जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, वहाँ पर या तो वन भूमि है, जिसका कि हम चाह कर भी पर्यटन के रूप में अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं या फिर वहाँ पर कृषि योग्य भूमि है। सरकार के बयान आ रहे हैं कि लैण्ड यूज चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या पर्यटन के क्षेत्र में पूँजी निवेश करने के लिए लैण्ड यूज में छूट दी जाएगी ?

नोट– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह मेरे विभाग से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। फिर भी बताना चाहता हूँ कि हमने लैण्ड बैंक बनाने का निर्णय लिया है। जिसके आधार पर ऐसे स्थलों का चिन्हीकरण करेंगे जिनमें पर्यटकों को और अधिक सुविधाएं दी जा सकती हैं। ऐसे स्थलों का चिन्हीकरण कर रहे हैं, जिनको निजी सहभागिता से विकसित कर सकते हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में 2001 में पर्यटन नीति बनायी गयी है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब से इस प्रदेश में पर्यटन नीति बनी है, तब से कितने पर्यटक स्थल चिन्हित किये गये? कृपया इनकी सूची उपलब्ध करा दें और साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें लाखामण्डल भी शामिल है ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह प्रश्न, मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर–व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मूल प्रश्न के दूसरे भाग में पूछा गया है कि "क्या उक्त नीति में नये पर्यटक स्थलों को चिन्हित व प्रचारित करने के लिए कोई कार्यक्रम है" ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आप सूची माँग रहे हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

यही बता दीजिए कुल कितने पर्यटक स्थल अब तक चिन्हित किये जा चुके हैं?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह इससे सम्बन्धित प्रश्न नहीं है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर–व्यवधान)

*श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य 5 साल तक मंत्री रहे है। मंत्री परिषद् के सदस्य के नाते का ज्वाइंट जिम्मेदारी होती है। इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए थी। 5 साल में आपने कोई..........(व्यवधान)

नोट– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, इसकी सूची तो माननीय सदस्य के पास होगी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछा। जानकारी के लिए मैंने यह पूछा था कि कुल कितने नये पर्यटक स्थल चिन्हित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें लाखामण्डल शामिल है ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। किन्तु आपके निर्देश पर इसकी जानकारी उपलब्ध करा दूँगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री प्रीतम सिह–

मान्यवर, कुल कितने स्थल चिन्हित किये गये हैं, यह बता दीजिए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं इसमें जानकारी दे सकता हूँ लेकिन यह इससे सम्बन्धित नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इससे सम्बन्धित प्रश्न नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मूल प्रश्न में पूछा गया है "क्या उक्त नीति में नये पर्यटक स्थलों को चिन्हित व प्रचारित करने के लिए कोई कार्यक्रम है" ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसमें कार्यक्रम पूछा गया है। कार्यक्रम यह है कि हर जनपद का मास्टर प्लान बना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में पर्यटन नीति की रूपरेखा बतायी उसमें कहा कि नये पर्यटक स्थलों के चिन्हीकरण के साथ–साथ ही तमाम स्थलों में रज्जू मार्ग के लिए भी चिन्हीकरण किया गया है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या चकराता क्षेत्र में भी किसी रज्जू मार्ग के निर्माण की योजना सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि है तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, नये पर्यटक स्थलों के चिन्हीकरण तथा उन स्थानों को रज्जु मार्ग से जोड़कर आवागमन की सुविधा सुलभ करने की दिशा में हम कार्य प्रारम्भ कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि इसके लिए मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। अभी तक 7 रज्जु मार्गों पर कार्य हमनें शुरू किया, इसमें केदारनाथ, यमुनोत्री, नीलकंठ (ऋषिकेश), नैनीताल स्नोव्यू और कसार देवी, इनके निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हो गई है। नये पर्यटक स्थल जो विकसित हो सकते हैं, उन पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है।

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि.......।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर जी, आप बैठें, यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है। दो ही अनुपूरक पूछने का नियम है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या चकराता में किसी रज्जु मार्ग का प्रस्ताव है ?

*श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने कहा कि नई पर्यटन नीति के तहत नये स्थलों को तो चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन क्या जो पुराने पर्यटक स्थल हैं, उन स्थलों के रखरखाव और सौन्दर्यीकरण करने के लिए भी सरकार कोई प्रयास कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षिप्त में प्रश्न पूछें।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, पुराने पर्यटक स्थलों के रखरखाव के लिए भी सरकार नीति बना रही है, जैसे मसूरी एक पुराना और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। पूर्ववर्ती सरकार ने यहाँ के लिए एक रज्जु मार्ग का प्रस्ताव बनाया था जो पुरकुल गाँव से जार्ज एवरेस्ट तक बनना था तो उसकी स्थिति क्या है ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जो पुराने पर्यटक स्थल हैं, उनका रखरखाव करना हमारा नैतिक दायित्व और कर्तव्य है और जिम्मेदारी है। मसूरी में सबसे बड़ी समस्या आवागमन की वजह से ट्रैफिक जाम की है। इसके निराकरण के लिए पुरकुल गाँव से इसे रज्जु मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव है, इसका अभी परीक्षण चल रहा है, ज्यों ही वह कार्य पूर्ण होगा

नोट– *वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्माण कार्य किया जायेगा। जो माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा चकराता क्षेत्र के बारे में, हम उसका भी परीक्षण करायेंगे। इसी प्रकार से जहाँ पर भी रज्जु मार्ग बन सकते हैं, उन पर सरकार परीक्षणोपरान्त गंभीरता से विचार करेगी।

*श्री प्रणव सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरा हिन्दुस्तान ही नहीं पूरा विश्व उत्तराखण्ड की ओर देख रहा है। जो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण हैरिटेज है, उनके विकास के लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटा सा स्पष्टीकरण मैं भी चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर जी आप कृपया बैठें।

उत्तर प्रदेश विकल्पधारी अधिकारी–कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना

*2–श्री प्रणव सिंह–

क्या पुनर्गठन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकारी विभागों के उ0प्र0 विकल्पधारी अधिकारी–कर्मचारी, जो उत्तराखण्ड में अपना विकल्प परिवर्तित कर चुके हैं, को भी एकमुश्त उत्तर प्रदेश हेतु कार्यमुक्त किया जा रहा है ?

क्या यह सत्य है कि कई अधिकारी–कर्मचारी अपनी सेवाएं उत्तराखण्ड में करने हेतु आवेदन कर चुके हैं, फिर भी उनको उत्तराखण्ड में न रोककर उ0प्र0 के लिए भेज दिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस अनियमितता पर विराम लगाकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–73(3) के अन्तर्गत दोनों राज्यों के मध्य सहमति के आधार पर उक्त अधिकारी–कर्मचारीगण को राज्य आवंटित करेगी ? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं क्यों ?

पुनर्गठन मंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देश तथा प्रक्रिया के अन्तर्गत विकल्प परिवर्तन मान्य नहीं है, उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश हेतु कार्यमुक्त किया जा रहा है, जिनका अन्तिम आवंटन भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य हेतु नहीं किया गया है।

भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के आदेश संख्या–27/9/2001, दिनांक 11–9–2001 द्वारा एवं ऐसे कार्मिक जिनका अन्तिम आवंटन भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य हेतु किया गया, के अतिरिक्त शेष कार्मिकों को उत्तर प्रदेश हेतु कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया गतिमान है।

नोट– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–73(3), उक्त अधिनियम की धारा–73(2) के उपबन्धों के अधीन अन्तिम रूप से आवंटित कार्मिकों की कार्यमुक्ति से सम्बन्धित है। तद्नुसार ही भारत सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री प्रणव सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार के 11 सितम्बर, 2001 के शासनादेश के बाद भी राज्य के कार्मिकों से पुनः विकल्प की मांग की गई थी?

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, 2 जून, 2001 तक विकल्प के परिवर्तन का अवसर दिया गया था, उसके बाद विकल्प नहीं लिये गये।

*श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने चार धाम यात्रा के बारे में कहा तो उसके परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहता हूँ कि क्या चार धाम (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, गाड़ी आगे निकल गई है। अगला प्रश्न शुरू हो चुका है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, दो बातें मैं जानना चाहूँगा। पहला जो म्यूचुवल ट्रान्सफर हैं क्या वे किये जा रहे हैं ? क्या आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 के म्यूचुवल ट्रान्सफर हो रहे है? दूसरा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश कैडर के कर्मियों को कार्यमुक्त करने की कार्यवाही गतिमान है। किसी कैडर में उत्तराखण्ड में यदि कर्मियों की कमी है तो क्या तब भी उस कैडर के कर्मियों को कार्यमुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, पारस्परिक स्थानान्तरण के बारे में निर्णय हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगर किसी कार्मिक को अन्तिम आवंटन सूची में उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित किया गया और उत्तराखण्ड में भी यदि किसी कार्मिक को अन्तिम आवंटन सूची में उत्तराखण्ड कैडर आवंटित किया गया है और वे दोनों आपस में पारस्परिक स्थानान्तरण कराना चाहते हैं तो उसके लिए अनुमति उत्तराखण्ड सरकार ने दे दी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दे दी है। ऐसे जितने भी प्रकरण आएंगे उनका स्थानान्तरण किया जायेगा। मान्यवर, दाम्पत्य आधार पर भी स्थानान्तरण किये जाने का निर्णय लिया गया। एक और प्रकरण

नोट– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिसके कारण कार्मिक कार्यमुक्त नहीं हो पा रहे हैं से वह है माननीय उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के कारण।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यदि किसी कैडर में कर्मियों की कमी है तो क्या तब भी उस कैडर के कर्मियों को कार्यमुक्त किया जायेगा ? जैसे हमारे यहाँ आई0ए0एस0 की कमी है क्या तब भी उन्हें कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया गतिमान रहेगी ? मैंने आई0ए0एस0 कैडर का नाम केवल उदाहरण के लिए लिया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आवश्यक सेवाओं के कर्मियों का अभी आवंटन नहीं किया गया है। जैसे पुलिस विभाग में 691 कार्मिक हैं। इसी तरह कई अन्य विभागों के कार्मिक भी है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–3 पुकारे जाने पर कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी–अपनी बात कहने के कारण व्यवधान)

श्री प्रणव सिंह–

मान्यवर, पारस्परिक आधार पर स्थानान्तरण किये जाने का निर्णय दिनांक 6 जून की कैबिनेट की बैठक में हुआ था, क्या इसका शासनादेश जारी हो गया है या नहीं?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसकी कार्यवाही गतिमान है।

उत्तर प्रदेश कैडर के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जाना

*3–श्री प्रीतम सिंह, श्री ओम गोपाल–

क्या पुनर्गठन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश कैडर के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जा चुका है ? यदि हाँ तो कब–कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रकाश पंत–

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा 104 विभागों/संवर्गों के कार्मिकों का उत्तराखण्ड राज्य हेतु अन्तिम आवंटन हो चुका है, जिसे सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को कार्मिकों की अवमुक्ति करने हेतु यथा समय परिचालित किया जा चुका है। उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक उत्तर प्रदेश संवर्ग के 6615 कार्मिकों को उत्तर प्रदेश हेतु कार्यमुक्त किया जा चुका है।

कतिपय कार्मिकों को मा0 उच्च न्यायालय से प्राप्त स्थगन, दाम्पत्य नीति एवं विचाराधीन पारस्परिक स्थानान्तरण तथा कार्मिकों की कमी के कारण कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है। शेष कार्मिक जिनका उत्तराखण्ड राज्य हेतु अन्तिम आवंटन नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश हेतु कार्यमुक्ति करने की प्रक्रिया गतिमान है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने अधिकारी, कर्मचारी उत्तराखण्ड में कार्यरत हैं और जैसा कि आपने अपने उत्तर में बताया कि 6615 कार्मिकों को उत्तर प्रदेश भेजा जा चुका है। मान्यवर, ये कब कार्यमुक्त किये गये ? दूसरा दाम्पत्य नीति एवं विचाराधीन पारस्परिक के कितने प्रकरण हैं, कितने कार्मिकों को कमी की वजह से यहाँ रोका गया ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश हेतु आवंटित उत्तराखण्ड में कार्यरत कार्मिकों की संख्या इस प्रकार है–समूह–क 134, समूह–ख 663, समूह–ग 7200 और समूह घ में 321 हैं, इस तरह कुल 8318 कार्मिक हैं, यह स्थिति 15–05–2007 की है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश हेतु अवमुक्त किये गये कार्मिकों की संख्या समूह–क 126, समूह–ख 516, समूह–ग 5080 और समूह घ में 103 हैं, इस तरह कुल 6615 कार्मिक अवमुक्त हुए। इसके साथ उत्तर प्रदेश से अवमुक्त किये जाने वाले शेष कार्मिकों की संख्या समूह–क में 8, समूह–ख में 147, समूह–ग में 2120 और समूह–घ में 218 है। इस तरह कुल 1703 कार्मिक अवमुक्त किये जाने हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने दो प्रश्न पूछे थे।

श्री अध्यक्ष–

आप बाद में पूछ लीजिए मैं आपको समय दे दूँगा।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने 6615 उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त किये, उसके बदले में हमारे पास कितने आये? जब हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के बहुत से विभागों में, पुलिस विभाग में कार्मिकों की कमी है, इसका असर खराब पड़ रहा है, एस0एस0पी0 लगातार पत्र शासन को लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को वापस न किये जायें। इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पूर्व में अवगत कराया कि वर्तमान में हमने 1703 कार्मिक नहीं भेजे हैं। पहला कारण पारस्परिक स्थानान्तरण नीति के आधार पर बातचीत किया

जाना है जो पारस्परिक विचाराधीन है, दूसरा दाम्पत्य के आधार पर विचाराधीन है, तीसरा जो माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लाये हैं, चौथा प्रकरण राजकीय विभाग हैं, जिसमें पुलिस और चिकित्सा, अग्निशमन जैसे विभाग हैं तथा ऐसे सभी प्रकरण हैं जिनके कारण 1703 कार्मिक स्थानान्तरित नहीं किये गये।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जिन कार्मिकों को पारस्परिक स्थानान्तरण की नीति के आधार पर कार्यमुक्त किये जाने न किये जाने की बात आपने की। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या पारस्परिक स्थानान्तरण नीति प्रदेश के अन्दर सभी सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों के ऊपर लागू है, या प्रदेश के कुछ सेवाओं को इस नीति से अलग रखा गया है? दूसरा, क्या यह जो पारस्परिक स्थानान्तरण नीति है जिसके बारे में अभी सदन में चर्चा हुई, एक प्रश्न के माध्यम से प्रणव जी ने प्रश्न किया, जिसके बारे में सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया और शासनादेश जारी नहीं हुआ क्या सरकार इसमें कोई समय सीमा तैयार करेगी ? मान्यवर, पारस्परिक हस्तान्तरण नीति का शासनादेश कब तक जारी हो जायेगा ?

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, पारस्परिक हस्तान्तरण, जो अन्य विभागों से सम्बन्धित है, और जो दोनों राज्यों के बीच में है, इस पर शीघ्रातिशीघ्र हम कार्यवाही कर रहे हैं। दूसरा विषय आपने पूछा था कि यहाँ से उत्तर प्रदेश जाने वाले जो कार्मिक हैं और पारस्परिक हस्तान्तरण की नीति आखिर किस–किस क्षेत्र की सेवाओं में लागू है तो इस सम्बन्ध में यह नीति आखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिकों को छोड़कर बाकी सभी वर्गों के कार्मिकों में लागू है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पारस्परिक हस्तान्तरण की नीति जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा रही है क्या वह नीति प्रदेश के अन्दर की सभी सेवाओं के ऊपर लागू होंगी या नहीं ?

श्री प्रणव सिंह–

मान्यवर, जो पारस्परिक हस्तान्तरण नीति का मापदण्ड है उसके अन्तर्गत आपके पास मध्य प्रदेश का भी गजट है और उत्तर प्रदेश का भी गजट है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड सरकार किस नीति के तहत कार्यवाही सम्पन्न करेगी और उसकी आधारशिला क्या होगी ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मंत्रिपरिषद् द्वारा निर्णय लिया जा चुका है हम शीघ्रातिशीघ्र उस निर्णय को लागू करेंगे।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के जो अच्छे रिकार्ड वाले कर्मचारी हैं उनको यहाँ रखने पर विचार किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न यह है कि दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत कुल कितने प्रकरण हैं और हाईकोर्ट के जिन्होंने स्टे प्राप्त किया है कितने प्रकरण हैं, साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि कार्मिकों की कमी की वजह से कुल कितने कार्मिकों को रोका गया है ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं प्रत्येक विभाग का विवरण यहाँ पर पढ़ कर सुना दे रहा हूँ। आप स्वयं जोड़ लें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी, आप जोड़कर बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आपके पास विभागों की सूची उपलब्ध है वह माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं पूरी सूची आपको उपलब्ध करा दूँगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अच्छे रिकार्ड वाले जो कार्मिक हैं, उन्हें यहाँ पर रोकने पर कोई निर्णय लिया जा रहा है ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, अन्तिम आवंटन सूची, जितने प्रकरण हैं और जो राज्यों की आवंटित सूची हैं उन प्रकरणों को उसी के अनुसार आवंटित किया जायेगा। हमने चार कैटेगिरी बनाई हैं। जिसके आधार पर एक हजार सात सौ तीन कार्मिक यहाँ पर रूके हुए हैं उन पर विचार किया जा रहा है, दाम्पत्य प्रकरणों पर और हाईकोर्ट से स्थगन आदेश पर नियमानुसार जो कार्यवाही होगी, वह की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी की जिज्ञासा रह गयी है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया था कि जो सरकार द्वारा विभागों/संवर्गों के अन्तिम रिकार्ड अधिकारियों का लिया जा रहा है उनका मापदण्ड क्या है ?

*श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सरकार कर्मचारियों के आवंटन के बारे में सोच रही है और दाम्पत्य नीति एवं विचाराधीन पारस्परिक स्थानान्तरण तथा कार्मिकों की कमी के कारण कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो कार्मिकों के आने–जाने का आवंटन किया जा रहा है उसमें पति का या पत्नी का पलड़ा भारी रहेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि पति और पत्नी दोनों का पलड़ा बराबर रहेगा।

*श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि शव विच्छेदन का कार्य चिकित्सालय परिसर में स्थित टिन शैड, जिसमें कि मृत व्यक्तियों को रखा जाता है, में सम्पादित किया जा रहा है ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

जी हाँ, भवन निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध होने पर।

श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, समय सीमा क्या रहेगी ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, इसमें सीमा निर्धारित करना सम्भव नही है। मान्यवर, भवन हेतु भूमि उपलब्ध होते ही भवन का निर्माण कराया जायेगा।

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पोस्ट मार्टम गृह बनाये जा रहे हैं उनके क्या मानक हैं ? मान्यवर, जिस प्रकार से प्रदेश के कई तहसीलों व जिलों में शव विच्छेदन गृह नही हैं वहाँ पर भी बनाये जायेंगे ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, ऐसी जगह जहाँ पर मानक के रूप में नहीं आते हों उन जिलों के मुख्यालयों में और तहसील के मुख्यालयों में भी भविष्य में शव विच्छेदन गृह बनाये जायेंगे।

नोट– *वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, जहाँ–जहाँ पर पोस्ट मार्टम गृह पूर्व में नहीं हैं वहाँ पर शव विच्छेदन गृह बनाने की कोई योजना है या नहीं ? मान्यवर, अल्मोड़ा के अन्तर्गत जो शव विच्छेदन गृह है वह जिला अधिकारी के अधीन आता है और जब कहीं पर मृतकों की संख्या ज्यादा होती है तो वहाँ परेशानी होती है, इसके लिए सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गयी है?

*श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ऋषिकेश में शव विच्छेदन गृह प्रस्तावित है और भूमि भी आवंटित है क्या उसके निर्माण का काम प्रारम्भ होने वाला है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, उस भूमि की अभी रजिस्ट्री नहीं हो पायी है। जैसे ही रजिस्ट्री हो जायेगी कार्य प्रारम्भ किये जाने पर विचार किया जायेगा।

*श्रीमती आशा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि जहाँ–जहाँ भूमि उपलब्ध है जैसे रुद्रप्रयाग में बसुकेदार, डैडा, परकण्डा में अस्पतालों के लिए भूमि उपलब्ध है तो क्या वहाँ पर शीघ्र ही अस्पताल निर्माण कराया जायेगा ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निंशक"–

श्रीमन्, जिन स्थानों पर भूमि उपलब्ध होगी और भूमि उपलब्ध होने के साथ–साथ उसके मानक पूरे होंगे तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, देहरादून राजधानी है और यहाँ पर एक शव विच्छेदन गृह है वह उस स्थान पर स्थित है जहाँ पर जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण जनता को परेशानी होती है। उसके बारे में लम्बे समय से यह चर्चा थी कि इसको शिफ्ट किया जाए। किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर पर्याप्त स्थान हो और जनता को भी असुविधा न हो। मान्यवर, इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई और कब तक नये शव विच्छेदन गृह का निर्माण हो जायेगा ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है जैसाकि श्री चौहान जी ने कहा तो निश्चित रूप से वहाँ कठिनाई है। श्रीमन्, जब यह शव विच्छेदन गृह बना होगा उस समय वहाँ की आबादी कम रही होगी। अब परिस्थितियाँ बदल गयी हैं। इसको मैं दिखवा लूँगा और जहाँ भी स्थान उपयुक्त मिलता है तो इस पर भविष्य में विचार करेंगे।

नोट– *वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, चन्दर नगर स्थित विच्छेदन शव गृह जोकि देहरादून राजधानी का मात्र एक शव विच्छेदन गृह है और जहाँ पर यह स्थित है वह मार्ग भी बहुत संकरा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इसके लिए स्थान चयनित हो गया है। माननीय मंत्री जी जानकारी एकत्र कर लें। उनको इसकी जानकारी ही नहीं है। इससे यह पता चलता है कि सरकार इसके लिए कितनी संवेदनशील है। मान्यवर, इसको हटाने की बात तय हो गयी थी और स्थान भी चयनित है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैंने यह नहीं कहा कि इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। मैंने कहा कि विचार किया जायेगा। विचार का मतलब श्रीमन्, कार्यवाही से है। मैंने कहा कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। अब जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा तो मैं इसको दिखवा लूँगा और इसका संज्ञान लेकर विचार करके निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, प्रत्येक तहसील में शव विच्छेदन गृह बनाने की बात है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में जो जिला मुख्यालय है वह तहसीलों से बहुत दूर हैं। जब तक वहाँ पर शव ले जाया जाता है तब तक उसकी हालत खराब हो जाती हैं इसलिए श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूँ कि मान्यवर, ऐसे तहसीलों में माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कब तक शव विच्छेदन गृह बनाने की योजना बना देंगे ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मैंने पहले भी कहा कि तहसील स्तर पर जिनमें सामुदायिक केन्द्र आते हैं, इन सामुदायिक केन्द्रों तक शव विच्छेदन गृह बनाने पर सरकार विचार कर रही है और इसके लिए जमीन थोड़ी अस्पताल के पास हो तो अच्छा है, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्रों में जमीन मिल रही होती है, लेकिन वह असुविधाजनक होती है। मान्यवर, पहले चरण में 6 विच्छेदन गृह हैं जहाँ तक सम्भव होगा सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर शव विच्छेदन गृह बनेगें।

*श्री खड़क सिंह बोहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ब्रिटिश काल से जो शव विच्छेन गृह हैं उनमें एक या दो शव आ सकते हैं, उनके विस्तार की कोई व्यवस्था है ? मान्यवर, अभी जब दुर्घटना हुई तो सारे शव बाहर रखे गये थे और ऊपर से वर्षा हो रही थी। मान्यवर, मेरा मानना है कि नैनीताल में शव विच्छेदन गृह के विस्तारीकरण की व्यवस्था हो, जिसमें कम से कम सौ शव रखे जा सकें।

नोट– *वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे स्थान के लिए जहाँ बहुत ज्यादा असुविधा है उन स्थानों के लिए, जहाँ पर जीर्ण–शीर्ण शव विच्छेदन गृह हैं वहाँ के लिए 120 लाख रुपये की व्यवस्था की है, इसको प्रारम्भिक रूप में दिखवा लेंगे।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, अनुपूरक प्रश्न में दो से ज्यादा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, तो इस सम्बन्ध में, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उत्तरांचल विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 44 में है कि "अनूपूरक प्रश्न माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से सदस्य प्रश्नाधीन विषय सम्बन्धी तथ्यों पर अग्रेत्तर स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे, परन्तु अध्यक्ष कोई ऐसा अनुपूरक प्रश्न अस्वीकार करेंगे, यदि उनकी राय में उससे प्रश्नों सम्बन्धी नियम भंग होते हैं।" तो इसमें कहीं पर भी बाध्यता नहीं है कि दो से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

बाध्यता नहीं है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, दो प्रश्नों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही मानवीय विषय पर प्रश्न था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। यदि सरकार के पास सूचना हो तो श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं उत्तर चाहूँगा। मान्यवर, हम सभी जनप्रतिनिधि यह महसूस करते हैं कि जब कहीं दुर्घटना होती है तो डेड बॉडी को शव विच्छेदन गृह तक लाने ले जाने के लिए भारी कठिनाई होती है और यह मानवीय वेदनाओं का प्रश्न होता है। मान्यवर, एक्सीडेंट जब होता है तो शव विच्छेदन नहीं हो पाता है और हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में व्यवस्था है कि एक्सीडेंट की साईट पर ही मोबाईल टीम भेजते हैं और एक्सीडेंट की साईट पर ही पोस्टमार्टम करते हैं। तो मैं चाहूँगा, बल्कि मैं सुझाव के रूप में कहूँगा कि क्या हमारे राज्य में दुर्घटनाओं वाले स्थलों पर इस प्रकार से पोस्टमार्टम किये जाने के लिए सरकार कोई विचार करेगी ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, वैसे जब कभी बहुत बड़ी दुर्घटना होती है तो स्वतः ही वहीं पर पोस्टमार्टम करने की व्यवस्था होती है।

श्री अध्यक्ष– प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में 'शव विच्छेदन गृह' हेतु भूमि आवंटन

*4–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में शव विच्छेदन (पोस्टमार्टम) का कार्य चिकित्सालय परिसर में स्थित टिन शैड जिसमें कि मृत व्यक्तियों को रखा जाता है, में सम्पादित किया जा रहा है ?

क्या यह सत्य है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन से बार–बार चिकित्सालय प्रांगण से बाहर भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है ?

क्या सरकार बतायेगी कि शव विच्छेदन गृह निर्माण हेतु भूमि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

जी हाँ।

जी हाँ।

मुख्य चिकित्साधिकारी तथा जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा शव विच्छेदन गृह के भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं तथा यथासम्भव शीघ्र ही इस हेतु भूमि उपलब्ध करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत खटीमा में उच्चीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण

1–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण कर एक सौ शय्या का कर दिया गया है ?

क्या यह सत्य है कि भूमि अभाव के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त अस्पताल का निर्माण किसी अन्य स्थान पर कराया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

जी हाँ।

जी हाँ। पूर्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खटीमा के नये भवनों का निर्माण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में पुराने भवनों को तोड़कर उसके स्थान पर किया

जाना स्वीकृत किया गया था, किन्तु स्थानीय जनता इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को अन्यत्र सरकारी भूमि पर चाहती है। जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर से इसकी जाँच कराकर शीघ्र ही उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर में एनेस्थेटिक चिकित्सक के पद पर तैनाती

2–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर में ऐनेस्थेटिक चिकित्सक का पद रिक्त है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में ऐनेस्थेटिक, चिकित्सक की तैनाती सुनिश्चित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खटीमा में ऐनेस्थेटिक, चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर अन्तर्गत श्री सेमनागराजा को धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु कार्य योजना

3–विजय सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर अन्तर्गत श्री सेमनागराजा को धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर उत्तराखण्ड के पांचवे धाम के रूप में विकसित करने हेतु कार्ययोजना बनायी जायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पंत–

जी नहीं।

किसी भी धार्मिक स्थल को धाम के रूप में घोषित व विकसित करना सरकार के लिए उचित नहीं है। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों/यात्रियों के लिए विभिन्न अवस्थापना

सुविधाओं के विकास हेतु कार्यवाही की जाती है। सेममुखेम स्थल को धार्मिक पर्यटन के महत्व के दृष्टिगत सेममुखेम पैदल मार्ग के विकास हेतु रु0 9.70 लाख की स्वीकृति की गयी, इसके अतिरिक्त जनपद उत्तरकाशी के खाण्ड से सेममुखेम पर्यटक स्थल तक ट्रैक मार्ग के निर्माण व सौन्दर्यीकरण हेतु रु0 18.77 लाख की योजना स्वीकृत की जा चुकी है।

जनपद टिहरी के वि0ख0 प्रतापनगर में तीर्थस्थल दिन्याली देवी, ओणेश्वर महादेव आदि स्थानों को पर्यटन सर्किट से जोड़ना

4–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड प्रतापनगर में प्रसिद्ध तीर्थस्थल दिन्याली देवी, ओणेश्वर महादेव आदि स्थानों को पर्यटन सर्किट से जोड़ा जायेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पंत–

जी नहीं।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद उत्तरकाशी में जिला चिकित्सालय में चिकित्साधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति

5–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में जिला चिकित्सालय में चिकित्साधिकारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? तथा वर्तमान में कुल कितने पद चिकित्साधिकारियों के रिक्त चल रहे हैं ?

क्या सरकार बतायेगी कि रिक्त पदों पर चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति कब तक कर ली जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जनपद उत्तरकाशी में जिला चिकित्सालय में चिकित्साधिकारियों के कुल 34 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में चिकित्साधिकारियों के 16 पद रिक्त हैं।

लोक सेवा आयोग में चयन प्रक्रिया गतिमान है। आयोग से चयनित चिकित्साधिकारियों की संस्तुति के पश्चात् चिकित्साधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर यथासम्भव नियुक्ति कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती सरस्वती टम्टा भूतपूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार

मुख्यमंत्री (श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी)–

माननीय अध्यक्ष जी, स्व0 श्रीमती सरस्वती टम्टा पत्नी स्व0 श्री बिहारी लाल टम्टा का जन्म 20 जनवरी, 1932 को ग्राम खरही, जिला बागेश्वर में हुआ था। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा ग्राम खरही, बागेश्वर, उत्तराखण्ड से तथा विद्या विनोदनी लखनऊ से 10वीं की शिक्षा उत्तीर्ण की। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही वे समाज सेवा में लग गई। वे जिला परिषद् अल्मोड़ा की सदस्य भी रही और उस दौरान उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1969 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होकर बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया तथा वर्ष 1974 में वे बागेश्वर से ही पुनः कांग्रेस पार्टी से टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई। इस प्रकार से पहली बार 26–02–1969 से 03–03–1974 तथा दूसरी बार 03–03–1974 से 30–04–1977 तक बागेश्वर निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य रही। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र का कुशलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया। श्रीमती सरस्वती टम्टा का 01 मई, 2007 को प्रातः 2:30 बजे उनके वर्तमान निवास डोबानौला, अल्मोड़ा में निधन हो गया। वे 75 वर्ष की थी, उनके दो पुत्र तथा तीन पुत्रियां हैं।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जो विचार श्रीमती सरस्वती टम्टा के निधन पर व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूँ। स्व0 श्रीमती सरस्वती टम्टा का जन्म 20 जनवरी, 1932 में हुआ था। मान्यवर, आजाद हिन्दुस्तान के पहले का उनका जन्म है। मैं सोचता हूँ तब महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा की ओर शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो। मान्यवर, पूरा देश आजादी के आन्दोलन में आन्दोलनरत था, ऐसे समय में एक अनुसूचित जाति परिवार में पैदा हुई लड़की ने अगर हाईस्कूल तक शिक्षा ग्रहण की है तो यह निश्चित रूप से आजाद हिन्दुस्तान की महिलाओं के लिए प्रेरणादायी है।

स्व0 श्रीमती सरस्वती टम्टा का जीवन एक चुनौतीपूर्ण था। एक अनुसूचित जाति परिवार में पैदा हुई महिला 10वीं पास करने के बाद राजनीति में आयी। मान्यवर, स्व0 राजीव गाँधी जी ने पंचायती राज का सपना देखा था। मान्यवर, आज महिलाएं पंचायतों में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। स्व0 श्रीमती सरस्वती टम्टा के समय में यह व्यवस्था लागू नहीं थी। उस समय उन्होंने जिला पंचायत का प्रतिनिधित्व किया यह अपने आप में इस उत्तराखण्ड की महिलाओं के लिए और देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मान्यवर, आज जो महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रतिनिधित्व कर रही हैं, निश्चित रूप से उनको भी आज स्व0 श्रीमती सरस्वती टम्टा से बल मिलेगा।

मान्यवर, यह अपने उत्तराखण्ड का सौभाग्य रहा। उत्तर प्रदेश और सारे देश का सौभाग्य रहा कि एक दलित परिवार में पली–बढ़ी महिला युवावस्था में 1969 में पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में बागेश्वर से सदस्य चुनी गयी। यह अपने आप

में किसी कीर्तिमान से कम नहीं है। आज हम इस वैज्ञानिक युग में अन्तरिक्ष में जाने की बात कर रहे हैं, ओलम्पिक में जाने की बात कर रहे हैं। 1969 में लोकतांत्रिक व्यवस्था में उत्तर प्रदेश जैसे 425 सदस्य संख्या वाले सदन में कोई अनुसूचित जाति की महिला दूरस्थ स्थल से चुन कर जाए, यह निश्चित रूप से एवरेस्ट में चढ़ने से कम नहीं है। दूसरी बार 1974 में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में चुनी गयी। यह अपने आप में उन्होंने इतिहास को दोहराया है। 75 वर्ष की उम्र, वैसे कलियुग की जो हमारी एवरेज एज्र है, उसके अनुसार तो ठीक हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी श्री तिवारी जी ने 82 वर्ष की उम्र में 5 वर्ष तक प्रदेश को आगे बढाया है। माननीय खण्डूडी जी आपकी उम्र क्या है ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

मान्यवर, सार्वजनिक रूप से पूछ रहे हैं क्या ? मैं 74 वें साल में हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने 74वें साल में इस विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले प्रदेश को संभाला हुआ है। अगर इन परिस्थितियों का आंकलन करें तो 75 वर्ष की उम्र कोई अधिक नहीं होती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता, जिनको राजनीतिक और सामाजिक जीवन का लम्बा अनुभव था, अगर वह हमारे बीच में और अधिक समय जीवित रहती तो निश्चित रूप से सामाजिक आर्थिक और विशेषकर महिलाओं के उत्थान के कार्यों में उनका लाभ हमको मिलता। प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन विशेषकर समरसता परक समाज की स्थापना में उनका लाभ मिल सकता था। लेकिन यह दुर्भाग्य है। काल के आगे हम सब नतमस्तक है और शायद नेचर को यही कबूल था। इस सच्चाई को हम सब स्वीकार कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, आज हम बड़े दु:खी मन से अपने और अपनी कांग्रेस पार्टी के विधान मण्डल दल की ओर से और प्रतिपक्ष की ओर से आपके माध्यम से शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। सरस्वती टम्टा जी के परिवार को हमारी भावनाओं से अवगत कराने का कष्ट करें। मुझे विश्वास है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव के लिए जो उनकी सोच थी, उन सबसे हम पूरे सदन के सदस्य प्रेरणा लेकर उनकी कीर्ति को धरोहर के रूप में आगे बढ़ायेंगे। धन्यवाद।

श्री शहजाद–

मान्यवर, स्व0 सरस्वती टम्टा पत्नी स्व0 श्री बिहारी लाल टम्टा का जन्म 20 जनवरी, 1932 को ग्राम खरही, जिला बागेश्वर में हुआ था। उन्होंने आठवीं तक की शिक्षा ग्राम खरही, जिला बागेश्वर, उत्तराखण्ड में तथा विद्या विनोदिनी लखनऊ से दसवीं की शिक्षा उत्तीर्ण की। दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही वे समाज सेवा में लग गई। वे जिला परिषद्, अल्मोड़ा की सदस्य भी रहीं और उस दौरान उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1969 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होकर बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया तथा वर्ष 1974 में वे बागेश्वर से पुनः कांग्रेस पार्टी

के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई। इस प्रकार वे पहली बार 26–02–1969 से 03–03–1974 तक दूसरी बार 03–03–1974 से 03–04–1977 तक बागेश्वर निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्य रहीं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र का कुशलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया।

श्रीमती सरस्वती टम्टा का 1 मई 2007 को प्रातः 02:30 बजे उनके वर्तमान निवास डोबानौला, अल्मोड़ा में निधन हो गया। वे 75 वर्ष की थी। उनके दो पुत्र तथा तीन पुत्रियां हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने दल की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष से अपने आपको और अपने दल को संबद्ध करते हुए संवेदना व्यक्त करता हूँ।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने को एवं अपने दल की भावनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी की भावनाओं के साथ संबद्ध करता हूँ एवं आपसे अनुरोध करता हूँ कि स्वर्गीय सरस्वती टम्टा जी के परिवार तक मेरे दल की शोक संवेदना पहुँचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

स्वर्गीय सरस्वती टम्टा जी, जिनका निधन विगत 1 मई, 2007 को प्रातः 2:30 बजे उनके वर्तमान निवास स्थान डोबानौला, अल्मोड़ा में हो गया है। वे 2 बार उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्या रही बागेश्वर निर्वाचन क्षेत्र से और इस दौरान उन्होंने बागेश्वर निर्वाचन क्षेत्र की ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की सेवा की। वह अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखती थी और हम सब इस बात से अवगत ही हैं कि किन परिस्थितियों में और विशेषकर महिलाओं में बिरला ही निर्वाचन की हिम्मत जुटा पाता है। उनका जो योगदान सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में रहा है, उसे कोई नकार नहीं सकता है। उनकी जब मृत्यु हुई वे 75 वर्ष की थी और उनके 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियां हैं।

माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी एवं माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी ने अपनी–अपनी भावनायें व्यक्त की हैं। उन सबकी भावनाओं को सम्मिलित करते हुए यह संवेदना संदेश उनके परिवार तक पहुँचा दिया जायेगा। अब मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखें।

(दो मिनट का मौन रखा गया।)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। पिछले पाँच वर्षों से देखने में आ रहा है कि एजेण्डा की एक कापी हमें यहाँ उपलब्ध करायी जाती थी और एक कापी घर पर भेजी जाती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर हमें इसकी कापी उपलब्ध नहीं करायी जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

यह उपलब्ध करा दी जायेगी। कार्यसूची, माननीय मंत्रियों के उत्तर के साथ उपलब्ध करा दी जायेगी।

वर्ष 2005–06 का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा वर्ष 2005–2006 का सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

संसदीय कार्यमंत्री (श्री प्रकाश पंत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 8 (3) के अन्तर्गत वर्ष 2005–2006 का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा वर्ष 2005–2006 का सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखता हूँ।

अधिष्ठाता मण्डल का गठन

श्री अध्यक्ष–

प्रक्रिया नियमावली के नियम–10 के अन्तर्गत मैं वर्ष 2007–2008 के लिए अधिष्ठाता मण्डल हेतु निम्न माननीय सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करता हूँ। माननीय श्री केदार सिंह फोनिया, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री नारायण पाल, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री मुन्ना सिंह चौहान और श्रीमती विजय बडथ्वाल।

नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत श्री राजेश जुवांठा, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्रीमती विजय बडथ्वाल, श्री गगन सिंह रजवार, श्री राजकुमार सिंह, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री गणेश जोशी, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री करन मेहरा, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री खजान दास जी की कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री राजेश जुवांठा, श्रीमती विजय बडथ्वाल, श्री राजकुमार सिंह, श्री गणेश जोशी, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री करन मेहरा, श्री खजान दास की सूचनाओं को नियम 300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं।

उत्तरकाशी के वि0ख0 पुरोला अन्तर्गत स्व0 बर्फिया लाल जुवांठा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेश जुवांठा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मेरी सूचना को नियम 300 के अन्तर्गत स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी के पुरोला

नोट– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड पुरोला के अन्तर्गत स्व0 बर्फिया लाल जुवांठा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरोला क्षेत्र का एकमात्र सी0एच0सी0 है, जहाँ पर सुदूरवर्ती क्षेत्र वि0ख0 मोरी, पुरोला व नौगाँव की जनता अपना उपचार करवाने आती है। यह एक पिछड़ा क्षेत्र है तथा स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण क्षेत्रीय जनता का उपचार सुचारू रूप से नही हो पा रहा है तथा इनको उपचार हेतु पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में जाना पड़ता है।

इस अति लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना चाहूँगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्रदान कर पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित करने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत चार वर्षों से स्वीकृत तिमल्याणी भृगूखाल मोटर मार्ग निर्माण अविलम्ब कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रखण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत तिमल्याणी भृगूखाल मोटर मार्ग विगत चार वर्षों से स्वीकृत हैं। इस मोटर मार्ग के बनने से कई गाँवों को यातायात की सुविधा मिलनी थी। इन गाँवों की जनता को कई किलोमीटर पैदल चल कर मुख्य मार्ग तक पहुँचना होता है। लेकिन चार वर्ष बीत जाने पर भी विभाग द्वारा इस मार्ग की निर्माण प्रक्रिया बन्द है। जिससे उस क्षेत्र की जनता अपने को उपेक्षित महसूस कर रही है और जनता के बीच में अविश्वास का वातावरण बना है। बीमार व विकलांग व्यक्ति कहीं आने जाने में असमर्थ हैं। यह मोटर मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः उक्त मोटर मार्ग का निर्माण समय पर कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना पर सदन का ध्यानाकर्षित करते हुए तिमल्याणी भृगूखाल मोटर मार्ग अविलम्ब निर्माण कराये जाने की कार्यवाही की माँग करती हूँ।

सहसपुर वि0स0 क्षेत्रान्तर्गत हजारों चाय बागान मजदूरों को भूमि पर मालिकाना हक न मिलने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजकुमार–

मान्यवर, सहसपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चन्द्रवनी, चोइला क्षेत्र एवं चाय बागान क्षेत्र में हजारों निवासियों को अपनी भूमि का मालिकाना हक नहीं है, जबकि इन मजदूरों के पूर्वज लगभग सौ वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, लेकिन आज इन्हें चाय बागान मालिकों द्वारा डरा–धमका कर भगाया जा रहा है, न ही इन्हें अपने आवासों

नोट– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में किसी भी प्रकार का कनेक्शन मिल पा रहा है, विभागीय अधिकारी इन मजदूरों से जमीन की रजिस्ट्री माँग रहे हैं। जिस से इन हजारों चाय बागान मजदूरों पर जीवन संकट का खतरा मंडरा रहा है तथा हमेशा घर से बेघर होने का डर बना रहता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के तात्कालिक प्रश्न पर आज सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही की माँग करता हूँ।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नये कनेक्शन स्वीकृत करने हेतु स्वामित्व का प्रमाण–पत्र माँगे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले नये कनेक्शन स्वीकृत करने के लिए भूमि स्वामित्व का प्रमाण–पत्र माँगा जा रहा है, जिससे कमजोर एवं गरीब तबके के मूल निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी कई बार शासन–प्रशासन को अवगत कराया गया है। लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही न होने के कारण स्थानीय जनता में भारी रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर आज सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही की माँग करता हूँ।

जनपद टिहरी की तहसील घनसाली के अन्तर्गत पहाड़ से फिसलकर श्री जबर सिंह की मृत्यु तथा उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील घनसाली के ग्राम सभा जखाणा लौटजाली तोक में दिनांक 13–03–2007 को भीम सिंह पुत्र जबर सिंह बकरी चुगाने गया था। वह पहाड़ से फिसल कर दुर्घटनाग्रस्त होकर मृतक हो गया और अपने पीछे नाबालिक बच्चे अर्जुन सिंह, मकान सिंह और दुला तथा विधवा पत्नी को निराश्रित बेसहारा छोड़ गये, इनके गुजर–बसर का कोई साधन नहीं है।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय तात्कालिक लोक महत्व की सूचना को नियम 300 के अन्तर्गत ग्राह्य कर सरकार को आपदा प्रबन्धन मद या अन्य मद से आर्थिक राहत/सहायता राशि देने हेतु प्रभावी निर्देश निर्गत करने की कृपा करें। इस अविलम्बनीय कार्य स्थगन की सूचना पर चर्चा कराने की माँग करता हूँ।

उत्तराखण्ड के अग्निशमन विभाग (फायर बिग्रेड) का संगठनात्मक ढांचा अभी तक स्वीकृत न होने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्री करन मेहरा–

उत्तराखण्ड बने हुए लगभग सात वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। अग्निशमन विभाग आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विभाग है।

नोट– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तराखण्ड के अग्निशमन विभाग (फायर बिग्रेड) के कर्मचारियों/अधिकारियों का ढांचा अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है, जबकि उत्तराखण्ड के अग्निशमन विभाग में नियुक्त उत्तर प्रदेश के समय के अधिकारी/कर्मचारी या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या उत्तर प्रदेश जा चुके हैं। अभी तक न तो कर्मचारी स्तर पर तथा न ही अधिकारी स्तर पर किसी प्रकार की नई भर्ती की गई है, जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश फायर बिग्रेड में अधिकारियों/कर्मचारियों की भारी कमी है। इस कारण फायर बिग्रेड अधिकारियों/कर्मचारियों में भारी निराशा का भाव बना हुआ है, जबकि अग्निशमन विभाग आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विभाग है।

अतः इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए चर्चा कराने की माँग करता हूँ।

जनपद टिहरी के विकास खण्ड जौनपुर की लालूरपुर पट्टी, पम्पिंग योजना निर्माण के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्री खजान दास–

मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत लालूर पट्टी के क्रमशः 14 गाँवों, बिरोड़, म्याणी, देवन, घनसी, ढकरोल, सल्टवाड़, भिरियागाँव, खड़कसारी, छानी, डिकरी, मातली, मनोग, कैन्थ, हड़ियागाँव पेयजल जैसी मूलभूत समस्या से त्रस्त है। इस सम्बन्ध में स्थानीय जनप्रतिनिधि, जनता तथा क्षेत्रवासी यमुना नदी से पम्पिंग योजना की माँग विगत 10 वर्षों से लगातार सरकार से करते चले आ रहे हैं। किन्तु आज तक भी उक्त क्षेत्रवासियों की पेयजल की माँग पूरी नहीं हो पायी है, जो कि जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकहित के प्रश्न पर शीघ्रता से कार्यवाही की माँग की जाती है।

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 02 जुलाई, 2007 की बैठक में दिनांक 03 जुलाई, 2007 से दिनांक 05 जुलाई, 2007 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है:–

जुलाई, 2007

03, मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2007–2008 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।
04, बुधवार	वित्तीय वर्ष 2007–2008 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।
05, गुरूवार	1. वित्तीय वर्ष 2007–2008 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।
	2. विधायी कार्य।

(1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

(2) उत्तराखण्ड जिला योजना समिति विधेयक, 2007 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 58 के अन्तर्गत कुल 06 सूचनाएं माननीय सदस्यों की प्राप्त हुई है। उनमें से पहली सूचना माननीय श्री राजेश जुवांठा, दूसरी सूचना मौ0 शहजाद, श्री हरिदास, चौ0 यशवीर सिंह और हाजी मौ0 तस्लीम अहमद, तीसरी सूचना माननीय डा0 हरक सिंह रावत, माननीय श्री रणजीत सिंह रावत, माननीय श्री दिनेश अग्रवाल, माननीय श्री बलवीर सिंह नेगी, माननीय श्री करन मेहरा, माननीय श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, माननीय श्री जोत सिंह गुनसोला और माननीया श्रीमती अमृता रावत, चौथी सूचना काजी निजामुद्दीन, माननीय श्री प्रेमानन्द महाजन और माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश, पाँचवी सूचना माननीय श्री नारायण पाल और छठी सूचना माननीया श्रीमती अमृता रावत जी की है।

मैं इनमें से पहली सूचना माननीय डा0 हरक सिंह रावत तथा अन्य माननीय सदस्यों की दूसरी सूचना माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश, माननीय श्री प्रेमानन्द महाजन, माननीय काजी निजामुद्दीन तथा माननीय श्री नारायण पाल तथा तीसरी सूचना माननीय श्रीमती अमृता रावत की सूचना को नियम 58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

माननीया श्रीमती अमृता रावत जी, आपकी नम्बर तीन पर भी सूचना है और नम्बर छह में भी अलग से सूचना दी है। आपको अपनी केवल एक सूचना पर बोलने का अवसर दिया जायेगा।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, बीरोंखाल वाली सूचना पर मैं अपनी बात को सदन के सम्मुख कहूँगी।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं माननीय सस्दयों से निवेदन करूँगा कि वे एक–एक करके अपनी सूचनाओं का उल्लेख करें।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी कृपा करके उसे भी स्वीकार करें।

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य अपनी–अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी बात को जोर–जोर से कहने का प्रयास करने लगे) (शोर)

श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी की पुरोला विधान सभा क्षेत्र में विकासखण्ड पुरोला के अन्तर्गत कमल नदी में प्रतिवर्ष अति वर्षा से बाढ़ आने के कारण नदी के दोनों ओर किसानों की कृषि योग्य भूमि का कटाव होता रहता है। यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है व क्षेत्र का एकमात्र रोजगार कृषि है तथा कृषि भूमि के कटाव से काश्तकारों को काफी नुकसान हो रहा है। नदी के दोनों ओर भूमि कटाव को रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य करवाया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

इस अति लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना चाहूँगा कि काश्तकारों की भूमि कटान को रोकने हेतु तत्काल सुरक्षात्मक कार्य करवाने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

कृषि मंत्री *(श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी विकासखण्ड पुरोला क्षेत्र के अन्तर्गत कमल नदी में गत वर्षों में जलागम प्रबन्ध इकाई, बड़कोट उत्तरकाशी द्वारा निम्न स्थानों/ग्रामों में सुरक्षा कार्य कराये गये।

1. स्वील, चपराड़ी

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, विकासखण्ड पुरोला से दूरभाष पर इस संदर्भ में दी गयी जानकारी के अनुसार कमल नदी में निम्न स्थानों/ग्रामों में सुरक्षा कार्य कराये गये।

1. कमल नदी मुख्य बाजार क्षेत्र।

2. ग्राम गुन्डाड़ा, अंगोड़ा, मोल्टाड़ी, भद्राली, ब्यौरा।

3. वर्ष 2007–08 में राजकीय अस्पताल के पास तथा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पास कार्य किया जा रहा है।

नोट– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्तमान में सिंचाई विभाग द्वारा कमल नदी क्षेत्र में कार्य कराया जा रहा है। अतः कमल नदी के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी बजट उपलब्धता के अनुरूप सिंचाई विभाग द्वारा कार्य कराया जाना उचित होगा।

श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि कमल नदी क्षेत्र में कार्य करवाया जा रहा है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो कमल नदी का क्षेत्र है वह 20 किमी0 के अन्तर्गत आता है और जो सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है वह मात्र बाजार क्षेत्र में ही की गयी है। मान्यवर, इस नदी के अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि है जहाँ फल, सब्जी आदि फसलें होती हैं। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में कटाव होने से कृषि को काफी नुकसान हो रहा है इसलिए इस क्षेत्र में शीघ्रताशीघ्र कार्यवाही की जाय।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह क्षेत्र कृषि योग्य है। धनराशि उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जायेगी।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह जो सरकार ने आबकारी नीति बनाई है वह माफियाओं को लाभ पहुँचाने के लिए आबकारी नीति को बनाया गया है। जब इस सरकार की आबकारी नीति आई थी हमने अपने साथी विधायकों के साथ मिलकर पूरे प्रदेश की जनता को पत्रकार भाईयों के माध्यम से अपनी पार्टी की मंशा को जाहिर किया था। क्योंकि यह आबकारी नीति ऐसा एहसास करा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बात करती थी, धार्मिक भावनाओं की, प्रदेश की जनता को पेयजल और प्यास बुझाने की बात करती थी। हमनें तो शुरू–शुरू में नारा दिया कि पानी प्यास नहीं बुझा पा रही है लेकिन शराब, यह सरकार सस्ती दरों पर उपलब्ध करा रही है लेकिन हमें इस नारे में परिवर्तन करना पड़ा। मान्यवर, माननीय आबकारी मंत्री जी, जो शायद शराब की कीमत से वाकिफ होंगे, मुझे नहीं मालूम है लेकिन निश्चित रूप से हम, बाजार में इसकी क्या कीमत है उससे वाकिफ हो सकते हैं लेकिन अपने सहयोगियों से, यहाँ पर सहयोगियों का तात्पर्य विधायकों से नहीं है।

मान्यवर, इस सरकार ने सबसे ज्यादा फायदा शराब माफियाओं का किया है जिस प्रकार से इन्होंने आबकारी नीति बनाई है, जो शराब सस्ती दरों पर प्रदेश की जनता को उपलब्ध कराई जा रही थी लेकिन दुर्भाग्य है कि शराब माफियाओं के हिसाब से यह नीति बनाई है। एफ0एल0–2 का काम डिस्टलरियों को दिया जाता है लेकिन आज शराब की दुकानें चाहे वे देशी हो या अंग्रेजी, उनके यहाँ जो शराब उपलब्ध है, वह एक सीमित ब्राण्ड की शराब उपलब्ध है। मेरी जानकारी में यह भी आया है कि शराब की कीमतें कम होने के बजाय बढ़ी हैं। घटिया शराब दी जा रही है। मान्यवर, शराब माफियों

के हिसाब से यह नीति बनाई गई है। मान्यवर, उत्तराखण्ड के बेरोजगार को ध्यान में रख कर माननीय तिवारी जी के नेतृत्व में जो आबकारी नीति बनी थी उसमें खुली तरह से बेरोजगार नौजवानों को न्यौता दिया था कि जो बेरोजगार नौजवान आवेदन करना चाहता है उसके लिए रु0 200 शुल्क के रूप में रखा गया था लेकिन इस सरकार ने इसका शुल्क रु0 10,000 रखा है। जब हमने इस पर बहुत हो–हल्ला किया तो इसको घटाकर रु0 7500 कर दिया गया। मान्यवर, इस सरकार ने दुकान खुलने का समय 9 बजे से 5 बजे रखा। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है।

मान्यवर, जो कर्मचारी हैं और घर से टिफिन लाते हैं और आफिस से छूटते उनको देर हो जाती है। अगर उनको मदिरापान करना है तो वे मान्यवर, या तो लंच में, शराब दिन में लेंगे या शाम को दराज से निकालकर घर ले जायेंगे। मान्यवर, सरकार ने समय 9.00 बजे से 5.00 बजे कर दिया, आप दुकानों की बिक्री देख लें बिक्री 7.00 बजे से लेकर 10.00 बजे तक होती है, अभी ऐसा नहीं है कि बिक्री नहीं हो रही है। मान्यवर, 8.00 बजे के बाद बर्थ–डे पार्टी होती है, आज वनडे मैरिज होती है लेकिन ज्यादातर शादियां 8.00 बजे के बाद होती है। चाहे रिस्पेशन हो, चाहे विधायकों की पार्टी हो, चाहे पत्रकारों की पार्टी हो सब 8.00 बजे के बाद होती हैं। मान्यवर, किसी को पार्टी देना है विशेषकर गाँवों में पार्टी देनी है तो उसमें अच्छी से अच्छी सब्जियाँ खाना बना देंगे फिर भी लोग पूछते हैं कि 'उसकी' व्यवस्था है तो हम कहते हैं कि हम खुद भी नही लेते हैं तो लोग कहते हैं कि मजा नहीं आया, तो हमको चिन्ता करनी पड़ेगी। 8.00 बजे दुकान बन्द हो जायेगी तो हमको दिन में खरीदकर रखना पड़ेगा।

मान्यवर, बहुत सारे सफेदपोश हैं जिन को दिन में जाने में सोचना पड़ता है, 8.00 बजे के बाद अंधेरे में चले जाते हैं। मान्यवर, 8.00 बजे के बाद भी शराब बिक रही है। एस्ले हॉल में दुकान का शटर बन्द हो गया लेकिन चारों तरफ इर्द–गिर्द अद्धा, पौवा को दुगनी कीमत पर लोग खरीदतें हैं। इससे प्रदेश के राजस्व की हानि होगी और लोगों को खराब शराब मिल रही है। मान्यवर, चोरी–छिपे हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की शराब आ रही है। मान्यवर, अभी काशीपुर के पास एक चौराहे का नाम शराब चौराहा कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊधमसिंह नगर के बॉर्डर पर दुकान खोल दी जिससे सभी लोग वहाँ से लेते हैं। मान्यवर, आपका लक्ष्य भी बड़ा नहीं है, मैं इसे बजट भाषण में भी कहूँगा। आपने 417 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा, पिछली सरकार में ज्यादा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजस्व मिला ही जा रहा है। मान्यवर, एफ0एल0–2 मार्कों को चिन्हित कर दिया है इससे निश्चित रूप से मुझे कहने में संकोच नहीं है कि जो 417 करोड़ रुपये का लक्ष्य है उस लक्ष्य से कोसों दूर सरकार रह जायेगी।

मान्यवर, अभी यह पूरा प्रदेश सदन के माध्यम से चाह रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि सरकार पानी दूध की नदियां बहाने की बात कर रही है तो नलों में पानी भी नहीं है तो शराब में भी कंजूसी कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारे आग्रह को स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि यह बहुत चिन्ता का विषय है और इस पर सरकार को मनन करना चाहिए। मान्यवर, आबकारी नीति में परिवर्तन होना चाहिए। आम लोग माफियाओं के चुंगल में फंस रहे हैं। मान्यवर, आपकी सरकार का पहला लक्ष्य

होना चाहिए था माफियाओं के हाथ से शराब व्यवसाय को हटाने का। माननीय तिवारी जी ने भी यही किया था। तिवारी जी ने कोशिश की थी लेकिन अब आपकी सरकार उनकी नीतियों को आगे नहीं बढ़ाती है तो उनको ध्वस्त भी न करें।

मान्यवर, मैं इसको एक संयोग ही कहूँगा कि हरिद्वार जनपद में पूर्णतः मद्य निषेध है, लेकिन आबकारी मंत्री उसी क्षेत्र का बनाया गया है। मान्यवर, एक विडम्बना यह भी है कि आबकारी और शिक्षा दोनों विभाग का मंत्री भी उन्हीं को बनाया गया है। मान्यवर, दिन भर माननीय मंत्री जी बच्चों को कहेंगे पढ़ाई करो और शाम को आबकारी नीति के बारे में बतायेंगे। मान्यवर, यह तो विरोधाभास है। मान्यवर, नीतियों में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। माननीय मंत्री जी ने मद्य निषेध पर एक लाईन से ज्यादा नहीं बोला है। यह जो त्रुटियाँ हो रही हैं, गड़बड़िया हो रही है कैसे समझ में आयेंगी ? माननीय अध्यक्ष जी, आबकारी नीति से प्रदेश को बहुत राज्यांश मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ इसमें कोई ऐसी नीति बनायी जाय जिससे प्रदेश के नौजवानों का हित हो। इस नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने चाहिए, माफियाओं के चुंगल से यह नीति मुक्त होनी चाहिए।

श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी......... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाईये।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य नये हैं, इसलिए इनको बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, अब नेता प्रतिपक्ष के बाद बोलने कोई महत्व नहीं है।............(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया था, माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष की बातों से अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, जो फुटकर दुकानों का आवेदन शुल्क 7500/– रु0 रखा गया है, इससे प्रदेश को काफी राजस्व की हानि हुई है। मान्यवर, पिछली बार हमें 01 लाख 84 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे और इस बार 16000 आवेदन आये अर्थात् 91 प्रतिशत आवेदक स्पर्धा से बाहर हो गये और माफियाओं की कामयाबी की सम्भावनाओं में 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूसरी बात माफियाओं को संरक्षण देने की यहाँ पर कही गयी है। मान्यवर, एक ही

माफिया का 55 दुकानों पर कब्जा हो गया। मान्यवर, शराब व्यवसाय आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गया है और जो बेरोजगार युवक हैं, उनको रोजगार नहीं मिला है। शराब माफिया आबकारी नीति पर हावी हैं। मान्यवर, आवेदन में भी कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है, यह इस बात को परिलक्षित करता है। दूसरी बात यह है कि माफियाओं और कम्पनियों को विशेष रूप से लाभ पहुँचाने की दृष्टि से केवल 15 प्रतिशत मुनाफे में बेचने की आजादी दी गयी।

मान्यवर, अन्य जो कम्पनियां हैं, उनको 30 प्रतिशत मुनाफे में अपने ब्राण्ड बेचने की छूट दी है। यह साबित करता है कि मुनाफा कम होगा तो कम बिकेगी। ए0बी0 शुगर्स लिमिटेड, इण्डिया ग्लाइकोल्स, रेडिको खेतान और मैकडोवेल्स को लाभ मिल रहा है। इसमें सरकार का मन्तव्य है, सरकार का मन है कि इनको अधिक लाभ पहुँचाया जाय। प्रदेश में इनको स्थापित करने की सरकार की मंशा है। बाजपुर, आई0जी0एल0 और दून वैली की जो कच्ची शराब है, दुकानदार को बताया गया है कि आप 33 प्रतिशत इनको लेने के लिए बाध्य हैं। क्वालिटी की बात करते हैं। यह बेचने वाले के ऊपर निर्भर होना चाहिए कि वह किस कम्पनी का माल बेचना चाहता है और किस कम्पनी का माल खरीदना चाहता है। इस बात के लिए बाध्य करना कि सारी कम्पनियों का बराबर माल लेंगे, अपने आप में यह साबित करता है कि दाल में कुछ काला है और इसमें कहीं घपला है। जी0एम0वी0एन0 और के0एम0वी0एन0 तथा उपसुल, जो पूर्व सैनिकों की संस्था है, जो पूर्व में इसका व्यापार करती थी, उनके हाथ से इसको छीन लिया गया है। इससे लगभग 10 हजार परिवारों पर प्रभाव पड़ा है। सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, जो स्वयं भी पूर्व सैनिक हैं। उनके रहते हुए पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बनायी गयी संस्था से इस चीज को छीन लेना बहुत ही अफसोसजनक है। एफ0एल0टू की जहाँ पर बात आती है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 212 दुकानें हैं और जो थोक भण्डार गृह हैं, उनकी संख्या 429 हो रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में जहाँ 3–3 दुकानें हैं, वहाँ 33–33 थोक भण्डार गृहों की स्थापना करना बड़ी..........

शिक्षा मंत्री *(श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, इससे हर ब्राण्ड मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आपको उत्तर देने का अवसर मिलेगा।

श्री करन मेहरा–

माननीय मंत्री जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बड़ी हास्यास्पद बात है। 3 दुकानों के 33 थोक भण्डार गृह, यह अव्यवहारिक है। मान्यवर, मेरा एक निवेदन और था कि इसमें जो समय की बाध्यता है कि 11 बजे से 8 बजे तक दुकान खुलेगी, इस पर मेरा यह कहना है कि जो हमारा उत्तराखण्ड राज्य है, इसमें राजस्व अर्जित करने में

नोट–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टूरिस्टों की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा यह मानना है कि जब कोई व्यक्ति बाहर से हमारे राज्य में घूमने के लिए आता है, उसके अन्दर यह साधारण सी भावना आ रही है कि रात को 8 बजे के बाद तो वाईन उपलब्ध नहीं होगी। तो यह बाहर से अपने लिए वाईन लेकर आता है। इससे बहुत बड़ा राजस्व का घाटा हो रहा है। बाहर से आने वाली शराब का लाभ भी बढ़ रहा है। इससे माफिया तथा ऐसे लोग जो शराब इधर से उधर करते हैं, उनको लाभ पहुँच रहा है।

मान्यवर, इस नीति में एक खामी और है। जोकि महत्वपूर्ण खामी नजर आती है। इसमें लिखा गया है कि "कोई भी मदिरा की दुकान स्कूल, धार्मिक स्थल, चिकित्सालय, मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग, यात्रा मार्ग एवं मलिन बस्तियों के समीप नहीं खोली जाएगी।" मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरे अपने क्षेत्र में यात्रा मार्ग में मजार के करीब शराब की दुकान थी। मैंने उसे हटाने का अनुरोध जिलाधिकारी से किया। लेकिन उसमें कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। मुझे जवाब मिला कि इसमें दूरी इंगित नहीं है कि 50 मीटर की दूरी पर या कितनी दूरी पर दुकान नहीं होनी चाहिए। इसलिए कार्यवाही नही कर सकते। मुझे 2 दिन तक इंतजार करना पड़ा। दूसरी बात, पहले नीति में यह लिखा था कि महापुरूषों की मूर्ति के पास शराब की दुकान नहीं होगी। लेकिन इस नीति में इसका जिक्र नहीं है कि महापुरूषों की मूर्ति के निकट शराब की दुकान खोली जाएगी या नहीं?

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, इस विषय पर आप बजट में चर्चा कर सकते हैं।

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, महापुरूषों की मूर्तियों से और धार्मिक स्थलों से मदिरा की दुकान की दूरी का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि कितनी दूर तक मदिरा की दुकान नहीं खोली जाएगी।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 58 की सूचना पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं अपने को माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय करन मेहरा जी से संबद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि जो सरकार ने आबकारी नीति बनाई है वह बहुत दोषपूर्ण है। पूरे प्रदेश के अन्दर वर्तमान में लोगों को यह लग रहा है कि यह आबकारी नीति शराब माफियाओं या चन्द व्यक्तियों के इशारे पर बनाई गई है। इसके साथ ही जो इन्होंने 417 करोड़ का लक्ष्य रखा है, वह भी पूरा नहीं हो पायेगा। क्योंकि इसमें बहुत खामियां हैं, जब आपकी प्राप्तियां ही नहीं होंगी तो फिर राजस्व कहाँ से प्राप्त होगा ? इस बात को मेरे साथियों ने भी कहा और मान्यवर, आप स्वयं भी परीक्षण कराकर देख लें कि किसी भी दुकान पर ब्रांडेड शराब नहीं मिल पा रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय दिनेश अग्रवाल जी, आप कृपया सूचना की ग्राह्यता पर बोलें, बजट पर चर्चा के दौरान भी आपको पर्याप्त समय मिलेगा।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हम तो यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस विषय को ग्राह्यता पर सुनते हुए चर्चा करा दीजिए। क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, जो चिन्ता अभी माननीय सदस्यों ने व्यक्त की वह सही थी, आज कई दुकानें धार्मिक स्थलों, मलिन बस्तियों, स्कूलों या बाजार के समीप खोल दी गई हैं, जिससे वहाँ के लोगों को कष्ट है, माँ बहनों को आने जाने में परेशानी हो रही है। मेरा अनुरोध है कि इस बिन्दु को विशेष रूप से देखा जाय। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मेरा अनुरोध है कि नियम 58 में इसको ग्राह्य करते हुए इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैं समझता हूँ कि इस सूचना पर लगभग सभी बातें आ चुकी हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी अब आप उत्तर दें।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 58 के अन्तर्गत दी गई सूचना में जो जिक्र किया गया है और जिस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय करन मेहरा एवं माननीय दिनेश अग्रवाल जी ने अपने विचार रखे। उस सम्बन्ध में एक लाइन का उत्तर बनता है कि इस आबकारी नीति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। क्योंकि माननीय सदस्यगणों ने अपनी सूचना में जिस वर्ष के नीति परिवर्तन करने की बात की है वह वर्ष 2006–07 के सम्बन्ध में है। इसी प्रकार जो आवेदन शुल्क 7500 रुपये करने की बात है तो वह वर्ष 2007–08 की आबकारी नीति में है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सूचना तो वर्ष 2006–07 के सम्बन्ध में ही है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सूचना में लिखा है कि "वर्ष 2006–07 के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नई आबकारी नीति लागू की गई है"। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, हो सकता है, यह मिस्टेक हो गई हो। (व्यवधान)

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय करन मेहरा एवं माननीय दिनेश अग्रवाल जी ने दो तीन बिन्दुओं की ओर इंगित किया है, मैं पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि पहले 200 रुपये प्रोसेसिंग फीस थी, पहले कोई एक ही व्यक्ति पूरे प्रदेश

की 417 दुकानों के लिए आवेदन कर सकता था और 13 दुकानें रख सकता था। हमारी सरकार ने 200 रुपये की जगह प्रोसेसिंग फीस 7500 रुपये की है। मान्यवर, एक व्यक्ति एक ही तहसील में अप्लाई कर सकता है और तहसील में केवल एक दुकान ले सकता है। अब प्रदेश के अन्दर जो नीति बनी है उसके अनुसार 417 में से एक तहसील के अन्दर एक व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। इसके बावजूद भी हमने कहा कि इसके लिए उसके पास उस तहसील का स्थाई निवास प्रमाण–पत्र होना चाहिए, उसकी सोलवेंशी होनी चाहिए जो प्रोसेसिंग फीस के साथ देनी होगी। पहले होता यह था कि एक व्यक्ति घर बैठे 500–500 फार्म भर देता था। अब वही व्यक्ति फार्म भरेगा जो वाकई इसे लेना चाहेगा। अब इसके लिए उस तहसील का स्थाई निवास प्रमाण–पत्र होना चाहिए, सोलवेंशी होनी चाहिए। दूसरे डा0 साहब ने घटिया एफ0एल0–2 के बारे में कहा।

मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ बॉण्ड खुलेगा उसे एफ0एल0–2 में जाने के लिए मार्ग का निर्धारण किया गया है। वह उस मार्ग से अलग नहीं जा सकता है। जब एफ0एल0–2 खुलेगा, वह ओपन होगा। रु0 41 लाख हमारी फीस है। जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कुछ लोगों को हम फायदा दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी कुछ इच्छुक लोगों को लाईये, सरकार उसका स्वागत करेगी। (व्यवधान) 41 लाख रुपये जमा करके उसकी बॉण्डेड जगह होगी। 13 जगह पर एफ0एल;–2 बनेगी। यह हमने व्यवस्था बनाई है। इससे ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था क्या हो सकती है। दूसरा, साढे सात हजार रुपये की बात कही गई है। मैं अन्य राज्यों के बारे में कहना चाहता हूँ कि चण्डीगढ़ में प्रोसेसिंग फीस 10 हजार रु0 है, पंजाब में रु0 6,000 है, हरियाणा में 5,000 है। अन्य राज्यों का जब हमने अध्ययन किया तो पाया कि कहीं यह फीस पाँच हजार है, कहीं दस हजार है, कही बारह हजार है, लेकिन हमारे यहाँ यह फीस दो सौ रुपये थी। अब एक व्यक्ति केवल एक तहसील के लिए अप्लाई कर सकता है, पहले 13 दुकानें ले सकता था। अब पहले तहसील का स्थाई निवास प्रमाण–पत्र दिखाये, उसकी सोलवेंशी दिखाये तब उसका फार्म स्वीकार होगा।

जहाँ तक राजस्व की बात है। हमनें 417 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है और मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आज की तारीख में भी 417 करोड़ की लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) यह मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूँ,माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ, माननीय सदन को बताना चाहता हूँ। पहले प्रोसेसिंग फीस से 01 करोड़ 66 लाख रुपये प्राप्त हुए थे, अब उसके विपरीत 13.5 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। एफ0एल0–2 से पहले तीन करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे और अब 18 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

मान्यवर, हमनें आबकारी की नीति पारदर्शी बनाई है जहाँ तक प्रतिपक्ष ने कहा है, मैं कहना चाहता हूँ कि हम दोनों चलेंगे, जिस दुकान को नेता प्रतिपक्ष बतायेंगे वहाँ पर जो भी ब्रांड कहेंगे हम चैक करेंगे, वहाँ पर हर ब्रांड उपलब्ध होगा। हमारे यहाँ डिस्टलरी में 09 कम्पनियाँ आ चुकी हैं और बीयर में 06 कम्पनियाँ आ चुकी हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जो अच्छे ब्राण्ड हैं वह बाजार से गायब हैं, किंग फिशर भी बाजार में नहीं है। बाजार में ऐसे ब्राण्ड हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बीयर में 6 कम्पनियाँ आ चुकी हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जिस दिन आबकारी का बजट आयेगा उस दिन हम जरूर तैयार रहेंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हमने निश्चित रूप से माफियाओं पर अंकुश लगाया है, जो माफिया पूरे प्रदेश को जकड़ के रखना चाहते थे, हमने इस दिशा में जरूर प्रयास किये हैं। इस अच्छे काम के लिए सरकार को बधाई जरूर देनी चाहिए। मान्यवर, जहाँ 471 दुकानों में एक व्यक्ति अकेला सभी अप्लाई करता था, अब वह केवल प्रदेश के अन्दर, तहसील के अन्दर ही आवेदन कर सकता है और प्रदेश में केवल एक ही दुकान ले सकता है, जबकि पहले 13 दुकानें ले सकता था। अतः स्पष्ट है कि इससे माफियाओं पर अंकुश लगा है और पारदर्शिता नीति आयी है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, डिटेल में बतायें कि कम्पनियाँ कौन सी हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं बता रहा हूँ दो सौ, चार सौ, पाँच सौ में पेटी बिक्री वाली कम्पनी अभी नहीं आई हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, क्या आप माननीय तिवारी जी के शासन काल में विदेश गये थे ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं विदेश नहीं गया था।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अगर आप गये होते तो आपको पता चलता कि कितने ब्राण्ड है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपकी सदाशयता को देखते हुए इसका पूरा जवाब आ गया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत, माननीय सदस्य श्री करन मेहरा, माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राहय करता हूँ।

अब हम उठते हैं, अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3.00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका दिशा–निर्देश चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

क्या हो गया ? (हँसी)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अखबारों में, जिस तरह से सदन की कार्यवाही हो रही है, वह पूरी की पूरी नहीं आ रही है। कल भी नियम 58 के अन्तर्गत रानीचौरा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आप द्वारा जो निर्देश दिये गये थे उनका कोई जिक्र अखबारों में नहीं था। इससे लोगों में बड़ी निराशा भी होती है और भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न होती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि यहाँ जो भी माननीय सदस्य बैठे हैं, वे अपने क्षेत्रों से सम्बन्धित जब कोई सूचना उठाते हैं और उन सूचनाओं पर सदन के अन्दर जो निर्णय लिये जाते हैं उनकी सूचना अखबारों में नहीं होती है तो जनता काफी निराश होती है। इससे हमकों भी कभी–कभी बड़ी भारी परेशानी हो जाती है। मैं चाहूँगा कि आप इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दे दें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। हम 'प्रेस' को बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जो प्रेस दीर्घा बनाई गई है वह इसलिए बनाई गई है कि हाऊस की जो प्रोसीडिंग है वह डिस्टर्ब रूप में अखबारों में न जाए।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, 'प्रेस' को बाध्य नहीं किया जा सकता है। 'प्रेस' हर चीज का संज्ञान लेती है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, 'प्रेस' लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है। 'प्रेस' को पीठ से कैसे निर्देश दिया जा सकता है ?

प्रश्नोत्तर काल में अनुपूरक प्रश्न पूछने की सीमा के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा की गयी व्यवस्था

श्री अध्यक्ष–

माननीय उपाध्याय जी, आसन ग्रहण करें। मैं आप द्वारा उठाये गये अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में जो जिज्ञासा प्रकट की थी उसके बारे में, मैं आपको कॉल एण्ड शकधर की पुस्तक "संसदीय पद्धति और प्रक्रिया" में उल्लिखित पृष्ठ 479 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उसमें स्पष्ट लिखा है कि "उस सदस्य को, जो प्रश्न सूची में सम्मिलित अपना प्रश्न पूछता है, मंत्री द्वारा प्रश्न का उत्तर दिये जाने के बाद दो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। इसके उपरान्त यदि किसी दूसरे सदस्य का नाम उसी प्रश्न के लिए प्रश्न सूची में सम्मिलित है, तो उसे एक अनूपूरक प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। तत्पश्चात, कोई भी सदस्य, अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर मूल प्रश्न और उसके उत्तर से उत्पन्न कोई अनुपूरक प्रश्न, किसी तथ्यगत विषय के स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकता है।"

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इसमें कोई कांट्रीडक्शन नहीं है। यहाँ जो विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है उसमें पृष्ठ 24 के नियम 44 पर साफ–साफ लिखा है कि "नियम 33 के अन्तर्गत प्रश्नों के समय किसी प्रश्न अथवा उत्तर के सम्बन्ध में चर्चा कराने की अनुज्ञा नहीं होगी। अध्यक्ष जी अनुज्ञा के सदस्य प्रश्नाधीन विषय सम्बन्धी तथ्यों पर अग्रेतर स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे।" आप तो परम् विद्वान हैं। जब एक बार कोई भी सवाल सदन में आ जाता है तो वह हाऊस की प्रॉपर्टी बन जाता है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, प्रश्नों को पूछने की भी एक सीमा है। प्रश्न असीमित नहीं पूछे जा सकते हैं। सामान्य रूप से दो अनुपूरक पूछे जा सकते हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सदन का संचालन नियमावली और परम्पराओं से होता है हमें परम्पराओं और नियमों का अनुपालन करना चाहिए।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध है कि अब पुनः मद संख्या 10 पर आते हैं जो कार्य स्थगन के सम्बंन्ध में नियम 58 के अन्तर्गत है। माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश जी, आप अपनी बात कहें।

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 58 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जिस विषय पर बोलना चाह रहा हूँ, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। पूरे उत्तराखण्ड के मैदानी जिलों में जो जाति प्रमाण–पत्र, स्थाई प्रमाण–पत्र वह समय से जारी किये जाने थे, वह समय से जारी नहीं किये जा रहे हैं। मान्यवर इससे छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो गया, चूँकि मान्यवर, छात्रों को मेडिकल कालेज में और बी0एड0 कालेज में एडमिशन लेना होता है लेकिन उनके एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं जिससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। मान्यवर, समय से जाति प्रमाण–पत्र जारी न होने से छात्रों का एक साल चौपट हो गया है।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब से राज्य का गठन हुआ है उस समय से मूल निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र और स्थाई प्रमाण–पत्र के लिए कोई नीति तैयार की जाय। मान्यवर, ये लोग पन्द्रह सालों से उत्तराखण्ड में रह रहे हैं लेकिन आज स्थिति विपरीत होती जा रही है। मान्यवर, आज कई विकासखण्ड और तहसीलों में इनके दादा, परदादा का क्या नाम है, पूछा जा रहा है। मान्यवर, उत्तराखण्ड में इनके दादा–परदादा निवास नहीं कर रहे है। पन्द्रह साल से निवास कर रहे इन लोगों को ऐसी स्थिति में गुजरना पड़ रहा है। जाति प्रमाण–पत्र, स्थाई प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जायेगा तो ऐसे में इनका भविष्य चौपट हो जायेगा। मान्यवर, इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर जिलाधिकारी के सम्मुख आवाज उठायी गयी। दिनांक 28–06–2006 को शासन के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा शासन स्तर की बात भी नहीं सुनी जा रही है। मान्यवर, जिला अधिकारी हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की, मान्यवर, जब समय पर स्थाई और जाति प्रमाण–पत्रों का समाधान नहीं होता तो हमारे मैदानी जिलों के छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा।

मान्यवर, शासन के प्रमुख सचिव श्री एस0के0 भट्टू ने 16 दिसम्बर, 2003 को एक शासनादेश जारी किया जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, उसको मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ कि "वे व्यक्ति जो रोजगार अथवा शिक्षा हेतु किसी अन्य राज्य से उत्तरांचल में विस्थापित हुए हैं उनके पुत्र–पुत्रियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है जिससे वे शिक्षा व रोजगार हेतु उक्त जातियों को प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित हो रहे हैं।"

श्री अध्यक्ष–

कौन सी तारीख का है?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक शासनादेश सं0 बी0सी0–16014/1/82–एस0सी0 दि0 6

नोट–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगस्त, 1984 में यह व्यवस्था दी गई है कि रोजगार अथवा शिक्षा हेतु एक राज्य से दूसरे राज्य में विस्थापित होने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा समाप्त नही होगा इसलिए मान्यवर, इसकी प्रति आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो बहुत जटिल समस्या है। इस समस्या का निदान तत्काल होना आवश्यक है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी पीठ से निर्देश दिये जाए कि जिन बच्चों के एडमीशन इस माह में होने है उनके लिए जाति प्रमाण–पत्र तत्काल जारी किया जाए। मैं इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के प्रश्न पर बल देते हुए चर्चा की माँग करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस सम्बन्ध में आप सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 58 पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, जुलाई का महीना शुरू हो गया है पढ़ने वाले बच्चे प्रवेश के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। कुछ बच्चे एम0बी0बी0एस0, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बी0एड0 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा पास कर चुके हैं। महोदय, प्रवेश पाने वाले छात्र, छात्राओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति के बच्चों को जाति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता है। परन्तु खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि आज ऊधमसिंह नगर हरिद्वार आदि जिलों में जाति प्रमाण–पत्र मांगने वालों से 40 वर्ष का लेखा–जोखा मांगा जा रहा है। महोदय, यह परेशानी प्रमुख सचिव नृप सिंह नपच्याल के पत्रांक सं0 130/XXX/2/2006 दि0 22 जून 2006 के पत्र से शुरू हुआ। इस परेशानी को दूर करने के लिए दि0 25–6–2006 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मूल स्थायी निवास प्रमाण–पत्रों को जारी किये जाने में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के निराकरण के सम्बन्ध में देहरादून में एक बैठक हुई परन्तु अभी तक जाति प्रमाण–पत्र बनने की प्रक्रिया में सरलीकरण नहीं हुआ।

मान्यवर, ऊधमसिंह नगर में अधिकांश लोग आजादी के बाद आकर बसे हैं। उस समय विषय परिस्थियाँ थीं। महोदय, यह परेशानी प्रमुख सचिव, गृह के पत्रांक 130/XXX/2/2006 के पत्र से शुरू होती है इससे पहले सबको जाति प्रमाण–पत्र मिलते थे। आसानी से मिलते थे। इस परेशानी को दूर करने के लिए देहरादून स्थित प्रमुख सचिव के कक्ष में एक बैठक हुई, उसके बाद यह निर्देश दिया जाता है और जाति प्रमाण–पत्र बनने लगता है परन्तु धीमी गति से, उसके बाद वर्तमान समय में जाति प्रमाण–पत्र बनना बन्द हो गया है। उसके लिए 40 साल का लेखा–जोखा रखना बहुत कठिन है। शायद ही कुछ लोगों के पास ऐसे प्रमाण होंगे। ऐसी स्थिति में जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के लिए कोई भी सरल प्रक्रिया अपनाई जाए। कुछ लोग गलत तरीके से जाति प्रमाण–पत्र बनवा लेते हैं जबकि वे अनुसूचित जाति के नहीं हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए और जो सही व्यक्ति हों उनके लिए जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने चाहिए। मान्यवर, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यह अति लोकमहत्व का विषय है। मान्यवर, मैं सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूँ।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह दलितों और अनुसूचित जाति के लोगों के जो जाति प्रमाण–पत्र हैं उस सम्बन्ध में मेरे सहयोगियों ने आपके सामने अपनी बात रखी। मान्यवर, दलितों, जनजातियों, गरीबों, पिछड़ों का दम भरने वाली यह सरकार जब अपना दस्तावेज पेश करती है तो ऐसा दस्तावेज पेश करती है जिससे ऐसा महसूस होता है कि यह सिर्फ दलितों के लिए काम कर रही है, लेकिन हकीकत में देखते हैं तो लोग पिस रहे है। आज गलत नियमों का......, इस सरकार के द्वारा उन लोगों का शिकार किया जा रहा है। मान्यवर, मेरे सहयोगियों ने आपके संज्ञान में लाया कि 3–3 पीढ़ियों और 40–40 वर्ष पुराने रिकार्ड मांगे जा रहे है। मान्यवर, पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के जो भी लोग हैं ज्यादातर अनपढ़ हैं और उसमें पिछड़े जनरेशन में लिट्रेसी नाम की चीज नहीं थी। मान्यवर, आप बतायें कि जो लोग अनपढ़ हैं, जाहिल है वे रिकार्ड कहाँ से लायेंगे?

(माननीय मंत्री श्री मदन कौशिक जी ने आसन पर बैठकर कहा कि "जाहिल" शब्द हटा दे) (व्यवधान)

मान्यवर, जाहिल शब्द निकालकर असाक्षर कर दें, लेकिन जो हकीकत है वह मैंने कहा कि असाक्षर लोग कहाँ से रिकार्ड लायेंगे। मान्यवर, कोई चम्पावत से हल्द्वानी चला गया, पिथौरागढ़ से देहरादून आ जाए और उससे कहा जाए कि रिकार्ड लेकर आओं तो नामुमकिन है। इससे बेहतर है कि उन्हें कह दें कि आज के बाद से वे भी सामान्य जाति की तरह जीवन व्यतीत करें सार्टीफिकेट नहीं देंगे। मान्यवर, इस विषय पर समस्त कार्यवाही रोकर चर्चा की माँग करता हूँ।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम 58 में मुझे बोलने के लिए आदेश दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, वैसे हमारे तीनों साथियों ने अपने–अपने विषय रखे। इस विषय से आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो सभी साथियों ने बताया उसका सार तो एक ही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कोई नई बात हो तो बतायें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, जब तीनों माननीय सदस्यों ने कहा तो मैं समझ गया था कि कोई नई बात बतानी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, 40 साल की जो बाध्यता है और तसहील में पिता, दादा, परदादा के बारे में बताना पड़ेगा तो यह आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी की बात है कि 40 साल और उसे अपने पूरे परिवार की हिस्ट्री के बारे में बताना पड़ेगा। यह अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं उनके लिए सम्भव नहीं है, क्योंकि अशिक्षित है। तो इस मामले में पिछली सरकार में मुख्य सचिव के सामने भी यह मामला

गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें स्थाई और जाति सार्टिफिकेट को लेकर बड़ी विसंगतियां थीं परेशानी थी, तो सारे जिलाधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया, उसमें कुछ काम हुआ।

मान्यवर, हमने इसके लिए बड़ा परिश्रम किया था, कुछ काम हुआ और कुछ दिन तक इस नियम में सरलीकरण की प्रक्रिया अपनायी गयी तो हमें लगा कि यह सही रास्ते पर आ गया। लेकिन ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल में आप जानकारी कर लीजिए एडमिशन का समय चल रहा है। सैकड़ों बच्चे तहसील में बैठे हुए हैं। मान्यवर, इस पर गहन अध्ययन होना चाहिए ताकि सारी चीजे आ जायं। प्रदेश का नाम उत्तराखण्ड परिवर्तित किया गया, लेकिन उत्तरांचल के नाम से पूरे प्रदेश में जो सार्टीफिकेट निर्गत हुए थे, उससे हमारे लोगों को परेशानी हो रही है। जब नाम परिवर्तन हुआ उस समय इस बात को नहीं सोचा गया। मान्यवर, हम तो इसके विरोधी थे। मान्यवर जब ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार को उत्तरांचल से अलग करने की बात होती थी, हम इसके भी विरोधी थे। लेकिन जिस तरह से आज विसंगतियां पैदा हो रही हैं, यह बात अलग है कि जो हमारा विषय है, उसके मंत्री इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब कभी यह दिक्कत आती है कहीं न कहीं से ये आवाज उठती है कि हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को अलग किया जाय। मान्यवर, यदि ऐसी ही विसंगतियां रहीं तो आवाज और भी मजबूती के साथ उठ सकती है।

मान्यवर, कहा जाता है दिल्ली में 16 लाख लोग उत्तरांचल के हैं, बंगलौर में, कलकत्ता में, मुम्बई में, लखनऊ में उत्तरांचल के लोग बड़ी तादात में निवास करते हैं। मान्यवर, यदि इन प्रदेशों की सरकारों के दिमाग में भी यह भावना आ जाय कि उत्तरांचल का अन्य प्रदेशों के लोगों के प्रति यह रवैया है तो स्थिति बिगड़ सकती है। मान्यवर, जब मुम्बई में रेलवे रिक्यूटमेंट बोर्ड की परीक्षा थी तो वहाँ पर एक पार्टी के लोगों ने अन्य प्रदेशों से गये अभ्यर्थियों के खिलाफ आन्दोलन किया था। मान्यवर, हम उनका विरोध करते है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में दिल्ली में कुछ पत्रकारों से मेरी वार्ता हुई थी, तब भी मैंने उसका विरोध किया था और कहा था "महाराष्ट्र के नाम पर दूसरे प्रान्तों का शोषण नहीं होना चाहिए"। मान्यवर, उत्तरांचल में बाहर के बहुत सारे लोग हैं। हम व्यक्तिगत रूप से और सरकार के माध्यम से उन्हें आमंत्रित करते है कि वे यहाँ पर आये और इण्डस्ट्री लगायें और यहाँ पर पैसा लायें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि जो विसंगतियां हैं उसका अध्ययन करायें और जो भी सकारात्मक निर्णय हो सकता है, वह करें।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुरेन्द्र राकेश, माननीय प्रेमानन्द महाजन, माननीय काजी निजामुद्दीन और माननीय नारायण पाल जी, द्वारा जो कार्यस्थगन की सूचना पर विचार रखे गये है। माननीय सदस्यों का जो मूल विषय था उस पर ध्यान आकर्षित किया गया। वह मूल विषय प्रदेश के मैदानी जनपद ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून के

अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण–पत्र और ओ0बी0सी0 के जाति प्रमाण–पत्र में कठिनाई के सम्बन्ध में है। मान्यवर, इसके साथ जो मूल आप का इसके पीछे कहने का मंतव्य दिखा वह इस प्रमाण–पत्र को निर्गत करने में आने वाली कठिनाईयों के सम्बन्ध में है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि 22 जून, 2006 को एक शासनादेश जारी हुआ। श्रीमन्, यह शासनादेश राज्याधीन सेवाओं में अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की जाँच के सम्बन्ध में था। यह जो शासनादेश था, उसमें इस बात का उल्लेख था कि 2 सितम्बर, 1994 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने कु0 माधुरी पाटिल बनाम अतिरिक्त कमिश्नर ट्राईबल वाद में जो निर्णय लिया था, उस निर्णय के आधार पर शासन द्वारा सम्यक् रूप से विचारोपरान्त कुछ दिशा निर्देश तय किये गये। उन दिशा निर्देशों के आधार पर जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के लिए बिन्दु तय किये गये। जिसके आधार पर यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र निर्धारित प्रपत्र पर वांछित अभिलेखों के साथ उस क्षेत्र, जिसमें वह निवास करता हो अथवा जहाँ उसका जन्म हुआ हो, के जिलाधिकारी या अतिरिक्त जिलाधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट या उपजिलाधिकारी अथवा तहसीलदार को प्रस्तुत करता है, तो वह आवेदन–पत्र के साथ शपथ पत्र एवं जाति, उपजाति जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग व मूल निवास आदि से सम्बन्धित ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा, जो अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु विहित किये गये है और उसके बाद इस आवेदन पत्र की जाँच होगी तथा वह जाँच सक्षम अधिकारी, जो कि तहसीलदार से निम्न स्तर का नहीं होगा, करेगा। जाँच के बाद जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की व्यवस्था है। राज्याधीन सेवाओं में आयोजित परीक्षाओं के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में जो नियुक्ति पत्र निर्गत किये गये है.........

श्री अध्यक्ष–

इसमें कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, बता रहा हूँ। इसके सम्बन्ध में जो नियुक्ति पत्र जारी किये गये, उनमें उपजिलाधिकारी स्तर के अधिकारी आवेदन–पत्र की जाँच करेंगे। जाँच के पश्चात् सत्यापन की कार्यवाही किये जाने हेतु जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उप जिलाधिकारी तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारी की स्कूटनी कमेटी होनी जो इसको तय करेगी। मान्यवर, इस तरह से यह एक प्रक्रिया परिचालित की गयी। इसके बाद से दिक्कतें सामने आने लगी। जिसका जिक्र माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश जी ने किया। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए 28 जून, 2006 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसकी कुछ अनुशंसाओं का जिक्र आपने किया। ऐसी बातें माननीय सदन के संज्ञानं में लायी गयी है, जिनके

आधार पर जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में, जैसा कि आपने कहा कि 35–40 वर्षों से निवास करने की बाध्यता रखी गयी।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, 80–90 वर्ष मांगे गये हैं। दादा–परदादा का मांगा गया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आपने अपनी नोटिस में 35–40 वर्ष की बात कही है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, हमारा मेन मुद्दा यह है कि पहले भी ये प्रमाण–पत्र बन रहे थे। अब क्या खास बात हो गयी ? क्यों इसमें चेंजेज हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी की पूरी बात आ जाने दीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, हमने नया आदेश नहीं निकाला है। 22 जून, 2006 को जो आदेश निकला , उसके बाद से इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। जनता के सामने और माननीय सदन के समक्ष जो दिक्कतें आयी हैं, हम सम्यक् विचार करने के बाद इनका समाधान निकालेंगे ताकि किसी को भी दिक्कत न हो।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इन दिनों इंजीनियरिंग और अन्य कई नियुक्तियों के प्रकरण चल रहे हैं, अगर इन लोगों को समय पर जाति प्रमाण–पत्र नहीं मिलेंगे तो इनके भविष्य का क्या होगा, क्या इनका भविष्य बरबाद नहीं हो जायेगा, मान्यवर, अभी मुझे जनपद ऊधमसिंह नगर का दौरा करने का मौका मिला था तो वहां पर इसी को लेकर लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में शिकायतें की कि हम लोग 50 साल पहले उत्तराखण्ड में आ गये थे और तब हम जमीन नहीं खरीद पाये, तब हमारे पास पैसा नहीं था लेकिन आज जब प्रमाण–पत्र की बात आती है तो हम कहां से 50 साल पुराने रिकार्ड लायें। अगर आज हम उत्तर प्रदेश जाते हैं तो वे कहते है कि आप तो उत्तराखण्ड के हो गये हो, आपका रिकार्ड यहाँ नहीं है। तो मान्यवर, अगर इस प्रक्रिया को जो इतनी जटिल है, इसका सरलीकरण नहीं होगा तो जैसा कि माननीय सदस्यों ने पूर्व में कहा कि स्थिति विस्फोटक हो जायेगी, वह सही है, ऐसी स्थिति हो सकती है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में हमारी वर्तमान सरकार ने कोई भी संशोधन जारी नहीं किया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह बात वर्तमान सरकार या पिछली सरकार की नहीं है, यह मामला अभी सामने आया है तो इसी सरकार को तो इस पर कार्य करना होगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जिस दिक्कत का सामना आज करना पड़ रहा है, उस पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, "इफ जस्टिस डिलेडजस्टिस इज डिनायड" अगर आज उनका एडमीशन रूक गया तो फिर उनके भविष्य का क्या होगा ?

प्रकाश पंत–

मान्यवर, स्थायी प्रमाण–पत्र के लिए सरलीकरण की योजना हमारी सरकार ने बनाई है कि किसी भी आवेदन पर तहसीलदार उसकी आख्या एक सप्ताह के अन्दर उप जिलाधिकारी को दे देंगे।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह तो बाद की चीज है तहसीलदार तो अपनी आख्या में लिख देगा कि इनके कागज पूरे नहीं हैं, इनका 40 साल का रिकार्ड नहीं है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं यह भी बता रहा हूँ यदि आप धैर्य से 2 मिनट मुझे सुन लें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, आज तो हम आपको सुन लेंगे, लेकिन बाद में व्यवधान हो सकता है। (हँसी)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, माननीय सदस्य तो धमका रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

वे धमका नहीं रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं। (हँसी)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि स्थायी निवास प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए तहसीलदार एक सप्ताह के अन्दर अपनी आख्या उप जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे और उप जिलाधिकारी द्वारा दो दिनों के अन्दर स्थायी निवास प्रमाण–पत्र जारी कर देंगे और यदि किसी कारण से प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना सम्भव नहीं

है तो कारण सहित सम्बन्धित आवेदन को सूचित कर दिया जायेगा। जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए दिक्कत आई है तो वह इसलिए आयी हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय कु0 माधुरी पाटिल बनाम अतिरिक्त कमिश्नर ट्राईबल के सम्बन्ध में आया। इस सम्बन्ध में 28 जून, 2006 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी अनुशंसा दी। जिस प्रकार से स्थाई निवास प्रमाण–पत्र में सरलीकरण किया गया है, उसी प्रकार से जाति प्रमाण–पत्र में भी सरलीकरण हो, इस पर सरकार गम्भीर है और गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है और सम्यक् विचारोपरान्त इस पर सरकार निर्णय लेगी और उससे सदन को अवगत करा दिया जायेगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, एक जानकारी चाहिए यह जो कु0 माधुरी पाटिल का केस है, यह किस तारीख का है ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जिस वाद का निर्णय आया है। 02 सितम्बर, 1994 को निर्णय आया था और उसके बाद तत्कालीन सरकार ने शासनादेश जारी किया। यह उसके आलोक में जारी किया गया था।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, शासनादेश 94 का है, 02 सितम्बर, 1994 का है। (व्यवधान) उत्तराखण्ड का निर्माण 2000 में हुआ। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर [XXX] लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।]

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आप इस तरह का आक्षेप लगा रहे है। यह अनुचित है। 22 जून, 2006 का यह आदेश है जिस पर विसंगति पैदा हुई, उसका हम निराकरण करना चाहते हैं तो आप हम पर ही आक्षेप कर रहे हैं, यह आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहे और स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि विषय बहुत गम्भीर है और नौजवानों के भविष्य का सवाल है, बच्चों का प्रवेश हो रहा है। प्रदेश सरकार और भारत सरकार के विभिन्न विभागों में, निजी क्षेत्र में नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। अब ऐसे में अगर समय से जाति प्रमाण–पत्र नहीं मिलेंगे तो विशेषकर दलितों, पिछड़ें वर्ग के लोगों का भविष्य चौपट हो जायेगा। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं तो उनकी मंशा से तो यही लगता है कि "न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी।" (घोर व्यवधान)

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, इस पर चर्चा कर दें। यह बहुत गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दें, मैं विचार कर लूँगा। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, सामान्यतः नियम 58 में सुनने के पश्चात् आप सूचना को अग्राह्य कर देते हैं किन्तु उसमें माननीय सदस्य भी संतुष्ट रहते हैं क्योंकि पूरी बात आ जाती है। लेकिन कृपया इसे अग्राह्य न करें। यह बहुत गम्भीर विषय है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। आक्षेपात्मक अंशों को कार्यवाही से निकाल दिया जाये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं अनुरोध करूँगा कि यह विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ी जाति के बन्धु हैं, जो इन परीक्षाओं में बैठते हैं, पहले तो उन्हें मौका नहीं मिलता है, अगर वह समय से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न कर सकेंगे तो उनको जो अवसर मिला है वह चला जायेगा। इसमें कार्यवाही जल्द से जल्द करें और इसमें समय निर्धारित कर दें। इसमें अधिकारियों को निर्देशित कर दें। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर विषय है, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सरकार इसे जल्द ही करेगी।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, इसमें समय निर्धारित कर दीजिए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसकी जाँच कराकर, परीक्षाणोंपरान्त जल्द करेंगे।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते है।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण सदन त्याग कर चले गये।)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी कि विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत ग्राम भैंस्वाड़ा विगत वर्ष में भारी वर्षा के कारण लैण्ड स्लाइडिंग जोन में आ गया है। इस ग्राम में विगत वर्ष भी भारी वर्षा के कारण जमीन खिसकने से मकान, कृषि भूमि एवं मोटर मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गये थे जिसका आयुक्त गढ़वाल मण्डल द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गयी थी लेकिन जमीन का खिसकना लगातार जारी है जिससे मोटर मार्ग पर वाहनों का आना जाना पूर्ण रूप से बाधित है। ग्रामीण जनता वर्षाऋतु के आते ही अत्यधिक भयभीत रहती है। इस सम्बन्ध में भूगर्भ वैज्ञानिकों से स्थल का परीक्षण करने हेतु बार–बार आग्रह किया गया लेकिन अभी तक भूगर्भ वैज्ञानिकों द्वारा भू–परीक्षण नहीं हो पाया है। क्या सरकार ग्राम भैंस्वाड़ा मे हो रहे भूस्खलन को रोकने एवं मोटर मार्ग को दूसरी तरफ परिवर्तित करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करेगी ताकि स्थानीय जनता की जान–माल की सुरक्षा हो सके ? माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर, महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। यह जान–माल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, अतः मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस पर चर्चा की जाये।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस घटना के सम्बन्ध में माननीय सदस्या द्वारा अवगत कराया गया यह जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील थैलीसैंण के ग्राम भैंस्वाड़ा का मामला है। यहाँ पर कुल 136 परिवार निवास करते है। इसका सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र 147.58 हेक्टेयर है।

मान्यवर, यह क्षेत्र, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत कोई परिवार बसा हुआ नहीं है। केवल कृषि भूमि धंस गई हैं जिस घटना का उल्लेख माननीय सदस्या ने किया है उसके अन्तर्गत भूस्खलन से भगत सिंह पुत्र श्री मानसिंह का आवासीय भवन, जो सड़क के किनारे बसा था वहाँ लगभग 5 मीटर जमीन धंस गयी। 17 प्रभावित परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से प्रति व्यक्ति रुपये दस हजार की दर से कुल एक लाख सत्तर हजार दे दिया गया है व एक व्यक्ति को 40 हजार रुपये की धनराशि वितरित की गई। गृह अनुदान के रूप में दो हजार की धनराशि वितरित कर दी गई है। इस प्रकार कुल दो लाख बारह हजार रुपये की धनराशि वितरित की जा चुकी है। इसमें जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल से प्राप्त सूचना के अनुसार तहसीलदार थैलीसैंण की जाँच कराने के पश्चात् भूस्खलन से प्रभावित, वर्तमान में पाँच हेक्टेयर बंजर कृषि भूमि में, ग्राम भैस्वाडा के 133 परिवारों को दो नाली प्रति परिवार की दर से भवन बनाये जाने हेतु 266 नाली भूमि की आवश्यकतानुसार आवंटन का प्रस्ताव दिया गया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह भूस्खलन नहीं है। माननीय मंत्री जी का जवाब गलत है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा है कि जो कृषि भूमि है, वह धंस गई है। कृषि भूमि भूस्खलित है, गाँव नहीं। जिनकी कृषि भूमि प्रभावित हुई है उनको विस्थापित करने का विषय है।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहाँ कोई गाँव नहीं है तो फिर वहाँ पर सहायता क्यों दी गई ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, बड़ा गम्भीर विषय है कि यह सरकार सदन के अन्दर जवाब दे रही है वह विषय की गम्भीरता को नहीं समझ रही है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, पूरी बात आने दीजिए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का पूरा वक्तव्य आ जाने दीजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष को पूरा अधिकार है वह अपनी बात को कहें। यह कोई परम्परा नहीं है कि माननीय मंत्री जी की बात आने से पहले ही अपनी बात को कहना प्रारम्भ कर दें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, दो–दो मंत्री धमका रहे हैं। (हँसी)

(शोर)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, गाँव भूस्खलन से प्रभावित नहीं है तो फिर पुनर्वास क्यों किया जा रहा है ? माननीय मंत्री जी का उत्तर सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, पुनः अपना उत्तर दोहरा दें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, भूस्खलन से श्री भगत सिंह पुत्र श्री मान सिंह के आवासीय मकान जो सड़क के किनारे बसा था लगभग पाँच मीटर जमीन धंस गयी थी। वर्तमान में वहाँ ग्राम खाल्यू तोक में वर्तमान समय में पाँच हेक्टेयर बंजर कृषि भूमि के 133 परिवारों को दो नाली प्रति परिवार की दर से भवन बनाये जाने हेतु 266 नाली भूमि की आवश्यकतानुसार आवंटन का प्रस्ताव दिया गया है। जिस पर कार्यवाही चल रही है। जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है वर्तमान में कोई परिवार बसा नहीं है, आवासीय मकान नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, गाँव में मकान भी आते हैं, कृषि भूमि भी आती है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कृषि भूमि है तो मैं कहना चाहता हूँ कि गाँव में तो पूरी खेती, पूरे परिवार आ जाते हैं, गाँव के अन्दर ही घर होते हैं, गौशाला भी गाँव के अन्दर है वह भी घर का ही एक हिस्सा है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील थैलीसैंण के ग्राम भैस्वाड़ा में पाँच है0 भूमि में कुल 133 परिवार हैं और उनके आवंटन का प्रस्ताव बना दिया गया है। हमारा स्थानीय प्रशासन प्रयास कर रहा है कि शीघ्र से शीघ्र इस पर कार्यवाही की जाए तथा आपदा राहत कोष, जिसमें कि भारत सरकार के दिशा–निर्देशों अनुसार धनराशि व्यय की जाती है और आपदा राहत कोष से अस्थाई आवासीय व्यवस्था अनुमन्य है, लेकिन पुनर्वास हेतु भारत सरकार से कोई धनराशि अनुमन्य नहीं है। सरकार इस विषय को लेकर पूरी तरह से गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्रीमती अमृता रावत तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

मद संख्या–11 को लेने से पूर्व मैं एक निवेदन करना चाहूँगा जैसा मैंने पूर्व में बताया था कि नियम 58 में ग्राहियता पर सुनने के लिए मैंने तीन सूचनाएं स्वीकार की थीं, परन्तु एक सूचना माननीय राजेश जुवांठा जी की थी, जो अस्वीकार की गई थी नये सदस्य होने के कारण और सूचना के महत्व को देखते हुए ग्राह्यता पर सुने जाने हेतु उसे स्वीकार कर लिया गया था और सुन लिया गया था।

वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, सामान्य चर्चा शुरू करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं महादेवी की पंक्ति से आरम्भ कर रहा हूँ।

तुम्हारे हंसने में है फूल,

हमारे संघर्ष में मोती।

मान्यवर, जिस प्रकार से चकोर को मालूम है कि चन्द्रमा उसे कभी नहीं मिल पायेगा। यह उसे मालूम था, लेकिन उसकी नियति बन चुकी है कि वह चन्द्रमा को निहारता रहता है इस आशा में कि कभी न कभी चांद शायद उसको मिल जाय। इस पंक्ति से, इस सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यह बजट भाषण प्रस्तुत

किया, मैं चकोर की संज्ञा.... (व्यवधान) मान्यवर, मुझे लोग ठंडा करने की कोशिक कर रहे है। मान्यवर, आपको मालूम है कि हम बहुत क्रोधित दिखते है। मान्यवर, एक बार मेरे गुस्से के बारे में पत्रकार दीर्घा से कुछ पत्रकार भाईयों ने पूछा कि आप जब गुस्सा करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है ? तो मैंने उनसे कहा कि जब मैं बहुत गुस्सा में होता हूँ तब भी हमारा ब्लड प्रेशर 80/120 ही रहता है तो ऐसे गुस्से से क्या फायदा जो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा दे। अरे, क्रोध तो वह है जिससे दूसरों का ब्लड प्रेशर बढ़ता हो उसे क्रोधित होने पर फायदा है।

श्री भुवन चन्द्र खण्ड्डी–

मान्यवर, इनके मुस्कराने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को चकोर की संज्ञा नहीं दे रहा हूँ। इस पूरी सरकार को उस चकोर की तरह देख रहा हूँ। जिसने राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ का एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला पिटारा खोला है जो बजट के रूप में है। अगर हम कुछ कहें तो मैथिलीशरण गुप्त की ये पंक्तियाँ

तुम निरखो हम नाट्य करें,

खण्डूडी तुम्हारी रंग भूमि में कहों,

कौन सा रूप धरें।

हाव भाव तो आगे आये, भावे अथवा तुम्हें न भावें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन् यह मैथिलीशरण गुप्त ने कहाँ पर लिखा है यह पूछ लिया जाए।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह जाँच का विषय है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमने यहाँ पर खण्डूडी शब्द का प्रयोग इस सरकार के लिए आलोचनात्मक, जिसको अंग्रेजी में मिटिंसिज–ऑफ इकोनॉमिक स्टडी कहते हैं।

"हाव भाव तो आगे आए भावे अथवा तुम्हें न भावे।

वे न हमारे समझे जावें, हम कोई भी स्वांग भरें।"

यहाँ पर यह जैसा कि माननीय खण्डूडी जी ने कहा कि हमारे हंसने से इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मान्यवर, खण्डूडी जी तो नम्बर वन हैं और जो हमारे साथी हैं निशंक जी ये नम्बर टू हैं और प्रकाश पंत जी तो बीच में त्रिशंकु की तरह लटके हैं।

"तुम देखो हम नाट्य करें,
खेले डोलें हंस ले बोलें,
अनायास कुछ के कुछ हो लें,
तनिक इसी मिष गा लें रो लें,
तुम देखों हम नाट्य करें,
किन्तु धारणा तुच्छ तुम्हारी,
पावें हम बारी बारी,
अलख सूचना सदा तुम्हारी,
तुम देखों हम नाट्य करें।"

मान्यवर, मैथिलीशरण गुप्त जी की यह कविता हमने बचपन में पढ़ी थी कुछ स्मरण नहीं था तो हमने माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो यहाँ पर लाइब्रेरी खोली है वहाँ से पुस्तक मंगाकर लिया है।

मान्यवर, ज्ञान अर्जन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यह पंक्तियाँ इस सरकार को प्रेषित की है। मान्यवर, मैं यहाँ से अपनी बात को विशेषकर बजट के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ, बहुत पीठ थपथपाई जा रही है, सरकार के किसी बड़े नेता का बयान मुझे पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का बयान पढ़ने को मिला कि माननीय मुख्यमंत्री श्री खण्डूडी जी ने भारत सरकार के सहयोग से वार्षिक बजट पेश किया है। मान्यवर, अकेले माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में योजनाओं की वृद्धि नहीं हुआ करती थी अपितु माननीय खण्डूडी जी के नेतृत्व में बजट में बृद्धि हुई है। मान्यवर, मैं मानता हूँ कि वर्ष 2001–2002 में जब भारतीय जनता पार्टी की अंतरिम सरकार इस प्रदेश में बनी थी तो उसका बजट 1650 करोड़ रुपये था। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय तिवारी जी के सफल नेतृत्व में डा0 मनमोहन जी के आशीर्वाद से भारत सरकार के सहयोग से बजट में हमने जो वृद्धि की वह एक वर्ष में 4 सौ का नहीं, 5 सौ का नहीं, 7 सौ का नहीं, 8 सौ करोड़ का नहीं बल्कि 9 सौ करोड़, 13 सौ करोड़, 10 सौ 50 करोड़ से 18 सौ करोड़ किया फिर 27 सौ करोड़ और 27 सौ करोड़ से सीधे 4 हजार करोड़ की वृद्धि की और जब 2006–2007 का बजट माननीय तिवारी जी ने रखा था तो 4 हजार करोड़ का बजट तिवारी जी की सरकार ने और कांग्रेस सरकार ने इसी सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया था।

मान्यवर, आप अभी योजना आयोग में गये और 4378 करोड़ की योजना स्वीकृत करा कर लाये है। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था कि मैं मैथमैटिक का विद्यार्थी रहा हूँ और गढ़वाल मण्डल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होने नाते इन्कम टैक्स रिटर्न पिछले 25 सालों से भर रहा हूँ इसलिए थोड़ी बहुत फाइनेशियल और वित्त मामलों की जानकारी मुझे है। माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ी सी भी जानकारी वित्त में रखने वाला व्यक्ति जानता है कि महंगाई के बढ़ने के कारण 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बजट रखा। मैं आपको सूचना दे रहा हूँ कि डेढ़ हजार करोड़............(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अपने बजट में आप स्पष्ट कर दें। माननीय नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष कह रहे होते हैं तो उनके साथ बीच में टीका टिप्पणी नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप परिचित हैं कि जब माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो या तो आपको अनुमति दी जाये बोलने के लिए, वरना आपको शोभा नहीं देता है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, आपने बजट की बात की है, तो जब राज्य का निर्माण हुआ था तो उस समय पूरा बजट नहीं था। (व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह कोई टीका टिप्पणी नहीं है, केवल आंकड़ों को संशोधित किया जा रहा है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जो आंकड़े माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट में रखे गये हैं, उन्हीं को संशोधित कर रहा हूँ। यह मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इन्होंने 4378 करोड़ रु0 का बजट भारत सरकार की सहायता से स्वीकार करने की बात की है। मान्यवर, यह 10 प्रतिशत की वृद्धि भी नहीं है, जबकि 10 प्रतिशत की वृद्धि एक साल के अन्दर स्वतः ही हो जाती है। मान्यवर, कोई भी रिर्टन भर दीजिए इसमें एक साल के अन्दर 10 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। इसलिए यह इस सरकार की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। मान्यवर, जब 2001–2002 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में थी तो उस समय औसत विकास दर थी 5.9 प्रतिशत। हमारी सरकार 11.69 प्रतिशत विकास दर छोड़कर गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, अच्छा होता माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में एक लक्ष्य निर्धारित होता। मुझे माननीय मुख्यमंत्री के बजट भाषण में यह कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं मिला हैं कि उन्होंने वार्षिक विकास दर को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया हो। अच्छा होता 14 प्रतिशत तक औसत दर बढ़ाने का लक्ष्य रखा होता तो निश्चित रूप से यह काबिले तारीफ होता। मान्यवर, भारत निर्माण में ही उत्तराखण्ड निर्माण निहित हैं भारत सरकार ने 2009 तक भारत निर्माण का सपना देखा है और उस सपने में हम भी उत्तराखण्ड के विकास का सपना देख रहे हैं।

मान्यवर, भारत सरकार ने 50015 करोड़ जो ग्राम्य विकास की विभिन्न योजनाएं हैं, इसमें विगत वर्षों की भाँति 42.2 प्रतिशत की वृद्धि की है। जिसमें राज्य की पेयजल योजना, सर्व शिक्षा योजना एवं ऐसी सभी विकास की योजनाएं है। मान्यवर, 10वीं पंचवर्षीय

योजना में जो हमारा लक्ष्य था जो निर्धारण किया गया था, वह 9050 करोड़ का था। मान्यवर, मैं कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री माननीय तिवारी जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार के सहयोग से 11707.31 करोड़ रुपये पंचवर्षीय योजना में इस प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने योजना बनायी और व्यय किये। माननीय अध्यक्ष जी, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो पहला बजट माननीय खण्डूडी जी ने सदन में प्रस्तुत किया है अगर इनके 4378 करोड़ का जो बजट है उसका आकार पाँच साल में 11वीं पचंवर्षीय योजना का आनुपातिक जोड़ कर देख लें तो यह किसी कीमत पर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 20 हजार करोड़ के आंकड़े को छूना असंभव लगता है।

माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य रखा था कि हम 11707 करोड़ रुपये का जो आंकड़ा 10वीं पंचवर्षीय योजना का था, इसको 20 हजार करोड़ रुपये 11वीं पंचवर्षीय योजना में पहुँचाएंगे। मान्यवर, राजस्व घाटे की बात इन्होंने की है। 2006–07 में राजस्व घाटा 155.71 करोड़ था। इन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह बजट घाटे को पाटने का बजट है। आज कुछ अखबारों में मैंने पढ़ा कि खण्डूडी सरकार ने सरप्लस बजट पेंश किया। परन्तु मैंने, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह ली। रात 2 बजे तक वकीलों से, अर्थशात्रियों से चर्चा करता रहा। मैं ढूँढने का प्रयास कर रहा हूँ सरप्लस बजट कैसे है ? कुछ अखबारों में छापा भी है कि खण्डूडी जी ने यह बजट जिस रूप में सदन के सामने प्रस्तुत किया उससे पूरी जनता ने समझा कि सरप्लस बजट पेश किया है कोई कर नहीं लगाया है। इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरप्लस बजट प्रस्तुत किया, कुछ अखबारों ने उस पर टिप्पणी भी की है। मैं आभारी हूँ उन अखबारों का, उन पत्रकार बन्धुओं का। राजस्व घाटा क्या है, पूँजीगत घाटा क्या है, राजस्व व्यय क्या है, पूँजीगत व्यय क्या है, सकल आय क्या है, घरेलू आय क्या है, इस पर इन्होंने गहन लेख लिखा है। कन्क्लूजन दिया है कि यह सरप्लस बजट नहीं है।

आंकड़ों के बारे में कहना चाहता हूँ। राजस्व प्राप्तियां 9016.94 करोड़ है। पूँजीगत प्राप्तियां 1852.01 करोड़ है। इस प्रकार कुल प्राप्तियां 10868.6 करोड़ रुपया हैं। व्यय में दिखाया है, राजस्व व्यय 8072.58 करोड़, पूँजीगत व्यय 3055.65 करोड़ इस प्रकार माननीय अध्यक्ष जी, कुल व्यय हुआ 11128.23 करोड़। कुल घाटा जो 10868.60 करोड़ रुपये का है। यदि राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय को माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण के आंकड़ों के आधार पर लें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 259.70 करोड़ रुपये के घाटे का बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट आंकड़ों को देखें तो घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है। यह सरप्लस की बात कर रहे हैं। जनता में मैसेज देने के लिए कहा कि राजस्व प्राप्तियां 9016.40 करोड़ और राजस्व व्यय 8072.58 करोड़ है। इन्होंने केवल पूँजीगत व्यय की बात कही है। राजस्व व्यय की बात करते, राजस्व प्राप्तियों की बात करते तो सारी बातें आ जाती। (व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी तरफ देख लीजिए। मान्यवर, मैं तो विनम्र अनुरोध करना चाह रहा हूँ।.......

श्री अध्यक्ष–

कल आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को ध्यान से सुना था और आज वे आपकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी–

मान्यवर, मैं आपकी बात को काफी ध्यान से सुन रहा हूँ और बाद में सब बातों का जवाब दूँगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार हमें शब्दों के और आंकड़ों के जाल में न फंसायें। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, हरक सिंह रावत तो आपका अनुज हो सकता है लेकिन मान्यवर, जो उत्तराखण्ड की जनता है, जो गरीब हैं, अपाहिज हैं, बेरोजगार हैं, विधवा हैं, निर्बल हैं, किसान हैं। उन सब की नजर आपके बजट पर है और बजट का असर इन्हीं लोगों पर पड़ता हैं, तो अगर आप उनको असत्य आंकड़ों और शब्दों के जाल में फंसाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जनता आपसे यह उम्मीद नहीं करती थी, इस प्रदेश की जनता को आपसे काफी उम्मीद थी। (व्यवधान)

माननीय मुख्यमंत्री जी, इस प्रदेश की जनता आपसे यह उम्मीद कर रही थी और कर रही है कि आप आर्मी के बैंक ग्राउंड से हैं, आपकी बात सीधी सपाट है, आप सच को सच कहते हैं। लेकिन कल जो आपने बजट प्रस्तुत किया और आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के बाद पूरे प्रदेश की जनता ने जब अखबारों की टिप्पणी को पढ़ा होगा तो उनके भी मन में बहुत कष्ट हुआ होगा। दूसरी बात माननीय अध्यक्ष जी, यह जो 155 करोड़ रुपये के घाटे को पाटने की बात की गई है लेकिन जो राजकोषीय घाटा है 1460.21 करोड़ का, श्रीमन् घाटा तो घाटा होता है, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ों क्यों मुन्ना जी ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अपना भाषण जारी रखें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अगर राजकोषीय घाटा है तो वह घाटा ही है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने घर का भी बजट बनाते है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो अनुभव नहीं होगा , लेकिन उनकी

धर्मपत्नी जी को अनुभव होगा कि इतना पैसा कपड़ों के लिए, इतना पैसा बच्चों की फीस के लिए, इतना पैसा राशन के लिए इतना पैसा आपकी मूंछ पर ताव देने के लिए तेल के लिए........। (हँसी)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष को पूरा अनुभव हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, लेकिन अब माननीय खण्डूडी जी बता रहे हैं कि कपड़ों का बजट है, राशन का बजट है, लेकिन बच्चों की फीस के बजट में कमी है। मान्यवर, लेकिन अगर फीस के बजट में घाटा है तो घाटा तो घाटा है। बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आयेगी। हमारी सरकार ने 2006–07 में रोजगार सार्वभौमिक योजना के लिए 32.50 करोड़ रु0 का प्राविधान किया था। उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण में अगर कोई मूल भावना थी और है तो वह उत्तराखण्ड के नौजवानों को काम देने की है। हमने सार्वभौमिक योजना बनाई थी, 32.50 करोड़ का प्रावधान उसके लिए किया था। इस सरकार ने उसे बन्द कर दिया, उसका उल्लेख कहीं आपने बजट भाषण में नहीं किया है। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन जो 250 रुपये थी हमारी सरकार ने उसमें 60 प्रतिशत की वृद्धि करके उन असहाय, विकलांगों के लिए वृद्धि की थी। हम आपसे उम्मीद कर रहे थे। धारचूला में बैठी वह वृद्ध हमारी माता, जिसका कोई सहारा नहीं, मंगलौर में बैठा हुआ विकलांग जिसको जीवन यापन करने के लिए (व्यवधान) यह हँसी की बात नहीं है। मैं विकलांगों की बात कर रहा हूँ, उनकी पेंशन बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे मुंह से हँसी कैसे निकल रही है। जैसे अभी स्व0 सरस्वती टम्टा के शोकोद्‌गार के समय लग रहा था कि जैसे पूरा सदन शोकमग्न है तो विकलांग की बात आई तो हमारे चेहरे से ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि हम गम्भीर है। मैं उम्मीद कर रहा था।

बहुत महंगाई बढ़ गई है अब 400 रुपये में कोई जीवन–यापन नहीं कर सकता है। यह ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। हमने 60 प्रतिशत की वृद्धि की थी आपको भी इसमें वृद्धि करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि हम बहुत पूजा–पाठ करते हैं, खुदा को पूजते हैं, मठ, मन्दिरों में जाते हैं लेकिन इससे बड़ी तपस्या नहीं हो सकती कि अगर हम असहाय, निर्धन, विकलांग की भलाई के लिए न सोंचे तो हमकों, इस सर्वोच्च सदन में आने पर जो समाज के अन्तिम पायदान पर बैठा है अगर उसके बारे में हम चिंचित न हों, तो यह बड़ें दुख का विषय है। स्पेशल कम्पोनेट प्लान में हमने विगत वर्ष के मुकाबले 133 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इससे अनुसूचित जाति की बस्तियों के लिए सड़क, उनके पेयजल आदि के लिए व्यवस्था की जाती है। इसी तरह एस0टी0 बस्तियों के लिए भी हमने व्यवस्था की थी। आपने 811 करोड़ की व्यवस्था की है। हमने इसमें 133 प्रतिशत की वृद्धि की थी।

मान्यवर, इतनी उम्मीद हम आपसे नहीं कर रहे हैं। अगर आप 50 प्रतिशत की वृद्धि करते तो जो गरीब बस्तियों, मलिन बस्तियों धारचूला में निवास करने वाले भाईयो में

और जोशीमठ के लोगों को अहसास होता कि सरकार ने हमारे कल्याण के लिए योजना में वृद्धि की है। मान्यवर, अल्पसंख्यकों के लिए हमने बुलन्द प्रोजेक्ट चलाया था, इसके लिए 50 लाख का प्राविधान 2006-2007 में किया। आपने अल्पसंख्यकों के रोजगार के लिए एक सामान्य सी भाषा डाल दी कि हम जनजाति और अल्पसंख्यकों के विकास की बात सोचेंगे। कोई अलग सा प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नहीं लाये, उनकी आबादी प्रदेश में कम नहीं है, आप उनकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। आप अगर उत्तराखण्ड के निर्माण को साकार करना चाहते हैं तो जब तक प्रदेश का हर कोना, प्रदेश के हर जाति और व्यक्ति के उत्थान की बात हम नहीं करेंगे, कल्याण की बात नहीं करेंगे तब तक प्रदेश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, हमारे प्रदेश के विकास का सपना चकनाचूर हो जायेगा। मान्यवर, औद्योगिक इकाईयों के विकास के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि हमने राज्य में निजी सहभागिता से 18 संस्थान वर्ष 2006-2007 में खोलने का निर्णय लिया था जिसमें 20 हजार करोड़ का पूँजीनिवेश हुआ। इससे एक लाख पचास हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की व्यवस्था की। मान्यवर, 262 इकाईयाँ वर्ष 2006-2007 में इस प्रदेश में संचालित हुई। लेकिन जब से आपकी सरकार आयी, माननीय खण्डूडी जी, एक मैसेज पूरे हिन्दुस्तान में मल्टी नेशनल कम्पनियों के बीच में चला गया है, यह मैसेज क्यों गया हम नहीं जानते ? हम पूछना चाहते हैं कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर जो औद्योगिक घराने हैं, जो मल्टी नेशनल कम्पनियाँ हैं उनमें नेगेटिव मैसेज चला गया कि उत्तराखण्ड की धरती औद्योगिक विकास के लिए वाजिब नहीं रही, अनुकूल नहीं रही। अब आपको देखना है कि यह मैसेज क्यों गया। अभी ऊधमसिंह नगर से फैक्स आया कि भाष्कर उद्योग पर ताला लग गया है।

मान्यवर, हम बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मान्यवर, पिछले तीन-चार साल में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोग यह कहने लग गये थे कि माननीय तिवारी जी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड ने काफी तरक्की कर ली है। हमारे भाई प्रीतम सिंह जी महाराष्ट चुनाव में गये थे, महाराष्ट्र के लोग कह रहे थे और गुजरात के लोग कह रहे थे कि आपके तिवारी जी ने क्या कमाल कर दिया। मगर आज सारे उद्योग बन्द हो रहे हैं।

मान्यवर, आज यहाँ पर सारे उद्योग बन्द होने के कगार पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी से बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों के चेयरमैन बात करते थे कि हम गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में उद्योग नहीं लगायेंगे हम तो केवल उत्तराखण्ड में ही उद्योग लगायेंगे। उस समय उत्तराखण्ड में हिन्दुस्तान के अन्दर कई बड़े औद्योगिक घराने, मल्टी नेशनल कम्पनियों के चेयरमैन माननीय तिवारी जी से यहाँ उद्योग लगाने के लिए बात करते थे और बहुत से औद्योगिक घरानें माननीय तिवारी जी से प्रेरित होकर और सुविधाओं को देखकर यहाँ उद्योग लगाने के लिए प्रेरित हुए। मान्यवर, प्रदेश के विकास के लिए औद्योगिक विकास नितान्त आवश्यक हैं। यह जो औसत विकास की दर है उसमें इसका भी बड़ा योगदान है। यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि आज बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों और मल्टी नेशलन कम्पनियों को यहाँ उद्योग लगाने के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है। जो उद्योग लगे हैं वह भी बन्द होने के कगार पर है।

मान्यवर, दूसरा विषय दुर्घटनाओं से सम्बन्धित है। कभी–कभी दुर्घटनाओं के कारण विकलांगता आ जाती है। बी0पी0एल0 परिवारों के लिए हमारी सरकार ने जन श्री बीमा योजना चलाई थी जिसके लिए 3.81 करोड़ का प्राविधान किया था उस योजना के बारे में बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। लगता है कि जन श्री योजना के नाम से नाराजगी है तो किसी अन्य नाम से बी0पी0एल0 परिवारों के लिए योजना प्रारम्भ करनी चाहिए थी। बी0पी0एल0 परिवारों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई गई थी। मान्यवर, यदि सरकार के अंशदान और जीवन बीमा कम्पनियों के सहयोग से अगर हम बी0पी0एल0 परिवारों को बीमित कर लेंगे तो गरीबों की काफी मदद होगी और वे अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सकेंगे।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। बजट पर चर्चा हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित है किन्तु अधिकारी गैलरी में शासन का कोई अधिकारी उपस्थित नहीं है। यह बहुत ही खेद जनक बात है। मैं चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी, इस पर आप निर्देश दें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, गैलरी में अधिकारी उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लिख रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, फूलों की घाटी, केदार नाथ, हेमकुण्ड और यमुनोत्री में यात्री यात्रा पर जाते हैं। चूँकि वहाँ पर पैदल मार्ग होने के कारण लोग खच्चर की यात्रा भी करते हैं। वहाँ के श्रमिकों द्वारा यह यात्रा करवाई जाती है। उन श्रमिकों के लिए भी जीवन बीमा योजना होनी चाहिए। क्योंकि कभी–कभी मजदूर या उसका खच्चर गिर जाता है तो उससे उन्हें शारीरिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है उनके लिए कोई योजना नहीं है। उनके लिए जीवन बीमा योजना होनी चाहिए। छात्र–छात्राओं के अध्ययन के लिए सुरक्षा योजना भी हमारी सरकार ने प्रारम्भ की थी उसको और प्रभावी तथा मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और हमारा छोटा प्रदेश है। हमारे प्रदेश की आबादी लगभग 1 करोड़ होगी। हमारा प्रदेश भूकम्प के जोन–4 व जोन–5 में आता है। पर्वतीय क्षेत्र जोन–5 और मैदानी क्षेत्र जोन–4 में स्थित है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार प्रदेश के हर नागरिक के बीमा योजना की व्यवस्था करे, इस पर भारत सरकार से भी अंशदान लिया जा सकता है और प्रदेश सरकार भी उस पर अंशदान कर सकती है। इस तरह से पूरे प्रदेश के हर नागरिक का बीमा किया जा सकता है।

मान्यवर, जब हमारी सरकार थी तो महिलाओं के लिए नारायण कल्याणकारी योजना बनायी जो कृषि योजना के रूप में चलायी जा रही थी। मान्यवर, माननीय

मुख्यमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं किया है और साथ ही राज्य के सरकारी सेवाओं में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण के आधार पर हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि हम तीस प्रतिशत आरक्षण देंगे। जब आप सदन के अन्दर भी इस बात के लिए सहमत हैं और हमारी केन्द्र सरकार की संयोजक श्रीमती सोनिया गाँधी जी के काफी प्रयास रहे हैं, कि विधान सभा और लोक सभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज सरकार महिला आरक्षण, जोकि तीस प्रतिशत है, उसको बढ़ाकर माननीय खण्डूडी जी की सरकार पचास प्रतिशत करती है, तो प्रदेश की महिलाएं माननीय खण्डूडी जी की आभारी रहेंगी। मान्यवर, मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि कल मैं और श्री निशंक जी किसी चैनल में एक साथ थे, तो निशंक जी के पास महिलाओं के ही फोन आ रहे थे।........ (व्यवधान)

मान्यवर, एक बार मैं और श्री प्रीतम भाई साथ थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उम्र में आप बड़े हैं या माननीय निशंक जी तो मैंने उनसे कहा माननीय निशंक जी मुझसे उम्र में बड़े है।..............(व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आप तो कलयुगी लक्ष्मण है। (हँसी की ध्वनि से व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमारे देश में महिलाओं की जनसंख्या 48 प्रतिशत है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप घड़ी मत देखियें आप मुझे देखने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसे प्रदेश की महिलाओं का बड़ा दुर्भाग्य ही समझूं कि इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, हमारा भी स्वास्थ्य खराब है इसके बावजूद भी हम कल भी बोले और आज भी बोल रहे हैं। आपके खिलाफ 29 तारीख की रैली में भी खूब नारे लगाए। 103–104 बुखार था। मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री निशंक जी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, निशंक जी तो एलोपैथिक इलाज कर रहे हैं और उधर निदेशक पूजा भारद्वाज आयुर्वेदिक इलाज कर रही है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, नेता प्रतिपक्ष जी बता दें, इनको जो भी इलाज जैसे प्राकृतिक इलाज या कोई और हम करवा देंगे।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इनका वैक्स बाथ करवा दें।

डा0 हरक सिंह रावत–

त्रिवेन्द्र जी, अब तो रावतों पर भरोसा उठ गया हैं एक रावत तो छोड़कर भाग गया। माननीय अध्यक्ष जी, 11 रावत इस सदन में हैं, एक हमारे पीछे बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बजट भाषण में सर्व शिक्षा अभियान में वर्ष 2006–07 में 160 करोड़ का उल्लेख हुआ है। कल जब बजट पर चर्चा एक चैनल पर हो रही थी उन्होंने जिक्र किया कि सर्व शिक्षा अभियान में 2006–07 में 160 करोड़ का प्राविधान था। मैंने माननीय तिवारी जी का 2006–07 के बजट भाषण का अध्ययन किया है। यह या तो गलत प्रिन्ट हो गया या फिर प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाली बात है तब 246 करोड़ का सर्व शिक्षा अभियान के लिए प्राविधान था। उर्दू भाषा के लिए, उर्दू भाषा किसी धर्म की जुबान नहीं है, किसी जाति की, किसी क्षेत्र की भाषा नहीं है बल्कि वह हिन्दुस्तान की एकता, अखण्डता का प्रतीक है। मान्यवर, हमारी सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से 263 उर्दू अध्यापकों के पदों का सृजन किया और 126 करोड़ रु0 का भारत सरकार ने इसके लिए हमकों स्वीकृति दी थी जबकि इस बजट में उर्दू शिक्षा को पढ़ाने के लिए उर्दू शिक्षकों की तैनाती के लिए कोई उल्लेख नहीं है।

कृषि ऋण योजना मान्यवर, भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था 2004–07 तक साढ़े पाँच सौ करोड़ के बजट का। 2006–07 में कृषि ऋण के लिए 1110 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण में कृषि ऋण योजना के लिए कुछ भी नहीं किया गया। मान्यवर, कृषि ऋणों पर स्टाम्प शुल्क हमने एक लाख से तीन लाख रुपया किया था, हम इस सरकार से और उम्मीद कर रहे थे। मान्यवर, विद्युतिकरण के क्षेत्र में बी0पी0एल0 परिवारों के लिए, 281615 परिवारों के लिए हमने कुटीर ज्योति योजना का निःशुल्क लक्ष्य रखा। मान्यवर, आपकी सरकार का बजट भाषण पढ़ रहा था कि 2009 तक हम हर गाँव का विद्युतीकरण कर देंगे। मान्यवर, हमारी सरकार का लक्ष्य था कि 2007 तक हर गाँव का विद्युतीकरण कर देंगे और 2009 तक हर परिवार का विद्युतीकरण कर देंगे, अब इस लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी ? मान्यवर, बिजली के खम्बे लग गये, तार आ गये, ट्रांसफार्मर लग गये। पर बी0पी0एल0 परिवारों के पास बिजली का कनेक्शन लेने के लिए पैसा नहीं है, किसी से उधार लेकर कनेक्शन ले लिया तो बिल कहाँ से देगा, इसलिए हमारी सरकार ने कुटीर ज्योति योजना निःशुल्क चलाई थी। जिससे इस प्रदेश के हर गरीब परिवार को लैम्प से छुटकारा मिल सके। वह भी टिमटिमाता हुआ बल्ब देख सके, उसके बच्चे उस रोशनी में अध्ययन करके इंजीनियर–डॉक्टर बन सकें। वह भी सपना देख रहा है, लेकिन उसके सपने को साकार करने का आपका न कोई सपना है और न कोई कार्यक्रम है।

मान्यवर, आबकारी नीति के बारे में कहना चाहता हूँ क्योंकि काफी कुछ कह चुके हैं, लेकिन जिस तरह लक्ष्य 417 करोड़ का रखा है। मान्यवर, इस सरकार की आबकारी नीति प्रदेश में माफियाओं को फायदा देने वाली नीति बनी है। मान्यवर, मनोरंजन कर

की बात करना चाहता हूँ, प्रदेश के सिनेमा हॉलों की हालत दयनीय है। मान्यवर, कभी मनोरंजन कर से अच्छी आय हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश से हुआ करती थी, लेकिन उत्तराखण्ड बनने के बाद केबिल और सी0डी0 और जो मनोरंजन के साधन हो गये हैं उससे मनोरंजन कर की वृद्धि की बहुत सम्भावना नहीं हैं। मान्यवर, 5.88 करोड़ का लक्ष्य था हमारी सरकार में, इस लक्ष्य को सिनेमा घरों में सहयोग करके वृद्धि कर सकते थे। मान्यवर, मेरी सिनेमा मालिकों के संघ से बात–बीच हुई तो उन्होंने कहा कि हम सरकार को सुझाव दे सकते हैं कि जो साढ़े पाँच करोड़ का लक्ष्य है उसमें वृद्धि होगी और सिनेमा हॉलों की हालत में सुधार होगा। तो आप उनसे बात–बीच करके रास्ता निकाल सकते है, लेकिन सरकार ने इसमें कोई मंशा जाहिर नहीं की है कि वह इस तरह का कोई प्रयास मनोरंजन कर को बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं। मान्यवर, विद्युतीकरण के मामले में जल विद्युत परियोजना के लिए बहुत बड़ी बात हो रही है।

मान्यवर, बहुत बड़ी–बड़ी बातें भाषण में हो रही हैं, लेकिन इसके लिए पिछली सरकार की पीठ को थपथपाना चाहिए, शाबासी देनी चाहिए, सरकार को इसके लिए। हमारे शासन काल में 2006–2007 तक टिहरी जल विद्युत परियोजना से 1000 मेगावाट, मनेरीभाली फेज–दो से 304 मेगावाट, विष्णु प्रयाग परियोजना से 400 मेगावाट, धौली गंगा परियोजना से 280 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं पर बिजली का उत्पादन शुरू हो गया।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी–

मान्यवर, सरकार आंकड़ों के अनुसार पाँच साल में एक भी मेगावाट बिजली उत्तराखण्ड में नहीं बढ़ी है।................(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप फिर भी इसको दिखवा लें।...................(व्यवधान)

श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी–

मान्यवर, मैं आपको सरकारी आंकड़े दे रहा हूँ।............(व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, टिहरी जल विद्युत परियोजना से उत्पादन शुरू हो गया है और धौली गंगा पर 240 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। मैं आपको सरकारी आंकड़े दे रहा हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं।........(व्यवधान)

श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी–

मान्यवर, मनेरीभाली फेज–दो पर कार्य हो गया है, जो वर्ष 2006 में होना था, वह 2007 में प्रोसेस हुआ और 2008 में हम इसकों पूरा करने की कोशिश कर रहे है, अभी इसने प्रोडक्शन शुरू नहीं किया है।.............(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, ये आंकड़े कोई हरक सिंह रावत के आंकड़े नहीं हैं। वही अधिकारी आपको आंकड़े दे रहे हैं और उन्हीं अधिकारियों ने हमकों आंकड़े दिये हैं। अब ये हो सकता है।................(व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

मान्यवर, अभी वहाँ पर माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा हमारे माननीय मंत्री जी के लिए कहा जा रहा था कि चोर को दस बार चोर कहें तो वह चोर हो जाता है। मैं इस सम्बन्ध में यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि झूठ को 10 बार झूठ कहें तो वह सच हो जाता है।................(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सड़कों के मामले में अलग से इस सरकार ने चालू कार्यों के लिए योजना बनायी है। हमने वर्ष 2006–07 में 362 करोड़ का आवेदन किया था, नये कार्यों पर 08 करोड़, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत 72 करोड़ की व्यवस्था की थी। मान्यवर, इस सरकार ने क्या किया ? माननीय अध्यक्ष जी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ा कि जितने छोटे मोटर मार्ग, जिन पर 50 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका है केवल उन्हीं को ऑन गोइंग योजना में मानते हुए उन पर धनराशि की व्यवस्था की जायेगी। मान्यवर, अभी बहुत सारे ऐसे मोटर मार्ग हैं जो वर्ष 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006 में स्वीकृत थे। मान्यवर, वन अधिनियम के कारण, गाँव–गाँव के आपसी झगड़ों के कारण, विभाग के जुलोजिकल सर्वे रिपोर्ट समय से न मिलने के कारण, वन भूमि के ट्रांसफर न होने के कारण अगर उन पर समय से कार्य शुरू नहीं हो पाया है, तो इसमें गाँव के लोगों कीं क्या गलती है ?

मान्यवर, जिन लोगों को मोटर मार्ग चाहिए, उन लोगों ने कौन सा अपराध कर दिया ? इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से कहना चाहता हूँ, क्योंकि सरकारें आने और जाने के लिए ही होती हैं और यह अच्छा भी है। पॉलिटिकल साईस में अच्छी सरकार उसको कहा जाता है जो सरकार कम समय के लिए चलती है। यह पॉलिटिकल साईस की दुनिया की सार्वभौम अच्छी सरकारों के बारे में टिप्पणी है। मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आपकी सरकार जल्दी चली जाएगी। (व्यवधान) इस टिप्पणी को आप जिस परिप्रेक्ष्य में लेना चाहें, मैं तो इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि सरकारे आती हैं और जाती हैं। मुख्यमंत्री आते हैं और जाते हैं। यह उत्तराखाण्ड राज्य बनने के बाद इस कुर्सी में, जिसमें नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, माननीय नित्यानन्द स्वामी जी, तीन माह के लिए माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी, फिर लोकप्रिय जनप्रिय सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी और अब दूसरी लोकप्रिय सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री खण्डूडी जी बैठे हैं। इन सात सालों में चार मुख्यमंत्री आ गये, तीसरी सरकार आ गयी। सरकारें तो आती जाती रहेंगी। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश के सदन में सदस्य रहते हुए यह महसूस किया है और यह परम्परा हमकों

देखने को मिली है कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने, पूर्ववर्ती सरकार ने कोई घोषणाएं कर दीं, कोई शासनादेश निकाल दिया, तो उसको व्यक्ति का शासनादेश न मानते हुए सरकार का शासनादेश और मुख्यमंत्री का आदेश माना जाता है। (मेजों की थपथपाहट) नई सरकार की यह बाध्यता होती थी कि ऑनगोईंग योजनाओं को हम पहले प्राथमिकता दें।

यह कैसा इंसाफ है ? अगर किसी सड़क को बनाने के लिए सरकार के खजाने से सर्वे के नाम पर, जियोलॉजिकल सर्वे के नाम पर एक लाख भी खर्च हो गया और अगर आपने उस योजना को बन्द कर दिया तो उस सड़क के लिए जो एक लाख रुपया खर्च हुआ है, उसकी भरपाई कहाँ से होगी ? क्या वह प्रदेश सरकार का पैसा नहीं है ? इसलिए मान्यवर, राजनीतिक दुर्भावना को छोड़कर, पूर्वाग्रह से ग्रसित न होकर सरकार को निर्णय करना चाहिए। जो स्वीकृतियां हमारी सरकार ने दी हैं, उनको पूरा करना चाहिए। पेयजल के क्षेत्र में मान्यवर, हमने विश्व बैंक से बातचीत करके 450 करोड़ के बजट की व्यवस्था की थी। जलापूर्ति के लिए 62.92 करोड़ की व्यवस्था की थी। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान से 10.08 करोड़ की व्यवस्था की थी। हैण्डपम्पों के लिए जिला योजना में 15 करोड़ की व्यवस्था की थी। इस सरकार ने पेयजल की मद में कटौती की है और मात्र 336 करोड़ की व्यवस्था की है। हमारी सरकार ने 2006–07 में 544 करोड़ रुपये सिंचाई के मद में रखे थे, जिसमें नहरों के लिए, लघु सिंचाई के लिए, वृहद् सिंचाई योजनाओं के लिए अलग–अलग बजट रखा था। इसमें हमारी सरकार ने पूर्व की अपेक्षा 32 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इस सरकार ने 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं की है। तो मान्यवर, हमने विगत वर्षों की भांति लगातार वृद्धि की थी।

मान्यवर, इसी प्रकार से शिक्षा प्रदेश का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमने 5 साल में 14847 प्राथमिक विद्यालय, 4067 जूनियर हाई स्कूल, 8837 हाई स्कूल और 1118 इण्टर कालेज दिये और 70 अशासकीय विद्यालयों का प्रान्तीयकरण किया था। सर्व शिक्षा की बात मैं पहले ही कह चुका हूँ, हमने प्राथमिक शिक्षा के 635 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा के लिए 625 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग होता है प्रदेश का। जब हमारा पिछला सत्र हुआ था मार्च में, मैंने उस समय भी इस बात को कहा था कि अभी मार्च में हमारा सत्र हो रहा है और जुलाई में विद्यालय खुलेंगे। मेरी जानकारी में है कि अकेले पौड़ी जनपद में ही 700 से अधिक पद प्राथमिक, जूनियर, माध्यमिक और इण्टर कालेजों में रिक्त पड़े हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वहाँ पर उनकी तैनाती कर दी गई है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमने पहले भी कहा था कि सरकार को किसी भी प्रकार से जून के आखिरी तक प्रदेश के हर विद्यालय में चाहे वह इण्टर कालेज हों या हाई स्कूल हों या जूनियर हाई स्कूल हों या प्राथमिक विद्यालय हों, एकल विद्यालय हों सब जगहों पर शिक्षकों की तैनाती सत्र प्रारम्भ होने से पहले हो जानी चाहिए।

(माननीय परिवहन मंत्री के अपने स्थान पर बैठे–बैठे कुछ कहने पर)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप और माननीय निशंक जी तो माननीय खंडूडी जी की सरकार को डुबाकर ही रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आप कब तक रोते रहेंगे कि पिछली सरकार पिछली सरकार ? पिछले सदन में भी आप लोग रोते रहे कि पिछली सरकार। आप मुझे कृपा करके बता दीजिये कि आप लोग कुछ काम भी करेंगे या पिछली सरकार का रोना रोते रहेंगे ?

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि कोई क्षेत्र या समाज आगे बढ़ना चाहता है और उसका नव निर्माण यदि करना होता है तो शिक्षा ही उसकी नींव होती है। यदि हम भी अपने प्रदेश के विकास की भव्य इमारत खड़ी करना चाहते हैं तो शिक्षा जैसी मजबूती नींव के बलबूते ही हम वह इमारत खड़ी कर सकते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में आमूल–चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। पिछले सत्र में मैंने जब सी0बी0एस0ई0 पैटर्न का उल्लेख किया था तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने टिप्पणी की थी आपकी सरकार में ही सी0बी0एस0ई0 पैटर्न लागू हो गया है, यह टिप्पणी अखबारों में भी छपी थी मुझे वह वक्तव्य याद है, मैंने कहा था कि सी0बी0एस0ई0 पैटर्न को इण्टर तक लागू करना चाहिए, और वह आज होने जा रहा है, और यह मुझसे उस दिन कह रहे थे कि यह आपकी सरकार ने ही कर दिया है। क्यों शिक्षा मंत्री जी, यह आज हो रहा है।...... (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, निर्णय इनकी सरकार का था। मैं फिर कह रहा हूँ कि निर्णय इनकी सरकार का था।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने कहा कि सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए। (व्यवधान) इण्टर में नहीं था हुआ। मैंने कहा था कि सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम इण्टर तक लागू होना चाहिए। (व्यवधान) कल 100–टी0वी0 में जबरदस्ती गलत आंकड़े रख रहे थे। वो तो हरक सिंह रावत आंकड़ों का पेट भर कर जाता है। ये कह रहे थे कि विकलांक पेंशन हमने बढ़ा दिया है। मैंने खट निकाला आपका भाषण और दिखा दिया तो चुप हो गये।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, मैं फिर कह रहा हूँ कि इसका बजट हमने बढ़ाया है, वह इस बजट में है। ये शिक्षा में भी गलत आंकड़े दे रहे थे, बाद में इन्होंने कह दिया कि मैंने बजट पढ़ा ही नहीं था।

डा0 हरक सिह रावत–

मान्यवर, ये वित्त मंत्री के लिए लालायित थे और आपने बना दिया स्वास्थ्य मंत्री। हमने नौ राजकीय महाविद्यालयों को आदर्श विद्यालय बनाने का निर्णय लिया था। अब

यह परिपाटी आगे बढ़नी चाहिए थी क्योंकि दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में सहायता प्राप्त डिग्री कालेज नहीं हैं, विश्वविद्यालय नहीं हैं, इग्नू के सेन्टर नहीं हैं तो बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए आज कर्नाटक की तरह, तमिलनाडु के बच्चों की तरह यहाँ के बच्चे भी आधुनिक भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें, उनको भी उच्च शिक्षा मिल सके, उनको भी तकनीकी शिक्षा मिल सके, उनको भी कम्प्यूटर की शिक्षा मिल सके, उनको भी कृषि की शिक्षा मिल सके, उनको वानिकी और उद्यान की शिक्षा मिल सके इस पर हमें बल देना चाहिए था, लेकिन इस सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मान्यवर, भारत सरकार के सहयोग से, डा0 मनमोहन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है, हम उनके आभारी हैं, कि हर प्रदेश में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जायेगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि आप अपने भाषण में इस बात का उल्लेख करेंगे क्योंकि गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रपत्र विश्वविद्यालय की ओर से यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन को, प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है और इसलिए भी मान्यवर, हमने दून विश्वविद्यालय बनाया।

दून विश्वविद्यालय स्थापित करने के पीछे प्रदेश सरकार की सोच थी कि यह ऐसा विश्वविद्यालय होगा जैसे कि मिडिल एजुकेशन के लिए नेशनल इन्टरनेशनल लेबल की स्कूलिंग शिक्षा के लिए हमारे प्रदेश में देहरादून और नैनीताल में दुनिया के बच्चे आते हैं। इसी तरह से स्टेटस का हायर एजुकेशन के एक गुरूत्वायुक्त विश्वविद्यालय का निर्माण किया जायेगा। मान्यवर, श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने दून विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना करके उसकी शुरूआत की। हम आपसे यह उम्मीद कर रहे हैं कि दून विश्वविद्यालय के स्वरूप को और ऊँचा उठाने के लिए आप काम करेंगे। दून विश्वविद्यालय बनने के बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय विशेषकर गढ़वाल के लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए भी यह आवश्यक हो गया है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाये। मान्यवर, स्वास्थ्य के मामले में मुझे कहना है कि प्रदेश के सामने और पूरे देश के सामने सबसे बड़ी कोई चिन्ता है तो वह जन-जीवन के स्वास्थ्य की है।

हमने सड़कों के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, विद्युतीकरण के क्षेत्र में और इन्फारमेशन के क्षेत्र में तमाम क्षेत्रों में बहुत तरक्की की है, लेकिन इसके बावजूद भी हम मेडिकल साइंस के क्षेत्र में आज बहुत कुछ नहीं कर पाये थोड़ा बहुत करने का प्रयास किया है जबकि बहुत कुछ किया जाना चाहिए था वह नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा प्रदेश विषम भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है, यहाँ पर गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। जनजाति, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोग इस प्रदेश में निवास करते हैं, छोटे किसान इस प्रदेश में रहते हैं। इसलिए भी आवश्यक है कि इस प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर बल दिया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने स्वास्थ्य को बहुत बड़ी चुनौती के रूप में लिया। प्रदेश में मेडिकल कालेज के निर्माण की शुरूआत की थी। हमने जौलीग्रांट मेडिकल

कॉलेज को कैंसर सेन्टर के रूप में अनुदान दिया था और हमने गुरू राम राय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार के स्तर पर मान्यवर, जो प्रक्रिया पूरी हो सकती थी उसमें सहयोग दिया था। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी कांग्रेस सरकार की देन है। हमारी सरकार ने रुद्रपुर, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की थी और निर्णय लिया था। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 10 करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया था। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए भी प्रक्रिया आरम्भ की गई थी। किन्तु अब जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण देख रहे थे तो उस बजट भाषण में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का कोई उल्लेख नहीं है। पिथौरागढ़, बागेश्वर तथा चम्पावत जनपद के लोगों के लिए, जिस तरह से हमने श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह का संघर्ष फिर करना होगा। मैं आभारी हूँ माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी की जब सरकार थी तो मंत्रिमण्डल के सामने जब श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का विषय आया था तो हमने अपनी बात को रखा था और माननीय तिवारी जी ने हमारी बात को गम्भीरता से समझा और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए पहले चरण में एक करोड़ रुपये का प्राविधान कर दिया।

श्री अध्यक्ष–

मंत्रिमण्डल के सम्मुख रखी बात को यहाँ पर न कहें कि आपने मंत्रिमण्डल के सामने क्या कहा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मंत्रिमण्डल की बात की गोपनीयता तब तक होती है जब तक उस विषय पर निर्णय न हो जाए। चूँकि निर्णय पूर्व में आ चुका है इसलिए मैंने इस बात को कहा। माननीय खण्डूडी जी भारत सरकार में मंत्री थे, उस समय श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए आपने भी प्रयास किया था। आपने भी मेडिकल कॉन्सिल में प्रदेश सरकार की ओर से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जो प्रक्रिया थी उसमें सहयोग दिया था। हमारी सरकार ने 300 बेड के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई और मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लए 21 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई थी और आज मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उस समय आपने श्रीनगर चलो, श्रीनगर चलो का नारा दिया था और पोस्टर भी मुझे दिखे थे। अब आपकी सरकार है। जब आप मुख्यमंत्री बने थे तब मैं आपसे दिल्ली में मिला था और आपके घर पर आपसे इस सम्बन्ध में वार्ता भी की थी और आग्रह किया था कि इस शिक्षा सत्र में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की शुरूआत कर दें लेकिन मुझे दुख है कि जब आप अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने की उपलब्धियाँ गिना रहे थे तो दिल्ली में आपके घर में जो वार्ता हुई थी उसको याद दिलाने के लिए हमने पौड़ी में चेतना रैली के माध्यम से आपको याद दिलाने का प्रयास किया था कि श्रीनगर चलो का नारा आपका क्या हुआ ? क्यों नहीं मेडिकल कॉन्सिल से बात की ?

आपने कमिश्नर गढ़वाल को नोडल अधिकारी बना दिया। आपके स्तर पर इस सम्बन्ध में मीटिंग भी हुई है। अगर आपने तीन महीने पूर्व जब आपसे दिल्ली में वार्ता हुई थी उस पर गम्भीरता से विचार किया होता, यही प्रक्रिया और यही मीटिंग तथा नोडल अधिकरी की नियुक्ति पहले कर दी होती तो निश्चित रूप से हम जो अब दिसम्बर में कार्य पूरा होने की उम्मीद कर रहे हैं वह कार्य जून मे ही समाप्त हो गया होता। मान्यवर, अगर तीन महीने पहले हमारी बात को गम्भीरता से लिया होता तो जून के महीने में ही ये मेडिकल कालेज का कार्य पूर्ण हो जाता। अब तक नोडल अधिकारी की नियुक्ति हो गयी होती।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, तीन महीने पहले भी गलती इन्हीं की हैं क्योंकि ये जहाँ आज बैठे हैं पहले ही यहाँ बैठ जाते तो हम इस काम को पूरा करा देते।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, श्रीनगर मेडिकल कालेज की बात है, यदि आज ये कालेज खुल गया होता तो, पूरे देश की जनता जो आज चार धाम यात्रा करने के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा करने आती है यदि कभी आकस्मिक घटना हो जाती है तो उनके उपचार के लिए आज इतनी दूरी में कोई उपचार के साधन नहीं हैं। मान्यवर, शीघ्र ही श्रीनगर में मेडिकल कालेज का कार्य पूर्ण किया जाय। मान्यवर, इसी प्रकार से अल्मोड़ा, चम्पावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में मेडिकल कालेज खोलने का प्रयास इस सरकार को शीघ्र करना चाहिए, और हमारी सरकार ने अल्मोड़ा से लगे हुए जिला नैनीताल में मेडिकल कालेज को उच्च स्तरीय सुविधा दिलायी थी जिससे जनता को इस मेडिकल कालेज से बहुत सुविधा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इन जिलों में मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा कर देते हैं तो पूरे प्रदेश में एक अच्छा संदेश जायेगा। मान्यवर, आज तक सरकार अल्मोड़ा में भी मेडिकल कालेज को खोलने का कोई उचित कदम नहीं उठा रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश में यदि अच्छे मेडिकल कालेज खोले जाते हैं तो हमारी जनता को बड़ी सुविधा होगी और हमारी प्रदेश की जनता भी यही उम्मीद कर रही है, शीघ्र ही अल्मोड़ा मेडिकल कालेज की भी स्थापना की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया आपसे निवेदन है कि अल्मोड़ा, कुमाऊँ गढ़वाल और मैदान वाले यह शब्द न कहें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आज सामान्य चर्चा हो रही है, इसलिए नीतिगत विषयों पर ही बोला जा सकता है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह बात आपने पूर्व सरकार में जब नेता प्रतिपक्ष माननीय कण्डारी जी थे, तो उस समय माननीय कण्डारी जी को क्यों नहीं समझायी ? मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष अपनी पूरी बात रख सकते हैं। मान्यवर, पूरे प्रदेश की जनता की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ क्योंकि मैं जिस विषय की बात कर रहा हूँ वह बहुत गम्भीर है लेकिन मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ लेकिन हमारी सरकार पिछली बार मेडिकल कालेजों के बारे में बहुत गम्भीर थी।

मान्यवर, यह जो विवेकाधीन कोष है जोकि मुख्यमंत्री जी के विवेक पर दिया जाता है गरीबों के लिए, असहाय के लिए, निर्धनों के लिए या फिर कवियों, साहित्यकारों को मुख्यमंत्री जी के विवेक पर दिया जाता है। मुझे याद है कि माननीय निशंक जी की पुस्तक को [XXX] मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ने पुरस्कार के रूप में प्रकाशन के लिए एक लाख रु0 दिया था।

श्री अध्यक्ष–

[XXX] यहाँ पर नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, निंशक जी की पुस्तक को खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। मेरी जानकारी में है एक लाख रु0 निशंक जी की पुस्तक को क्रय करने के लिए दिया था।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष जी हमारे मित्र हैं। मैं उनकी सूचना करेक्ट कर दूँ। मुझे विवेकाधीन कोष से नहीं हिन्दी संस्थान ने और 1992 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी द्वारा पूरे भारत वर्ष के पुस्तकालयों के लिए, एक बोर्ड गठित हुआ था उसमें मिला था। मुझे [XXX] ने विवेकाधीन कोष से नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष–

नेता प्रतिपक्ष, आप बार–बार उनका नाम क्यों ले रहे हैं ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, इनको सपने में भी निशंक आता है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने गढ़वाल के एक अखबार में पढ़ा था कि निशंक जी की किताब के लिए एक लाख रु0 उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। मुझे जानकारी मिली कि हिन्दी संस्थान के माध्यम से प्रदेश सरकार ने दिया। उस समय [XXX] मुख्यमंत्री थे।

नोट [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, अगर नेता प्रतिपक्ष इस बात को पुख्ता कर दें तो मैं इसको इस सदन में चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आप [XXX] के (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह पुरानी बात है।

डा0 हरक सिंह रावत–

इसका पत्र हमारे पास है।

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, अगर इनके पास पत्र है तो उस पत्र को सदन में अवगत कराया जाए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया इसे कार्यवाही का अंग न बनाया जाए।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय निशंक जी को बार–बार क्यों दिक्कत है ? मान्यवर, कल हम और माननीय निशंक जी एक टी0वी0 चैनल में बजट के डिस्कसन में गये थे। माननीय निशंक जी के नाम के आगे डाक्टर लिखा था और मेरे नाम के आगे नहीं लिखा था, मुझे लगा कि पी0एच0डी0 के आगे डाक्टर नहीं लिखा जाता होगा।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि उन्होंने डाक्टर नहीं लिखा है तो इसे सदन में कहना, मतलब सदन का समय बरबाद करना है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिह–

मान्यवर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कौन किस चीज के डाक्टर है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, असहायों के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष रखा गया था कि किसी शोधकर्ता के लिए, अच्छे सामाजिक कार्यो के लिए, पुरस्कृत करने के लिए, जिससे वह अपना योगदान–अनुदान दे सकते हैं, लेकिन इस बात का हमें बड़ा कष्ट है कि सरकार ने विवेकाधीन कोष को डी0एम0 कोष बना दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि पटवारी कोष बना दिया। मान्यवर, हमारे सम्मानित मंत्रीगण–विधायकगण को लाखों लोगों ने अपना विश्वास देकर प्रदेश के सर्वोच्च पंचायत में चुनकर भेजा है। मान्यवर, उनको अपने किसी इलाज के लिए देते हैं, अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए देते हैं, हमारे माननीय मंत्रीगण–विधायकगण अपने विवेक से माननीय मुख्यमंत्री जी को संस्तुति करते हैं और

नोट–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विवेकाधीन कोष पर माननीय विधायकों की संस्तुति को स्वीकार न करते हुए डी0एम0 से रिपोर्ट मांगते, डी0एम0, एस0डी0एम0 से, एस0डी0एम0 तहसीलदार से, तहसीलदार कानूनगो से, कानूनगो पटवारी से रिपोर्ट मांगता है।

मान्यवर, अगर किसी बीमार के द्वारा विवेकाधीन कोष की अपेक्षा की गई तो जब तक स्वीकृत होगा तो मैं नहीं समझता कि तब तक वह बीमार जीवित रहेगा। मान्यवर, किसी लड़की की शादी के लिए, शिक्षा के लिए एक कोष की व्यवस्था थी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, कुछ गड़बड़ियां जनता की नजर में हुई होंगी। कुछ गलतियां की थीं तो यहाँ बैठे हैं, पहले आपने की थीं तो आप यहाँ बैठे थे, अब फिर करेंगे कि फिर यहाँ बैठेंगे। आपको कहीं न कही अपने जनप्रतिनिधियों पर विश्वास व्यक्त करना होगा नहीं तो लोकतंत्र का महत्व खत्म हो जायेगा अगर हमारे विधायकों की संस्तुति पर पासपोर्ट बन सकते हैं। मान्यवर, हमारे विधायकों की संस्तुति पर पूरे प्रदेश में हमारे 'हाँ' और 'ना' पर 11 हजार करोड़ का बजट पास हो सकता है। क्या हमारी संस्तुति पर 10 हजार, 05 हजार, 02 हजार रु0 की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से नहीं हो सकती है ?

इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, हो सकता है शुरू-शुरू में आपको इसमें गड़बड़ी महसूस हुई हो, आपको लगा हो कि तत्काल इसको बांटना शुरू हो गया तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है। मान्यवर, अब आपकी सरकार को बने 100 दिन हो गये हैं। मान्यवर, हम भी कोशिश करते हैं हर व्यक्ति की संस्तुति न करें, लेकिन एक विधायक और माननीय मंत्री जी ने संस्तुति की है तो उसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। मान्यवर, पिछली सरकार ने पाँच हजार रु0 तक की संस्तुति की थी कि इसको तत्काल दिया जाय, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री माननीय तिवारी जी की घोषणा के बावजूद पाँच हजार तक की धनराशि आज तक नहीं दी गयी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ कि इस बजट में महिलाओं की सुविधाओं का भी उल्लेख होना चाहिए था, परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए आवास भूमि क्रय के लिए स्टाम्प ड्यूटी में हमारी सरकार ने छूट दी थी, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें और छूट दी जानी चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सम्पत्ति महिलाओं के नाम हो सके। मान्यवर, इस लालच में स्टाम्प ड्यूटी में अधिक छूट होने से रजिस्ट्री करने में छूट मिलेगी और लोग महिलाओं के नाम चल-अचल सम्पत्ति की रजिस्ट्री करेंगे, इससे महिलाएं अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी।

मान्यवर, किसानों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ हमारी सरकार ने कम ब्याज पर धन उपलब्ध कराने हेतु बैंकों में सब्सिडी दी थी। इस सरकार ने इसे बंद कर दी है। इसलिए मेरा आपकी सरकार से आग्रह है कि प्रदेश के छोटे किसान जिनको कम ब्याज पर ये ऋण उपलब्ध कराया जा रहा था, उसको फिर से शुरू किया जाना चाहिए। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ ई-गवर्नेंस के नाम पर, आई0टी0 पार्क के नाम पर मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया है कि हमारी सरकार ने भी इस दिशा में प्रयास किया था। मान्यवर, जब आपकी अंतरिम सरकार थी उसने भी और आज जब

आपकी फिर सरकार है यह इस दिशा में प्रयास कर रही है। मान्यवर, ई–गवर्नेंस, राज्य ई–गवर्नेंस, सुदृढ़ीकरण, नेशनल ई–गवर्नेंस, राज्य क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्किंग, खण्ड स्तर पर नेटवर्किंग आदि के नाम पर 157.75 करोड़ का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, ई–गवर्नेंस के नाम पर, आई0टी0 पार्क के नाम पर, खण्ड राज्य गवर्नेंस आदि के नाम पर जो यह 157.57 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है, यह सब के लिए चिंता का विषय है।

मान्यवर, हमको लैपटॉप दिये गये, आपके माध्यम से। क्षमा करें पीठ से मिले हैं। लेकिन आज वे लैपटॉप कहाँ हैं ? विधान सभा में आप किसी मंत्री के यहाँ इंटरनेट देख लें। मेरी बेटी को कुछ होमवर्क करना था, वह इंटरनेट पर प्रोजेक्ट निकालना चाहती थी, कहने लगी आपके यहाँ इंटरनेट इतनी धीरे चलता है। मान्यवर, 157.75 करोड़ रुपये ई–गवर्नेंस और इंटरनेट पर खर्च किये हैं सरकार ने और विधान सभा की यह स्थिति है, तो पूरे प्रदेश की क्या स्थिति होगी ? खण्ड या क्षेत्र ई–गवर्नेंस की क्या बात करें ? यह हालत आई0टी0 के क्षेत्र में है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, यह विधान सभा पर टिप्पणी है। इसको दिखवा लें तो ज्यादा अच्छा होगा। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं इस सन्दर्भ में जाँच की बात नहीं कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, निशंक जी की बात उचित प्रतीत होती है। लैपटॉप खरीदने की बात कही है, इसका जिक्र यहाँ पर न करें तो अच्छा होगा। यह 5 साल पहले की बात है। समय–समय पर उनका जो रख–रखाव होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। इसका संदर्भ न लें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आज आपकी सरकार है। आज आई0टी0 का युग है इसलिए ई–गवर्नेंस या इंटरनेट जो भी कार्यक्रम बनाएं, यह देखना चाहिए कि किस रूप में पैसा खर्च हो रहा है। सही रूप में खर्च हो रहा है या नहीं। ऐसा न हो कि केवल बजट में प्राविधान कर दें। बजट में पहले भी प्राविधान हुआ है लेकिन इसका हश्र क्या हुआ ? (व्यवधान) मान्यवर, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले सात सालों में पहले आपकी सरकार थी, फिर हमारी सरकार थी और अब आपकी सरकार है। अगर आई0टी0 के क्षेत्र में यह स्थिति बनेगी तो उचित नहीं है। एक तरफ तो हम कर्नाटक, तमिलनाडु और दूसरे प्रदेशों से मुकाबला करने की बात करते हैं। मिशन मोड के बारे में कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

लैपटॉप का उच्चीकरण नहीं किया गया। आज मॉडल इतनी जल्दी बदल रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इसमें मनमानी नहीं होनी चाहिए। कोई पारदर्शी नेशनल टेंडरिंग होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो विशेषज्ञ हैं, कम्पटीशन के माध्यम से इन धनराशि का उपयोग होना चाहिए। कोई मनमानी नहीं होनी चाहिए। मेरी सिर्फ यही मंशा है। मान्यवर, मिशन मोड योजना, मैं इस पर बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहता। यह भारत सरकार के सहयोग से चलती है। प्रदेश के विभिन्न कार्यक्रम पेयजल, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि के कार्यक्रम इसमें हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, यहीं से छेद नजर आता है। जब हम कोई मिशन को नाम देते हैं, तो मिशन के नाम पर कई सौ करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं। जब अधिकारी से पूछा कि यह कैसे खर्च हो गया, इस एन0जी0ओ0 को कैसे दे दिया? तो कहते हैं कि यह तो मिशन प्रोजेक्ट है, मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस विषय पर इतनी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ कि मिशन प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन यह सचमुच इस प्रदेश के विकास में सार्थक साबित हो सके यह आवश्यक है। इस पर आपको नियंत्रण करना होगा।

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार ने इस प्रदेश के गरीबों, असहायों, वृद्धों, विकलांगों, निराश्रितों, किसानों और बेरोजगारों को इस बजट के माध्यम से निराश किया है। कुछ लोग इस बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपा रहे होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी यदि आपको आपके मंत्रिमण्डल के सहयोगियों ने और अधिकारियों ने सहयोग किया होता तो, जो आपको 4378 करोड़ की जो योजना मिली है वह पाँच या साढ़े पाँच हजार करोड़ से ऊपर भी जा सकती थी। अगर सरकार ने समय पर सब भारत सरकार को सबमिट किया होता तो यह आकार बढ़ सकता था। अब आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि हमने भारत सरकार को तो 6000 करोड़ रुपये का सबमिट किया था और योजना आयोग से कटकर यह 4378 करोड़ की स्वीकृत हो पाया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करूँगा और निवेदन भी करूँगा कि भविष्य के लिए आपको इन बातों को याद रखना होगा और अच्छा तो यह होता कि पहले चाल महीने का लेखानुदान और अब आठ महीने के बजट की जगह पूरे साल का बजट एक साथ आता है। लेकिन चुनाव और अन्य परिस्थितियों को हम भी समझ सकते है।

माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आज जिस मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन की बात कर रहे हैं, वह मुझे कहीं भी संभव होती नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी यह बजट सदन में पेश किया गया है और फिर विधान सभा से पारित होने के बाद इसमें एक महीने का समय लग जायेगा, बहुत जल्द भी करेंगे तो 15 दिन का समय लगेगा। जुलाई में यह विभाग से जायेगा, अगस्त में निदेशालय तक पहुँचेगा और फिर सितम्बर में निदेशालयों से जिलों में जायेगा। फिर आक्टूबर, नवम्बर में प्राक्कलन बनेंगे। उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन महीनों में फिर वही बजट की बंदरबांट होगी और जो माननीय मंख्यमंत्री जी, आप वित्तीय अनुशासन और मितव्ययिता की बात कर रहे हैं, वह कुछ नहीं हो पायेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं हैलीकॉप्टर का प्रयोग कम से कम करूँगा, सड़क से ही सब जगह जाने की कोशिश करूँगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूँ कि हमारे प्रदेश का हैलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, यह निशंक सिंड्रोम है।................. (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपने कहा था कि सड़क मार्ग से ही यात्रा करेंगे, लेकिन आपके मंत्री ही मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन नहीं कर पा रहे है। मान्यवर, यहाँ से पाबौ अगर सड़क से जायं तो मुश्किल से 4 घंटे का सफर है, आराम से 4 घंटे में वहाँ पहुँचा जा सकता है और मुझे यह भी पता चला कि वहाँ पर अधिकारी तो 100 थे लेकिन फरियादी 25–30 ही थे। मान्यवर, पायलट ने मना कर दिया लेकिन माननीय मंत्री जी के दबाव में वहाँ ले जाया गया। जिला प्रशासन को पहले दिन 4 बजे ही सूचना मिली कि मंत्री जी का हैलीकॉप्टर कल यहाँ लैंड करेगा। लेकिन मंत्री जी को वहाँ के लोगों को दिखाना था कि अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ और मैं अब सड़क पर नहीं चलता हूँ।......(व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक मिनट चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे बारे में कहा गया। पहले तो मैं डा0 रावत नेता प्रतिपक्ष (व्यवधान) को मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं उत्तर प्रदेश में 1997 में पर्वतीय विकास मंत्री बना तो पहाड़ का कोई गाँव शायद ही छूटा होगा, जहाँ मैं हैलीकॉप्टर से नहीं उतरा। इसके बाद मैं संस्कृति मंत्री बना तब भी मैंने हैलीकॉप्टर का प्रयोग किया, जनता के काम के लिए किया। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। उस दिन जोशीमठ में शंकराचार्य के कार्यक्रम में भी मुझे उपस्थित होना था। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि कम से कम सदन में गलत बात न बोलें। मान्यवर, वहाँ पर हजारों लोग उपस्थित थे और चार बार कार्यक्रम स्थगित होता है। मुझे उसी दिन जोशीमठ भी जाना था और अगले दिन कैबिनेट की बैठक भी थी। मैंने स्वयं जब हैलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो मैंने उसी मैदान से सबसे पहला काम यही किया क्योंकि वहाँ पर हैलीकॉप्टर पहले कभी उतरा ही नहीं था और सम्भव ही नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय नैनीताल में थे। उतरने के बाद पायलट ने मुझसे कहा कि आप भी लिखें और मैं भी लिखता हूँ कि गलत जगह पर हैलीपैड बना दिया गया है। (व्यवधान) इसमें जाँच चल रही है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को, ठीक है हास–परिहास भी होता है लेकिन किसी का नाम लेकर सदन के समक्ष करना यह गरिमा के विरूद्ध है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ सदन की गरिमा को बनाये रखना चाहिए लेकिन नाम उल्लिखित करना परिहास को गलत दिशा में ले जाना है। ये मेरे साथ उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी रहे हैं। तीन–तीन बार उत्तर प्रदेश की विधान सभा को भी हमने देखा है। इस सदन की गरिमा हर कीमत पर बनी रहनी चाहिए। इस

तरह की बातों से सदन के समय का अपव्यय होता है। छोटी–छोटी बातें भी सदन की सम्पत्ति होती हैं। भविष्य में गलत तरीके से बिन्दुओं को न उठाया जाये।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह बजट का ही एक महत्वपूर्ण बिन्दु था। हमने इस घटना का इसलिए उल्लेख किया क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन की बात की है। किसी को कोई आपत्ति नहीं है और मंत्री को यह अधिकार भी है कि वह हैलीकॉप्टर तथा हवाई जहाज का प्रयोग करे। मैं भी उत्तर प्रदेश में मंत्री रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के हैलीकॉप्टर का प्रयोग आपदा के समय या माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से मैंने भी किया है, यह मंत्री का अधिकार है। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इसलिए हुई क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय अनुशासन की बात कही कि मैं हैलीकॉप्टर का कम से कम प्रयोग करूँगा, सड़क मार्ग से, ट्रेन से यात्रा करूँगा।

मान्यवर, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बयान नहीं दिया होता तो निशंक जी थैलीसैण ही नहीं हर गाँव में हैलीकॉप्टर ले जायें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वित्तीय अनुशासन के लिए मितव्ययिता के लिए हम हैलीकॉप्टर का प्रयोग कम से कम करेंगे, हम ट्रेन से यात्रा करेंगे। वह ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और सड़क मार्ग से भी यात्रा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब तो स्पष्टीकरण आ गया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सरकार ने 100 दिन की अपनी उपलब्धियाँ गिनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बजट सदन में रखा और जब सदन में चर्चा होगी तब पास होगा, अभी तक तो केवल लेखानुदान पास हुआ है। लेखानुदान में वेतन भत्ते, आन गोइंग योजनायें और सरकार के आवश्यक खर्चे होते हैं, इसके लिए लेखानुदान होता है। मान्यवर, सरकार अपनी 100 दिन की उपलब्धियाँ गिना रही है और विज्ञापन छापे जा रहे है। एक तरह तो आप मितव्ययिता की बात कर रहे हैं, कई जिला स्तर के अधिकारियों का अखबारों में विज्ञापन आ रहा है। विज्ञापन के लिए सरकार की क्या नीति है यह स्पष्ट होना चाहिए। मान्यवर, जब सरकार का बजट पास हुआ ही नही तो विकास योजना के लिए यह सरकार 100 दिन की उपलब्धियाँ किस आधार पर गिना रही है ? आज तक किसी नये मोटर मार्ग के लिए, किसी बिजली के खम्भे के लिए, पेयजल के लिए, किसी तालाब या झरने के लिए या मन्दिर के सौन्दर्यीकरण के लिए यह सरकार एक रुपया भी खर्च नहीं कर सकती है। उन्होंने बजट पास नहीं किया था बल्कि लेखानुदान पास किया था यह सरकार कौन सी उपलब्धि गिना रही है ? इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार का जो बजट भाषण है, यह जो बजट का पुलिन्दा है यह [XXX] है, असत्य है। यह बजट प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला बजट है, इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूँ।

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

'झूठ' शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने उसमें संशोधन करके 'असत्य' शब्द का प्रयोग किया।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी–

मान्यवर, 'असत्य' शब्द भी असंसदीय है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह महान परम्परा रही है उत्तर प्रदेश के सदन में भी, जब कल्याण सिंह जी प्रदेश के नेता थे हमने उनको भी सुना है, प्रमोद तिवारी जी को भी सुना है, कभी न कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं और शब्द वापस लेने की परम्परा भी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। हमें सरकार से बहुत उम्मीदें थी कि यह सरकार लोकहितकारी, जनहितकारी और दलितों की योजना के लिए बजट लायेगी और विकास के रास्ते पर इस प्रदेश को आगे बढ़ायेगी।

मान्यवर, रोजगार के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश के हजारों नौजवान टकटकी लगा देख रहे हैं उन्हें यह बजट आशा की किरण के रूप में दिख रहा था, इस बजट से उन्हें बड़ी उम्मीदें थी लेकिन बजट को पढ़ने के बाद और माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण सुनने के बाद उनमें घोर निराशा है। इसलिए मेरा माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जो महत्वपूर्ण सुझाव है और जो कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख मैंने अपने सम्बोधन में किया है मैं चाहता हूँ कि जब आप बजट भाषण सदन के अन्दर मतदान के लिए रखें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सरकार इसमें अवश्य संशोधन करेगी और प्रदेश की जन–भावनाओं के अनुरूप योजनाओं को सदन में रखेगी। इसी के साथ माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपनी बात को रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी यशवीर सिंह जी।

(माननीय सदस्य चौधरी यशवीर सिंह जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 53 के अन्तर्गत श्री राजेश जुवॉठा, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री गगन सिंह रजवार, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री गोपाल सिंह रावत,

प्रेम चन्द अग्रवाल, श्री खजान दास, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री प्रेमानन्द महाजन और श्री ायण पाल की कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से पर्वतीय क्षेत्र में रेता, बजरी, र के खनन व दोहन पर प्रतिबन्ध होने के कारण इससे उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध श्री सुरेन्द्र सिंह जीना सूचना को वक्तव्य के लिए तथा जनपद पिथौरागढ़ विकास खण्ड चूला में जौलजीवी मेले को राज्य सरकार से आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध श्री गगन सिंह रजवार की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए साथ ही डोईवाला, जिला रादून के टौल बैरियर से अवैधानिक रूप से हो रही वसूली को रोके जाने सम्बन्धी प्रेमचन्द्र अग्रवाल की सूचना व जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर के गाँवों को दून घाटी विशेष क्षेत्र को दून घाटी विकास प्राधिकरण से मुक्त करने न्धी श्री खजान दास की सूचना को ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष नाएं अस्वीकार की जाती हैं।

अब हम उठते हैं कल पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए।

सके बाद सदन की कार्यवाही 18 बजकर 04 मिनट पर बुधवार दिनांक 4 जुलाई, 2007 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

रादून
ांक 03 जुलाई, 2007

—

महेश चन्द्र
सचिव, विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

एस0यू0 (आर0ई0) 14 विधान सभा/398–02–9–2008–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।